मई 1982 एक रुपया

सीटू मजदूर

मई विशेषांक

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

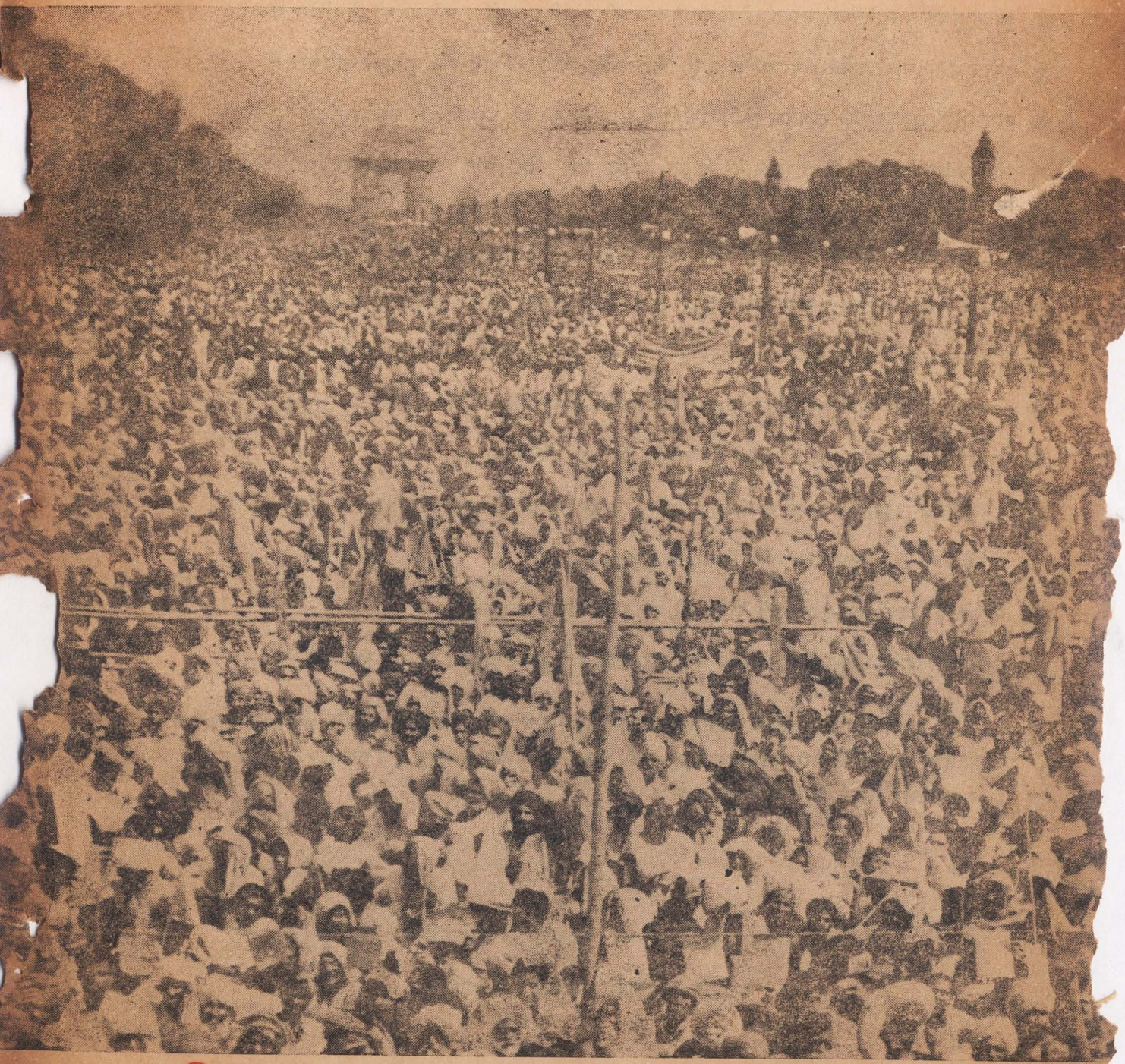

दुनिया भर के मजदूरो - एक हो !

त्रिपुरा में अब

★ गुप्त मतदान द्वारा पहली बार निर्मित ग्राम पंचायतें आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक तौर से ग्रामीण जीवन के उत्थान में लगी हैं.

★ ब्लाक पंचायत समितियां ब्लाक क्षेत्रों के विकास की प्राथमिकताओं व प्रक्रिया को निर्धारित करती हैं.

★ पुलिस व सरकारी कर्मचारियों सहित समूची मेहनतकश जनता के पास ट्रेड यूनियन अधिकार हैं.

★ वाम मोर्चा सरकार की रोजगार नीति गरीबों व अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता की गारंटी है.

★ खेतों में या फैक्टरियों में या बागान में या सड़क पर काम करने वाले मजदूरों को बढ़ी दरों पर वेतन मिलता है.

★ छोटे किसानों को दो एकड़ तक भूमि राजस्व माफ है.

★ छोटे व मंझले किसान ग्रामीण कर्जदाताओं के शिकंजों से मुक्त हैं और सभी कर्जों से स्वतंत्र हैं.

★ भूमि पर बटाईदारी के अधिकार की स्थापना के लिए छोटे किसानों को कानूनी संरक्षण प्राप्त हैं.

★ जनजातियों को अपनी जरूरत के अनुसार स्वायत्त जिला काउंसिल मिल गई है.

★ जनजातियों की मातृभाषा को राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा प्राप्त है.

★ जनजाति समुदाय से संबंधित उम्मीदवारों को, सरकारी सेवाओं में उनके लिए आरक्षण की गारंटी है.

★ छात्रों को 12वीं क्लास तक मुफ्त शिक्षा की सुविधा है.

★ पहली से पांचवीं तक पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का खाना मिलता है.

★ अनुसूचित जाति समुदायों से संबंधित छात्रों को बढ़ी दरों पर छात्रवृत्ति मिलती है.

जन निर्धनता, बढ़ती बेरोजगारी, समूचे देश में आय में भारी असमानता की भारी समस्याओं के बीच त्रिपुरा की वाम मोर्चा सरकार सभी तरह के शोषण से मुक्त एक एकजुट, जनवादी तथा आत्मनिर्भर समाज के लिए कटिबद्ध है.

त्रिपुरा सरकार के सूचना, सांस्कृतिक व
पर्यटन विभाग द्वारा प्रसारित

मई दिवस 1982

बी. टी. रणदिवे

अंतराष्ट्रीय एकजुटता तथा मजदूर वर्ग एकता का दिन एक वह दिन है जिस दिन सर्वहारा की विश्व सेना की बेहतर जीवनयापन के स्तरों के लिए, शांति के लिए, स्वतंत्रता, जनवाद तथा समाजवाद के लिए अपने वर्ग संघर्षों में पिछली गतिविधियों व उन्नत्ति की समीक्षा की जीत है.

इस साल मई दिवस यह देख रहा है कि पूंजीवादी देशों के मजदूर बढ़ती कीमतों व मुद्रास्फीति के हमलों के खिलाफ, और वेतनों पर हमलों के खिलाफ तथा बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ कड़े संग्राम में जुटा है. सभी पूंजीवादी देश आर्थिक संकट की जकड़ में हैं और साथ ही शासक वर्ग अपना बोझा मजदूरों की पीठ पर लादने की कोशिश कर रहा है.

साम्राज्यवादी जंगबाजी

इस संकट के बीच अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा रचित न्यूक्लीयर युद्ध की खतरनाक धमकी मौजूद है. वह युद्ध जिसकी धमकी दी जा रही है अमरीकी साम्राज्यवादियों की धन बनाने की भूख को संतुष्ट करने के लिए धरती से करोड़ों लोगों को मिटाने के लिए है.

युद्ध योजनाएं सफल समाजवादी क्रांतियों के खिलाफ, सोवियत संघ व अन्य समाजवादी देशों के खिलाफ हैं. इनका इरादा समूचे विश्व को साम्राज्यवादी प्रभुता के तहत लाने और नए-नए स्वतंत्र देशों पर फिर से दासता लादने का भी है.

इस दिन समूचा मजदूर वर्ग, समाजवादी देशों के, पूंजीवादी देशों के और नए-नए स्वतंत्र देशों के मजदूर न्यूक्लीयर युद्ध की पैशाचिक योजना के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे और सर्वनाश की अमरीकी योजनाओं को शिकस्त देने के लिए सर्वहारा सेना के दृढ़ निश्चय की घोषणा करेंगे.

यह मई दिवस, भारत में व अन्य जगहों पर, अमरीकी साम्राज्यवाद की युद्ध योजनाओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरोध का दिवस बने.

जनवध चरित्र

युद्ध का सर्वनाशक चरित्र इस तथ्य से जाना जा सकता है कि एक सीमित यूरोपीय युद्ध में संभावित कम से कम क्षति है 101 करोड़ 80 लाख मृत, 16 करोड़ घायल और बचने वाले मृतकों के समान होंगे. यह पूरे जोरशोर पर न्यूक्लीयर युद्ध के जनवध चरित्र पर मात्र नजर भर है. इस नरसंहार की तैयारी के लिए अमरीकी साम्राज्यवादी और उनके समर्थक तथाकथित सुरक्षा बजटों और नरसंहार के कारगार न्यूक्लीयर हथियारों सहित अस्त्रों पर करोड़ों डालर खर्च कर रहे हैं. रीगन ने अमरीकी सुरक्षा बजट को बढ़ा कर 1982 के लिए 22,000 करोड़ डालर कर दिया है. यह 1986 तक 40,000 कोड़ डालर हो जाएगा. अमरीकी ने 1981-86 के दौरान बजट में मिलिटरी कार्यों पर 1,50,000 करोड़ डालर खर्च करने का प्रावधान रखा है. वास्तविक वेतनों में गिरावट तथा रोजगारों में कमी के बीच मिलिटरी खर्चों के ये बोझ साम्राज्यवादी पूंजीवादी प्रणाली के घोर समाज विरोधी चरित्र को प्रदर्शित करते हैं.

अमानवीय समाजविरोधी प्रणाली

विकसित पूंजीवादी दुनिया में बेरोजगारों की कुल संख्या दो करोड़ से ज्यादा है. अल्पविकसित देशों में करोड़ों लोग रोजगार रहित हैं. भारत में ही, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के बेरोजगार होने का अनुमान है.

लेकिन साम्राज्यवादी देशों के शासक वर्गों को भारी नरसंहार के लिए तैयारियों पर खर्च छोड़कर सार्वजनिक धन को खर्च करने के लिए और कोई रास्ता नहीं सूझता. इन भारी राशियों को यदि उत्पादन कार्य पर खर्च किया जाता तो करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता. लेकिन यही वह बात है जो एकाधिकारियों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के जो पूंजीवादी देशों पर शासन करते हैं मुनाफाखोर हितों के खिलाफ है. इस से केवल यही प्रदर्शित होता है कि साम्राज्यवादी-पूंजीवादी प्रणाली एक अमानवीय समाजविरोधी प्रणाली बन गई है और जितना जल्दी इसे खत्म किया जाए उतना ही मानवता के लिए बेहतर है.

शान्ति आन्दोलन को शक्तिशाली बनाओ

पूंजीवादी दुनिया की नीतियों के विपरीत, समाजवादी दुनिया शान्ति, युद्ध न करने व आर्थिक विकास पर जोर देने तथा जनता के कल्याण की नीतियां अपना रही है. समाजवादी प्रणाली की श्रेष्ठता ठीक इस तथ्य से जानी जा सकती है कि इसे न तो अपनी उन्नत्ति के लिए युद्ध की जरूरत है और न

ही यह अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध को एक साधन समझती है. इसीलिए किसी भी आर्थिक संकट से समाजवादी देश प्रभावित नहीं होते. इसीलिए पिछले दशक में जहां पूंजीवादी दुनिया मंदी का सामना करती रही वहां समाजवादी दुनिया उत्पादन की तेज रफ्तार से आगे बढ़ती रही. पूंजीवादी दुनियां में पिछले पांच सालों में बेरोजगारी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रही जबकि समाजवादी दुनिया बेरोजगारी से मुक्त रही.

साथ ही यह भी नोट किया जाता है कि समाजवादी देशों के खिलाफ साम्राज्यवादियों की युद्ध की तैयारियों के कारण, समाजवादी देशों को भी अपने उत्पादन साधनों का एक हिस्सा सुरक्षा पर लगाना पड़ता है जो कुछ हद तक इन देशों में आर्थिक उन्नत्ति की मंद गति के लिए जिम्मेदार है. साम्राज्यवादी प्रणाली का विनाशी अस्तित्व न केवल पूंजीवादी देशों में बेरोजगारी को बढ़ाता है बल्कि समाजवादी देशो में भी उन्नत्ति दर को मंद कर देता हैं.

दुनिया का समूचा मजदूर वर्ग तथा प्रगतिवादी ताकतें युद्ध संकट से दुनिया को बचाने के लिए सोवियत संघ व समाजवादी देशों के शान्ति प्रस्तावों का स्वागत करती हैं. सोवियत संघ ने बार-बार आम तथा न्यूक्लीयर अस्त्रों पर सीमा लगाने का प्रस्ताव रखा है, यह आश्वासन दिया है कि न्यूक्लीयर युद्ध शुरू करने में यह प्रथम नहीं होगा और मौजूदा अस्त्र दौड़ को खत्म करने व धीरे-धीरे सभी न्यूक्लीयर हथियारों को खत्म करने के लिए बातचीत के लिए आहवान किया है.

युद्ध के खतरे ने दुनिया की प्रगतिवादी ताकतों को झकझोर दिया है. यूरोप में शांति के लिए विशाल लोकप्रिय आंदोलन विकसित हुए हैं, यूरोप व अन्य जगहों में शान्ति तथा अस्त्रों पर सीमा की मांग के लिए आयोजित विशाल प्रदर्शनों में जीवन के हर हिस्से से सम्बंधित पुरुषों, महिलाओं, मजदूरों व अन्य लोगों ने एक जुट होकर भाग लिया है. शान्ति के लिए और युद्ध के खिलाफ वह विरादराना भारी आवाज अमरीका में भी उठी है जहां आम व्यक्ति शान्ति के लिए अपनी इच्छा का जोरदार इजहार कर रहा है.

भारत के लिए भारी महत्व

इस अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता के दिन भारत के मजदूर वर्ग को दुनिया के शान्ति आन्दोलन का पूरा समर्थन करना चाहिए और अपनी आवाज को समुद्र पार अपने भाइयों की आवाज के साथ बुलंद करनी चाहिए. साथ ही भारत के मजदूर वर्ग को यह महसूस करना चाहिए कि यहां के ट्रेड यूनियन आन्दोलन ने अपनी अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपना कम से कम कर्त्तव्य भी पूरा नहीं किया है. यह भारत के औद्योगिक मजदूरों व कर्मचारियों को एक न्यूक्लीयर युद्ध के खतरे तथा इसके पीछे साम्राज्यवादी साजिशों से अवगत कराने में नाकामयाब रहा है. इस कमी को पूरा कराने के लिए और युद्ध के खिलाफ संघर्ष में, विश्व शान्ति के लिए संघर्ष में दुनिया के मजदूरों के साथ भारत के मजदूर वर्ग को लामबंद करने के लिए इस साल दृढ़ निश्चय किया जाना चाहिए.

युद्ध के खिलाफ संघर्ष का भारत के मजदूरों के लिए भारी महत्व है क्योंकि यह इस उपमहाद्वीप में देशों के स्वतन्त्र अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है. अमरीकी साम्राज्यवाद पाकिस्तान को उसके फौजी तानाशाह की मदद करने के लिए हथियार दे रहा है और भारत व पाकिस्तान के बीच तनाव पैदा कर रहा है. बंगलादेश में फौजी निजाम, श्रीलंका में साम्राज्यवादपरस्त शासन—ये सब इन देशों में जनवाद व जनता की स्वतंत्रा के लिए खतरे हैं और, जैसा कि सब जानते है, सभी जनवादविरोधी निजाम आसानी से साम्राज्यवादी नीतियों के पुर्जे बन सकते हैं. इसलिए इस मई दिवस के दिन भारत के मजदूर वर्ग को पाकिस्तान के दलित मजदूरों व जनता के नाम, बंगलादेश व श्रीलंका के दलित मजदूरों व जनता के नाम अपनी बिरादराना शुभकामनाएं भेजनी चाहिएं तथा पड़ोसी देशों के बीच तनाव को रोकने के लिए अपने दृढ़ निश्चय का इजहार करना चाहिए.

समाजवादी देशों के मजदूरों को शुभकामनाएं

सोवियत संघ, चीन व अन्य समाजवादी देशों के मजदूरों व जनता को पिछले साल उनकी उपलब्धियों और आर्थिक उन्नत्ति में उनकी महान सफलताओं के लिए भारत का मजदूर अपनी शुभकामनाएं भेजता है. इन देशों में ट्रेड यूनियनों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था के निर्माण व उसे आगे बढ़ाने में और अपने मजदूरों को समाजवाद व साम्यवाद के निर्माता के रूप में प्रशिक्षित करने में अपनी भूमिका अदा की है. साथ ही उन्होंने युद्ध की साम्राज्यवादी योजनाओं को बेनकाब करते हुए शांति तथा दुनिया के राष्ट्रों में सोहार्द के लिए दृढ़ संकल्पी संघर्ष किया है.

समाजवादी मजदूर वर्ग और अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन ने पोलैंड में प्रति-क्रांतिकारी साजिशों को शिकस्त देने में और समाजवादी राज्य के नायकत्व को फिर से स्थापित करने में एक महान विजय हासिल की है. यह गम्भीर चुनौती थी जिसके पीछे थे साम्राज्यवादी व पूँजीवादी देश जो पोलैंड में समाजवादी प्रणाली को उखाड़ना चाहते थे.

पूंजीवादी दुनिया के मजदूरों को शुभकामनाएं

पूँजीवादी दुनिया में, मजदूर वर्ग व शासक पूँजीवादी वर्ग के बीच एक महान संघर्ष जारी है. इन देशों के मजदूर वर्ग

मुद्रास्फीति, वेतन कटौती, बर्खास्तगी व बेरोजगारी के माध्यम से किए जाने वाले अपने जीवनयापन के स्तरों पर हमलों के खिलाफ जोरदार संघर्ष कर रहे हैं. यह श्रमबहुतायत के खिलाफ, औद्योगिक संस्थानों में जन सुरक्षा तकनीकी लागू करने के लिए, वेहतर चिकित्सा सेवा व पेंशन सुरक्षा के लिए भी संघर्ष कर रहा है. इसने मुद्रास्फीति को रोकने के नाम पर वेतन जाम स्वीकार करने से इंकार कर दिया है.

मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 1981-82 में 12 से 15 प्रतिशत हो गई. केवल औद्योगिक पूँजीवादी देशों में ही लगभग दो करोड़ से ज्यादा लोग रोजगार ढूंढ़ रहे हैं. अमरीका में अधिकृत अल्प-अनुमानित आंकड़े बताते हैं कि वहां 80 लाख बेरोजगार हैं; इसकी संख्या ग्रेट ब्रिटेन में 30 लाख से ज्यादा थी. पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, इटली में यह संख्या 20 लाख से ज्यादा है.

इस साल न केवल औद्योगिक मजदूर बल्कि श्वेत कालर मजदूर व अन्य बुद्धजीवी ज्यादा से ज्यादा संख्या में संकट के बोझ के खिलाफ संघर्ष में शामिल हुए. ग्रेट ब्रिटेन में लगातार बढ़ती हड़ताली लहर में, साल के पहले आठ महीनों में, 11 लाख लोगों ने भाग लिया और वहां भारी वर्ग संग्राम हुए. हड़तालों में भाग लेने वालों की संख्या 1980 की संख्या से दोगुनी थी. इसमें परिवहन व प्रकाशन के अलावा विद्युत-तकनीकी उद्योग जैसी ब्रिटिश उद्योग की मुख्य शाखाएं शामिल थीं. इटली में साल के पहले पांच महीनों में एक हजार से भी ज्यादा हड़तालें हुईं जिसमें 63 लाख लोगों ने भाग लिया और से मुख्य आर्थिक क्षेत्रों से सम्बंधित थीं. अमरीका में छः लाख से भी ज्यादा डाक मजदूरों ने 1981 में हड़ताल की और उसके बाद खदान मजदूरों व यातायात नियंत्रकों की हड़तालें शुरू हुईं. एक लाख साठ हजार अमरीकी कोयला खदान मजदूरों की हड़ताल 27 मार्च से 7 जून तक 73 दिन चली. साढ़े पंद्रह हजार वायु-यातायात नियंत्रकों की हड़ताल को अधिकारियों द्वारा कुचल दिया गया. भारी संख्या में ट्रेड यूनियन नेताओं व सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, यूनियनों पर जुर्माना कर दिया गया, और बैंकों में उनकी सम्पत्ति व हड़ताली कोष जब्त कर लिए गए. वायु-यातायात नियंत्रकों की इस हड़ताल की भारी अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन मिला और मजदूरों के खिलाफ सभी दमनात्मक कार्यवाहियों की वापसी की मांग की गई.

इन संघर्षों के माध्यम से बढ़ती चेतना कार्यवाहियों में वृद्धि में; राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाहियों में; शान्ति सुरक्षा के लिए, नस्लवाद व आतंकवाद के खिलाफ, और आम जनता व महिलाओं के लिए अधिकारों के लिए आम जनवादी कार्यवाहियों के साथ मजदूर वर्ग की कार्यवाहियों के एकजुट होने में प्रदर्शित होती है. अपनी हड़तालों में संगठित मजदूर ऐसी मांगों को रख रहे हैं जो शुद्ध आर्थिक ढांचे से दूर हैं और जिनमें शासक वर्गों की सामाजिक आर्थिक नीतियों के जनवादी विकल्प के तत्व हैं. आजकल कई विकसित देशों में ट्रेड यूनियनें महिला मजदूरों व उनके अधिकारों के सवाल पर विशेष ध्यान दे रही हैं. विकसित ट्रेड यूनियनें समान वेतन, काम के लिए समान अवसर और संगठित ट्रेड यूनियन आन्दोलन में महिलाओं की समान भागीदारी के अवसर के लिए हर कोशिश कर रही हैं.

पिछले दस सालों की आर्थिक अस्थिरता का परिणाम राजनीतिक अस्थिरता हुई और विकसित पूँजीवादी देशों में 80 सरकारें भंग की गई; ये सरकारें संविधान के तहत पूरे काल काम करने में नाकामयाब रहीं.

मजदूरों का यह प्रतिरोध पिछले दशक में शासक वर्गों द्वारा अपनाई गई नीतियों का सीधा परिणाम था जैसा कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र **प्रावदा** लिखता है : "आठवें दशक के उत्तरार्द्ध और नवें दशक के शुरू में कई एकाधिकारी पूँजीवादी देशों के एकाधिकारियों व राज्य ने कामकाजी जनता के आर्थिक अधिकारों पर एक नया संगठित हमला शुरू कर दिया और मांग की कि लगातार संघर्षों के माध्यम से जनता द्वारा जीते गए सामाजिक कानूनों को संक्षिप्त किया जाए. फ्रांस की भूतपूर्व सरकार, ब्रिटेन के कंजरवेटिव मंत्रिमंडल और अमरीका का रीगन प्रशासन खासतौर से इस काम में उत्साही थे. अमरीका ने एक आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की और गरीबों को खाद्य सहायता में कटौती, बेरोजगारों व अपंगों के भत्तों में कमी तथा चिकित्सा सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य कार्यक्रमों के प्रावधानों पर खर्च कम करना शुरू कर दिया." वाशिंगटन में रीगन की नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध के लिए एक विशाल प्रदर्शन हुआ.

मजदूर वर्ग व जनता का रूझान फ्रांस में समाजवादी विजय में दिखाई पड़ता है. ट्रेड यूनियनों की समर्थन प्राप्त मिटरैंड सरकार ने अब औद्योगिक उत्पादन के 40 प्रतिशत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है.

इन देशों में बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियों के खिलाफ संघर्ष तेज हो रहा है और बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियों के मजदूरों ने विभिन्न देशों में हड़तालें की हैं.

पश्चिम यूरोप में ट्रेड यूनियनें, जिन्हें लाखों मजदूरों का समर्थन प्राप्त है, एक शक्तिशाली ताकत हैं. वे सरकार बनाने व हटाने की सामर्थ रखती हैं. उनका विरोध करने वाली सरकारें स्थिर नहीं हो सकतीं. फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वे इस शक्ति को समाज के तुरन्त समाजवाद में परिवर्तित करने में इस्तेमाल कर रही हैं. बुर्जुवा संसदवाद

में गहराई से ग्रस्त नेतृत्व हड़ताल, चुनाव और फिर हड़ताल और चुनाव के दुश्चरित्र-चक्र से बाहर निकलने में असमर्थ है. यह मजदूर वर्ग के हाथ में वास्तविक शक्ति के लिए कोशिश नहीं करती.

सभी पश्चिमी देशों में ट्रेड यूनियन व अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के लिए शक्तिशाली भावना है. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के खिलाफ तेज संघर्षों ने इस भावना को और बल प्रदान किया है. इन देशों के एकाधिकारियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों के संघर्षों के दूरगामी राजनीतिक परिणाम हैं और वे राज्य एकाधिकारी पूंजीवाद के शासन के खिलाफ लड़ने के लिए जनता को एकजुट करने में सहायता कर रहे हैं.

तीसरी दुनिया के देशों के मजदूरों को शुभकामनाएं

इस दिन भारत का मजदूर वर्ग तीसरी दुनिया के देशों के मजदूरों को, जो जबरदस्त कठिनाइयों के खिलाफ संघर्षरत हैं, शुभकामनाएं देता है. कई स्वतन्त्र देशों पर तानाशाहों का शासन है और परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग आन्दोलन के खिलाफ भारी दमन व आतंक है. इनमें से अनेक देशों में—एशियाई व अफ्रीकी—कानून हड़तालों पर प्रतिबंध लगाते हैं और उनमें भागीदारी को दंडात्मक अपराध समझते है. सादत के तहत मिश्र में 1977 में लागू किया गया एक कानून हड़तालों, प्रदर्शनों व सभाओं में भाग लेने के कारण आजीवन सख्त परिश्रम की सजा देता है. पाकिस्तान में मजदूरों को हड़ताल में भाग लेने के कारण कोड़े मारे जाते हैं या 14 दिन के लिए जेल में डाल दिया जाता है. भारत में, इंदिरा सरकार ने अनिवार्य सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर दिया है जो 'गैरकानूनी हड़ताल' में भाग लेने के कारण दो साल की जेल की सजा देता है. लगभग हर उत्पादन गतिविधि को अनिवार्य सेवा में शामिल कर लिया गया है.

इसके बावजूद हजारों मजदूर हड़तालों में भाग लेते हैं. हड़तालों व उनमें भाग लेने वालों की सबसे बड़ी संख्या भारत में है.

वर्ग संघर्ष के दौरान, मजदूर वर्ग संघर्ष के विभिन्न तरीकों व शक्लों को अपनाता है. संघर्षों व प्रदर्शनों के परम्परागत ढंगों के साथ-साथ मजदूर घेराव करते हैं और फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लेते हैं, शतरंजी हड़ताल करते हैं जैसे एक निश्चित नियम के अनुसार उद्योग के विभिन्न हिस्सों में काम रुक जाता है, नियमानुसार काम, आदि. अधिकृत प्रतिबंध के बावजूद भारी संख्या में हड़तालें होती हैं.

निष्कर्ष में तीसरी दुनिया के सभी देशों के ट्रेड यूनियन आन्दोलन को साम्राज्यवादी करतूतों और अपने देशों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की घुसपैठ के खिलाफ संघर्ष करना है. साम्राज्यवादी शोषण, नवउपनिवेशवादी करतूतों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की घुसपैठ के द्वारा मजदूरों को अपने जीवनयापन के स्तरों पर रोक प्रतीत होती है. कई देशों में शासक दल व वर्ग की नीतियां साम्राज्यवादी घुसपैठ की सहायता करती हैं. इसलिए मजदूर वर्ग और ट्रेड यूनियन आन्दोलन का आह्वान किया जाता है कि वे इन नीतियों का विरोध करें तथा अपने देशों की सरकारों के खिलाफ संघर्ष करें. भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के खिलाफ और उनका समर्थन करने वाली सरकारी नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेड यूनियनों में लगभग एकमत है. इस मुददे पर ट्रेड यूनियन मत की बंबई सम्मेलन ने साफ व्याख्या की है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) से लिए गए कर्ज और इसके साथ जुड़ी शर्तों का ट्रेड यूनियनों ने भारी विरोध किया है.

तीसरी दुनिया के सभी देशों में ट्रेड यूनियन में उपनिवेशिक वेतन प्रणाली को खत्म करने तथा मजदूर वर्ग के जीवनयापन के स्तरों में सुधार के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं. और उनमें से अनेक अब यह महसूस करने लगे हैं कि अपने देशों के किसानों को शोषण के पूर्व-पूंजीवादी तरीकों से मुक्त किए बिना मजदूर वर्ग अपने जीवनयापन की दशाओं में कोई भारी परिवर्तन नहीं कर सकता.

सभी देशों में ट्रेड यूनियन आन्दोलन इन देशों में जनवाद स्वतंत्रता और समाजवाद के लिए संघर्ष का एक हिस्सा बन गया है. कुछ देशों में यह शक्तिशाली योद्धा के रूप में आगे आ रहा है. और प्रायः पहलकदमी इसके हाथ में होती है. साम्राज्यवाद-विरोधी दृष्टिकोण के साथ इन देशों का ट्रेड यूनियन आन्दोलन समाजवादी देशों व मजदूरों के साथ शान्ति के लिए व युद्ध के खिलाफ बिरादराना भावनाएं तथा सम्बंध स्थापित करता है. यह तीसरी दुनिया के देशों के मजदूर वर्ग के प्रति हार्दिक बिरादराना भावनाएं विकसित करता है और निर्गुट आन्दोलन का पक्का समर्थक है.

विश्व ट्रेड यूनियन आन्दोलन के तीन हिस्से युद्ध के खिलाफ मजदूर वर्ग की अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता के लिए संघर्ष और स्वतंत्रता, शान्ति, जनवाद व समाजवाद के लिए संघर्ष में एकजुट हो रहे हैं.

बढ़ते संघर्ष

भारत में पिछले साल की गतिविधियों की समीक्षा तीव्र उन्नत्ति तथा अतीत से प्राप्त कुछ कमजोरियों को दर्शाता है.

शान्ति के लिए संघर्ष से सम्बंधित ट्रेड यूनियन आन्दोलन की नाकामयाबी पहले ही बताई जा चुकी है. मजदूरों के

जीवनयापन के स्तर की सुरक्षा के लिए संघर्ष में ट्रेड यूनियन आन्दोलन ने महत्त्वपूर्ण उन्नत्ति की है. इंदिरा की वापसी के बाद उत्पन्न भ्रम टूट रहे हैं और मजदूरों की कार्यवाहियां और हड़तालें जो 1980 में कम हो गयी थी, 1981 में बढ़ गई. मानव दिवसों की संख्या, जिनकी हानि हुई, दो करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा हो गई, यह संख्या 1980 के आंकड़े से 40 लाख ज्यादा है हालांकि यह 1979 के आंकड़े से काफी कम है. सार्वजनिक क्षेत्र में मानवदिवसों की हानि पिछले साल की तुलना में दोगुनी हो गई.

लेकिन पिछले साल का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू एकजुट कार्यवाही व ट्रेड यूनियन एकता की उपलब्धी है. उसके पहले साल की जब कुछ केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें अपने राजनीतिक नेताओं की 1980 के चुनावों में हार के बाद जनगतिविधियों से घबराती थी, उदासीन दशाओं को तोड़ा गया.

सी०आई०टी०यू० ने एकजुट कार्यवाहियों के लिए अथक कार्य किया और अन्यों की सहायता से ट्रेड यूनियन एकता को आगे बढ़ाने में सफल रही.

एकता की दशा में बम्बई सम्मेलन एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण कदम था.

इससे पहले कभी भी विभिन्न उद्योगों के इतने संगठन, केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व फेडरेशने कर्मचारियों के संगठनों के साथ मिलकर सरकार की श्रम-विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए तथा जनत , किसानों व खेतिहर मजदूरों की मांगों का नायकत्व करने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए एकजुट नहीं हुए थे.

राजधानी में 23 नवम्बर को, जब लाखों मजदूर प्रतिरोध करने आए तथा जनता की ओर से मांगें उठाई, प्रदर्शित भारी एकता और हड़ताल का आह्यवान ट्रेड यूनियन आन्दोलन की एकता व चेतना के एक और कदम बने. सैकड़ों कामगार महिलाएं काफी लम्बी दूरियों से राजधानी आकर प्रदर्शन में शामिल हुईं और यह कामगार महिलाओं में नई जागृति को दर्शाती है जिसे सीटू यूनियनों ने उनकी समस्याओं पर विशेष ध्यान देकर सम्भव बनाया था.

हड़ताल के आह्वान को लागू करके 19 जनवरी को प्रदर्शित एकता ट्रेड यूनियन इतिहास में अभूतपूर्व है. प्रमुख विपक्षी दलों के समर्थन से हड़ताल कुछ जगहों पर सम्पूर्ण बंद में बदल गई जिसमें हजारों दुकानदारों, होटल वालों, वकीलों व व्यावसायिकों ने हिस्सा लिया.

हड़ताल द्वारा बुलंद की गई मांगें महत्वपूर्ण हैं और मजदूर वर्ग की मांगों को जनवाद तथा दलितों के सभी हिस्सों के जीवनयापन के स्तरों की सुरक्षा के लिए मांगों के साथ जोड़ने के अंतर्राष्ट्रीय रुझान के अनुसार है.

मजदूर वर्ग ने 19 जनवरी को आवश्यक वस्तुओं को जनता को घटी दरों पर बेचने की, किसानों को लाभकारी दामों की, खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम जीवनयापन वेतन व सेवा सुरक्षा की, कालाबाजारियों के खिलाफ कदमों की, आई एम एफ ऋण की शर्तों को पूरा करने के लिए लागू किए गए अनिवार्य सेवा अनुरक्षण कानून तथा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 को वापस लेने की, गुप्त मतदान द्वारा ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने तथा सामूहिक सौदेबाजी व ट्रेड यूनियन अधिकारों की पूरी गारंटी की, छटनी व तालाबन्दी पर प्रतिबन्ध की, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते की, सभी विक्टिमाइजेशन के कदमों की वापसी की, न्यूनतम वेतन तथा महंगाई की पूरी भरपाई की और सभी के लिए बोनस की मांग की.

मजदूरों की मांगों को बढ़ती कीमतों के खिलाफ पीड़ित जनता की मांगों के साथ जोड़ कर, किसानों व खेतिहर मजदूरों की फौरी मांगों के साथ जोड़ कर, ट्रेड यूनियन आंदोलन बुर्जुवा-भूपति वर्ग व अधिनायकवादी पार्टी के शोषक शासन के विरोधी सभी हिस्सों को एकजुट करने के लिए कदम उठा रहा है और जनता के प्रति मजदूर वर्ग की ऐतिहासिक जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है.

एन एस ए व एस्मा के खिलाफ हड़ताली प्रतिरोध मजदूर वर्ग के अधिनायकवादी शासन के खिलाफ प्रतिरोध तथा जनता के जनवादी अधिकारों की सुरक्षा के लिए उनके दृढ़ निश्चय को व्यक्त करता है.

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अधिनायकवादी सरकार मजदूरों के खिलाफ सख्ती से पेश आई. साठ हजार से ज्यादा मजदूर—20 हजार केवल केरल में ही—जिनमें ट्रेड यूनियन पदाधिकारी भी शामिल थे, गिरफ्तार कर लिए गए और जेल भेज दिया गया. इंटक नेता हड़ताल तोड़ने में सक्रिय थे और मजदूरों पर समाजविरोधी तत्त्वों के हमले आम बात थी. बर्बर पुलिस गोलीबारी के दस से अधिक मजदूर शिकार हुए.

लेकिन हड़ताल कामयाब रही और इससे प्राप्त सबक व विरासत को आगे बढ़ाया जाना है.

संगठनात्मक रूप में हड़ताल का सबसे कमजोर हिस्से सुरक्षा संगठन सहित रेलवे व केन्द्रीय सरकार संगठन थे. इन संगठनों का संशोधनवादी नेतृत्व हड़ताल में भाग लेने का निश्चय नहीं कर सका हालांकि उनमें से अनेक ने पहले आह्वान का समर्थन किया था और इसमें शामिल होने का फैसला लिया था. लेकिन, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व केरल में कर्मचारियों ने भारी तादात में इस आम कार्यवाही में भाग लिया.

राज्य सरकार कर्मचारियों में पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र व त्रिपुरा में हड़ताल को भारी समर्थन मिला. दूसरे राज्यों में शायद ही कोई समर्थन मिला.

कमजोरियों को दूर करो

इन कमजोरियों को दूर करना है. जब तक यह नहीं किया गया तो वे भावी विकास के लिए अत्यन्त खतरनाक सिद्ध होंगी और सरकार को मजदूरों की मौजूदा उपलब्धियों पर आम हमले शुरु करने के लिए प्रोत्सहित करेंगी.

सरकार पहले ही खेल शुरु कर चुकी है. नेताओं की कमजोरियों व उदासीनता का फायदा उठाते हुए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों पर मंहगाई भत्ते के बकाया की जबरन जमा योजना थोप दी है. जल्दी ही इसे उदाहरण के रूप में पहले केंद्रीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में और फिर कर्मचारियों व मजदूरों के सभी हिस्सों के सम्बन्ध में इस्तेमाल किया जाएगा. ये वही नेता हैं जिन्होंने पहले उत्पादकता के साथ बोनस को जोड़ना स्वीकार करके मजदूरों का अपमान किया और अब सरकार इस सिद्धांत को सिद्धांत: सभी उद्योगों में लागू करना चाहती है.

यह जरूरी है कि केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें व फेडरेशनें इन नेताओं से बातचीत करें और उन्हें इस बात से अवगत कराया जाय कि उनकी नीतियों से ट्रेड यूनियन आन्दोलन को कितनी बड़ी हानि हुई है. इस सबके साथ-साथ केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, रेलवे व सुरक्षा कर्मचारियों से बाकी मजदूर वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, मजदूरों व जनता की आम मांगों के साथ एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करने के लिए एकता व संयुक्त कार्यवाही के लिए अपील करें.

इन कमजोरियों के बावजूद 19 जनवरी की हड़ताल एक अभूतपूर्व घटना थी और यह ट्रेड यूनियन आन्दोलन की बढ़ती चेतना को दर्शाती है.

एकता जिससे 19 जनवरी की हड़ताल संभव हुई मजदूरों के जीवनयापन के खिलाफ दमन व हमलों का परिणाम थी. लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की हड़ताल के खिलाफ दमन, जीवन बीमा निगम कर्मचारियों पर हमलों, हड़तालों को गैरकानूनी घोषणा में वृद्धि से मजदूर वर्ग के एकजुट प्रतिरोध तथा गतिविधियों की जरूरत हुई.

वर्ग संघर्ष को तेज करो

अब यह आसानी से माना जा सकता है कि एकजुट प्रतिरोधों के माध्यम से ट्रेड यूनियनें व फेडरेशनें यह महसूस कर रही हैं कि वे अब सरकार की आर्थिक व राजनीतिक नीतियों के सम्मुख हैं. जिनका मुकाबला केवल वर्ग शक्ति के आधार पर किया जा सकता है. बढ़ती कीमतों, मुद्रास्फीति, घाटे के बजट, आयात व निर्यात नीति, आई एम एफ ऋण या एस्मा व एन एस ए से सम्बंधित सवाल ऐसे विषय नहीं हैं कि उन्हें मजदूर वर्ग के एक हिस्से द्वारा खत्म किया जा सके. उनका मुकाबला करने के लिए मजदूर वर्ग को सरकार का सामना एक वर्ग के रूप में करना चाहिए. आन्दोलन में उत्पन्न यह अनुभव संयुक्त कार्यवाही व खास तौर के 19 जनवरी की हड़ताल से आया है.

इस चेतना को आगे बढ़ाया जाना है. ट्रेड यूनियन मांगों को आम जनवादी मांगों के साथ मिलाने की प्रक्रिया को किसानों के हितों की रक्षा के लिए ट्रेड यूनियनों की तैयारी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है. यदि इसे लगातार आगे बढ़ाया गया तो इसके महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम होंगे और अधिनायकवाद के खिलाफ संघर्ष की अगुवाई मजदूर वर्ग के हाथ में होगी.

अधिनायकवादी निजाम के खिलाफ एकजुट मजदूर वर्ग कार्यवाही के आम जनता तक पहुंच जाने की सम्भावना 19 जनवरी की हड़ताल में प्रदर्शित होती है. संगठित ट्रेड यूनियन आन्दोलन के एकजुट कार्यवाही करने के फैसले, व लाखों मजदूरों द्वारा इसमें भाग लेने की गारंटी को विपक्षी राजनीतिक दलों का समर्थन मिला तथा इसमें किसानों सहित जनता के व्यापक हिस्सों ने भाग लिया.

ट्रेड यूनियनों द्वारा किसानों, खेतिहर मजदूरों और जनता की मांगों का नायकत्व करने ने ऐसी कार्यवाही की सम्भावनाओं को काफी व्यापक बना दिया है.

विरासत को आगे बढ़ाओ

इस मई दिवस पर 19 जनवरी की इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ निश्चय किया जाना चाहिए. मजदूर वर्ग यदि स्वयं अपने प्रति व अपनी जनता के प्रति जिम्मेदार समझता है तो इसे देश के सामने मौजूद फौरी समस्याओं का बहादुरी के साथ मुकाबला करना होगा. केन्द्र में अधिनायकवादों निजाम के खिलाफ सख्त संग्राम चल रहा है.

मजदूर वर्ग के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल, केरल व त्रिपुरा के मजदूर वर्ग वामपंथी सरकारों की सुरक्षा के संघर्ष में और कांग्रेस (आई) सरकार की उनके खिलाफ साजिशों को नाकाम करने के लिए संघर्ष में और जनवाद के इन विकसित स्तंभों की सुरक्षा में सबसे आगे रहे हैं.

(शेष पृष्ठ 17 पर)

सीटू का मई दिवस घोषणा-पत्र—1982

मई दिवस 1982 के अवसर पर सीटू मजदूर वर्ग का ध्यान अमरीका के रीगन प्रशासन द्वारा सोवियत धमकी का मनगढ़न्त बहाना बनाकर युद्ध का खतरा पैदा किए जाने की तरफ खीचती है. सीटू इतिहास में पहली बार जोड़ी गई अत्यन्त अविश्वसनीय हथियारों की दौड़ फैलाने की उन्मादपूर्ण कोशिशों और सम्पूर्ण विश्व को न्यूट्रान बमों सहित—जिससे सम्पूर्ण मानव जाति के विनाश का खतरा पैदा हो गया है—न्यूक्लीयर हथियारों के शास्त्रागार के रूप में बदलने के लिए रीगन प्रशासन की निन्दा करती है. इस आक्रमण के फौरी निशाने शान्ति, जनतन्त्र और समाजवाद के उद्देश्यों को बढ़ावा देने वाले सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देश हैं. सीटू मजदूर वर्ग और समस्त क्रान्तिकारी ताकतों से वर्गचेतन जीवन के प्रति जागृत होने का आह्वान करती हैं. जैसा कि लेनिन ने कहा है कि सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के झण्डे को बुलन्द करो और युद्ध के खिलाफ तथा शान्ति के लिए समाजवादी खेमे की रक्षा करो.

मजदूर वर्ग को यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि इजारेदार पूँजीवाद और साम्राज्यवाद का इतिहास हिंसा और युद्ध से भरा पड़ा है. इन साम्राज्यवादियों ने 25 वर्षों के थोड़े से समय में सम्पूर्ण मानवता को दो विश्व युद्धों में डुबो दिया तथा मजदूरों के पसीने से पैदा की गई विशाल सम्पति के विनाश सहित 4 करोड़ लागों को मौत के घाट उतार दिया. ये आक्रामक योजनाएं 1930 के दशक से कहीं भयानक संकट से ग्रस्त पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की निराशाजनक परिस्थितियों की उपज हैं. पूँजीवादी देशों में 1981-82 में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 12 से 15 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है. विकसित पूँजीवादी देशों में बेरोजगारी 2 करोड़ 40 लाख तक पहुंच चुकी है. ए एफ एल—सी आई ओ के अनुसार अमरीका में मुद्रास्फीति अगस्त 1978 से अगस्त 1980 के बीच 26 प्रतिशत तक पहुंच चुकी थी तथा बेरोजगारों की संख्या एक करोड़ हो गई.

हथियार उद्योगों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाने का जिसे इजारेदार पूँजीवाद को बरकरार रखने के लिए आवश्यक समझा गया है—का परिणाम है करोड़ों के लिए गरीबी, भूख, बेरोजगारी और असुरक्षा. संकट पर काबू कर सकने में असमर्थ अमरीका सम्पूर्ण विश्व पर प्रभुत्व जमाने की अपनी तैयारियों को तेजी से जारी रख रहा है और आज साम्राजी आक्रमण का अग्रणी नेता बन गया है.

इसके बिलकुल विपरीत समाजवादी देश अपनी जनता के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के लिए समाजवादी निर्माण कर रहे हैं और दृढ़ता से शान्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं. जहां तक भारत का सवाल है अमरीका द्वारा पाकिस्तानी सैनिक शासकों को हथियारबन्द किये जाने से यह खतरा हमारे दरवाजे तक आ पहुंचा है. डियागो गार्सिया में अमरीकी सैनिक अड्डे के विस्तार ने इस खतरे को और भी बढ़ा दिया है. सीटू भारतीय मजदूर वर्ग का, पाकिस्तान के मजदूर वर्ग तथा जनता के सहयोग से, एशियाइयों को आपस में लड़ाने की घृणित अमरीकी चालों की निन्दा करने और परास्त करने का आह्वान करती है.

शान्ति के लिए और इस साम्राजी जंगबाजी के खिलाफ संघर्ष सारी दुनिया में फैल रहा है. युद्ध की तैयारियों के खिलाफ अमरीका के शहरों सहित दुनिया के विभिन्न शहरों में विशाल प्रदर्शन किए गये जिनका आम नारा था : "युद्ध नहीं, शान्ति चाहिए" "न्यूट्रान बम मुर्दाबाद". मई दिवस के अवसर पर सीटू विकसित पूँजीवादी देशों के विशेष रूप से अमरीका के मजदूर वर्ग तथा शान्ति प्रेमी जनता के साथ अपनी एकजुटता का इजहार करती है जो कि युद्ध की तैयारियों को रोकने की मांग कर रहे हैं. दमन का सामना करते हुए इजारेदार पूँजी के खिलाफ लगातार संघर्ष करने के लिए सीटू उनको बधाई देती है.

सीटू लैटिन अमरीकी देशों के मजदूर वर्ग को अमरीकी साम्राजियों द्वारा समर्थित प्रतिक्रियावादी सरकारों के खिलाफ दृढ़ता से संघर्ष करने के लिए बधाई देती है. सीटू समाजवादी क्यूबा के खिलाफ अमरीकी आक्रामक योजनाओं की निन्दा करती है और क्यूबा के मजदूर वर्ग तथा जनता के साथ अपनी एकजुटता का इजहार करती है.

सीटू अल्पविकसित देशों के मजदूर वर्ग तथा पीड़ित जनता को गरीबी, भूख, उनके पूँजीवादी शासक वर्गों द्वारा दमन तथा साम्राज्यवाद की नवउपनिवेशवादी कोशिशों के खिलाफ उनके अथक संघर्ष के लिए बधाई देती है.

सीटू शान्ति के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाने, अमरीका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी देशों की युद्ध तैयारियों के कारण काफी रकम सुरक्षा में लगाने के लिए मजबूर होने के बावजूद समाजवादी निर्माण के क्षेत्र में शानदार प्रगति करने, तथा पोलैण्ड में अमरीकी साम्राज्यवादियों के दलालों द्वारा प्रति-

क्रान्ति करने तथा समाजवाद को खतम करने के प्रयासों के खिलाफ प्रभावकारी तरीके से निपटने के लिए समाजवादी देशों के मजदूर वर्ग को बधाई देती है.

भारतीय परिस्थिति : जनता को लूट

विकास के दिवालिया पूँजीवादी रास्ते को अपनाने और पूँजीवादी दुनिया से जुड़े होने के कारण भारत गहरे आर्थिक संकट में फंसा हुआ है. मूल्यवृद्धि और मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है. औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य (आधार वर्ष 1960 = 100) जो जनवरी 1981 में 411 था दिसम्बर 1981 तक 460 तक पहुंच गया. जनवरी 1981 में मुद्रस्फीति 15.9 प्रतिशत थी. इन हालात में सरकार ने जनता के ऊपर 1,300 करोड़ रुपयों का बोझ लाद दिया है. रेलवे बजट ने माल भाड़े और किराए में वृद्धि करके 400 करोड़ रुपयों का बोझ और लाद दिया है और डाक की दरें भी ऊंची कर दी गई.

इतने करों से सरकार को सन्तोष नहीं हुआ और उसने कर्मचारियों का वेतन जाम करने तथा महंगाई भत्ते को रोकने की नीति भी अपना ली है. वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक संस्थान ब्यूरो (बी०पी०ई०) को उत्पादन में वृद्धि के बिना मजदूरों के वेतन न बढ़ाने का आदेश दिया है. अब समस्त मजदूरों विशेष रूप से इस्पात और कोयला मजदूरों के ऊपर खतरे की तलवार लटक रही है.

विदेशी सहायता पर निर्भरता भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थाई विशेषता बन चुकी है. छठी योजना में 13,000 करोड़ रुपये के लगभग विदेशी कर्ज का होगा. भारी कर्जदारी और विश्व बैंक तथा आई०एम०एफ० के कर्जों की शर्तों ने देश की लगातार बढ़ती ब्याज-दर से कर्ज-अदायगी और पुन: कर्ज के भयानक चक्कर में फांस लिया है जिससे देश कभी भी बाहर नहीं निकल सकेगा.

विदेशी कर्ज की अदायगी के लिए वस्तुओं को देशी बाजार से हटाकर विदेशी बाजार में झोंकने के लिए निर्यात थोपा जा रहा है. विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की मांगों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता (सब्सिडी) कम की जा रही है, यातायात खर्च को बढ़ाया जा रहा है तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बेरोक या निर्बाध छूटें दी जा रही हैं. देश के प्रसाधनों को बर्बाद करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीवादी ठगी के द्वारा जनता के ऊपर मुसीबतों का अम्बार खड़ा करने के लिए साम्राज्यवादियों को घुसपैठ करने देने के लिए फेरा (एफ ई आर ए) तथा एम आर टी पी आदि कानूनों को संशोधित किया जा रहा है.

बेरोजगारी

रोजगार केन्द्रों ने पहले ही नौकरी चाहने वालों की संख्या एक करोड़ 70 लाख से ज्यादा दर्ज की है. देहाती क्षेत्रों की बेरोजगारी सहित 1981 के अन्त में बेरोजगारों की कुल संख्या 5 करोड़ अनुमानित की गई. सीटू काम के अधिकार तथा बेरोजगारी सहायता के लिए संघर्ष छेड़ने हेतु विद्यार्थियों, नौजवानों तथा मजदूरों के अन्य तबकों को बधाई देती है, और उनकी मांगों का पूरा-पूरा समर्थन करती है.

बढ़ता अधिनायकवाद

इन्दिरा सरकार ने अपनी इजारेदार, बहुराष्ट्रीय कम्पनी तथा भूस्वामीपरस्त नीतियों के चलते संकट के बोझ को मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता के ऊपर लाद देने का रास्ता अपनाया है. जनतांत्रिक और ट्रेड यूनियन अधिकारों को कम करके मजदूरों की सभी श्रेणियों को अनुशासित करने के लिए एक के बाद एक अधिनायकवादी कदम उठाए जा रहे हैं. पिछले मई दिवस के बाद से हमले तेज हुए हैं. इसने मजदूरों के हड़ताल करने के बुनियादी अधिकार को समाप्त करने के लिए अपने आप को हड़तालों पर पाबन्दी लगाने वाले आवश्यक सेवा अधिनियम जैसे कानून से लैस कर लिया है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 16 उद्योगों को आवश्यक घोषित कर दिया है. सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धान्तों तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों को पैरों के तले रौंदा जा रहा है. सरकार अपनी दलाल यूनियन 'इंटक' को संरक्षण दे रही है तथा समस्त ट्रेड यूनियनों के, विशेष रूप से सीटू के संयुक्त संघर्षों को पुलिस और समाज विरोधी तत्वों की मदद से क्रूरता के साथ दबा रही है. न्यायपालिका को अपनी मजदूर विरोधी नीतियों के वशीभूत करने तथा राष्ट्रपतीय प्रणाली की सरकार थोपने के प्रयास निर्बाध रूप से जारी हैं.

वाम नेतृत्व की सरकारों के प्रति असहनशीलता

इस बीच जनवाद और तानाशाही की शक्तियों के बीच संघर्ष तेज हुआ है. इन्दिरा कांग्रेस के नेतृत्व में तानाशाही की ताकतों ने वामपंथी नेतृत्व वाली सरकारों को अस्थिर करने की अपनी घृणित योजनाओं को तेज कर दिया तथा केरल में अल्पमत की सरकार थोपने की तिकड़मबाजी की, परन्तु अध्यक्ष के वोट से चलने वाली केरल सरकार को स्थिर बनाने की हर कलाबाजी नाकामयाब होने के बाद लोकतांत्रिक ताकतों की मांगों को स्वीकार करते हुए नये चुनाव कराने का आदेश देना पड़ा. पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार के खिलाफ भी इस तरह के हमले शुरू किये गये, परन्तु अन्त में जनतांत्रिक

चुनावों को स्थगित करने के इनके सारे प्रयास नाकामयाब सिद्ध हुए.

फूटपरस्त और पृथकतावादी ताकतें

सीटू देश की एकता और अखण्डता को चुनौती देने वाली फूटपरस्त तथा पृथकतावादी ताकतों के खिलाफ सतर्क रहने और संघर्ष करने के लिए मजदूर वर्ग का आवाहन करती है. मजदूर वर्ग को इस तथ्य को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि साम्राज्यवादी ताकतें पूंजीवादी रास्ते के चलते विभिन्न इलाकों, पिछड़ी जातियों और जनजातियों के असमान और धीमे विकास का पूरा पूरा फायदा उनकी उचित मांगों को पृथकवादी रास्ते की तरफ मोड़ देने और राष्ट्र की एकता को खण्डित करने के लिए उठा रही है. देश के विभिन्न कोनों में फूटपरस्त नारों तथा साम्प्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है. सीटू आसाम, त्रिपुरा और अन्य स्थानों की जनता को इन अलगाववादी शक्तियों को परास्त करने के लिए जोरदार संघर्ष छेड़ने तथा राष्ट्र की अखण्डता को बनाए रखने के लिए बधाई देती है. मजदूर वर्ग को अल्पसंख्यक समुदायों व पिछड़ी हुई जन जातियों और जातियों की मांगों के लिए अवश्य संघर्ष करना चाहिए जिसके बिना वह अपनी नेतृत्वकारी भूमिका नहीं अदा कर सकता है.

बढ़ते संघर्ष

सीटू सरकार की अधिनायकवादी तथा मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ जुझारू और एकजुट संघर्ष छेड़ने के लिए मजदूर वर्ग का अभिनन्दन करती है. पिछले एक वर्ष में, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक तथा अन्य प्रदेशों में विभिन्न उद्योगों में बड़े-बड़े संघर्ष हुए हैं. बम्बई कानपुर तथा देश के अन्य हिस्सों में कठिन लम्बे संघर्ष चल रहे हैं.

सीटू मई दिवस के अवसर पर राज्य कमेटियों, सम्बद्ध यूनियनों तथा सक्रिय कार्यकर्ताओं को आसाम के चाय बागन में, कानपुर जे० के० रेयन और जूट मिल तथा हरियाणा के विभिन्न केन्द्रों में पुलिस और इंटक के गुन्डों द्वारा क्रूर दमन का सामना करते हुए दीर्घकालीन संघर्ष चलाने के लिए बधाई देती है. सीटू सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य वेतनभोगी कर्मचारियों को बिहार, राजस्थान उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य स्थानों में मजबूती से संघर्ष करने के लिए बधाई देती है.

कीमतों में लगातार वृद्धि, वास्तविक वेतन में गिरावट, लोकतांत्रिक और जनवादी अधिकारों के क्रूर दमन, पुलिस तथा मालिकों के गुण्डों द्वारा गोली चलाने और हत्याएं करने गिरफ्तारियों, बन्दी और तालाबन्दी आदि पूंजीवादी विकासमार्ग की समस्त बीमारियों ने सरकार की पूंजीपति-जागीरदार-परस्त नीतियों को बदलने के लिए मजदूर वर्ग को एकजुट संघर्षों का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है. संगठित ट्रेड यूनियन आन्दोलन में बढ़ रही इस समझदारी को—कि मेहनतकश जनता की एकजुट ताकत खड़ी करने में ही समस्या का हल है—सीटू ने नोट किया है तथा व्यापकतम सम्भव एकता पैदा करने का पुरजोर प्रयास किया है. 4 जून 1981 के बम्बई सम्मेलन ने राष्ट्रीय अभियान समिति के गठन को सम्भव बनाया तथा कीमतों में वृद्धि और सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट संघर्ष छेड़ने के लिए रास्ता तैयार किया। इस सम्मेलन ने न केवल मजदूरों किसानों तथा खेतिहर मजदूरों की फौरी अर्थिक मांगों के लिए बल्कि आम जनता की मांगों जैसे जनतांत्रिक अधिकारों की मांगें आदि के लिए भी संघर्ष को सम्भव बना दिया. 23 नवम्बर को संसद पर लगभग 5 लाख मजदूरों, किसानों, खेतिहर मजदूरों, विद्यार्थियों नवजवानों तथा महिलाओं के ऐतिहासिक प्रदर्शन ने उनकी आगे बढ़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा को प्रदर्शित किया.

19 जनवरी की देशव्यापी आम औद्योगिक हड़ताल ने भारत में मजदूर वर्ग के संघर्षों के इतिहास में एक नये अध्याय का सृजन किया है. एक करोड़ 20 लाख इतिहास के निर्माताओं ने अभूतपूर्व दमन का सामना करते हुए सरकार की नीतियों में परिवर्तन की मांग की. इसके बाद के संघर्षों तथा 23 फरवरी के दमन-विरोधी दिवस आदि आन्दोलनों ने बहुत से मालिकों को हड़ताल में हिस्सा लेने के लिए- मजदूरों पर थोपे गये दमनकारी कदमों को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया.

मजदूर किसान एकता

सीटू मई दिवस के अवसर पर मजदूरों को यह महसूस करने का आह्वान करती है कि किसान और गांव के गरीब संघर्षों के मैदान में उतर रहे हैं और मजदूरों को उनके साथ सामान्य मांगों के लिए संघर्ष करना चाहिए.

जब तक मजदूर वर्ग इनकी समस्याओं को नहीं उठाता तथा उनके संघर्षों का समर्थन नहीं करता और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन तथा मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त करने के संघर्ष में किसानों को अपने साथ नहीं जोड़ता तब तक वह अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को अदा नहीं कर सकता. बम्बई सम्मेलन ने एक सही कदम उठाया है. मई दिवस किसानों और खेतिहर मजदूरों की मांगों के लिए संघर्ष करने तथा संघर्ष में एकता के लिए उनके साथ दृढ़ मैत्री स्थापित करने के लिए मजदूर वर्ग को प्रेरणा दे.

(शेष पृष्ठ 18 पर)

पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार

विनय चौधरी

मंत्री, भूमि एवं भूमि सुधार विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार

पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार ने अपना पूरा कार्यकाल लगभग पूरा कर लिया है और अब नये चुनावों का सामना कर रही है. अतः इस सरकार के द्वारा भूमि सुधार के क्षेत्र में किए गये कार्यों का वस्तुगत मूल्यांकन वाममोर्चा सरकार द्वारा उठाए गये कदमों के महत्त्व तथा पश्चिम बंगाल राज्य में विभिन्न ताकतों के बीच सह-सम्बन्धों को बदलने के लिए मजदूरों और किसानों के बीच एकता के लिए पैदा की गई नई सम्भावनाओं को सही रूप में समझने में काफी कुछ मददगार साबित होगा.

शुरू में ही इस बात को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि वाममोर्चा सरकार का उद्देश्य कृषि क्रान्ति के कार्यों को पूरा करना अथवा इस उद्देश्य के लिए कृषि क्षेत्र में सामन्ती और अर्धसामन्ती उत्पादन सम्बन्धों को पूरी तरह से खतम करना नहीं है. क्योंकि वर्तमान संविधान के ढांचे के अन्दर और राज्य सरकारों को प्राप्त बहुत ही सीमित ताकतों के साथ यह सब कर सकना कतई असम्भव है. यह उद्देश्य जनता की जनवादी क्रान्ति के अभिन्न हिस्से के रूप में केवल पूर्ण कृषि क्रान्ति के द्वारा हासिल किया जा सकता है.

वाममोर्चा सरकार परिस्थितियों के मुताबिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए ऐसे कदम उठा रही है जो उन खेत-मजदूरों, बटाईदारों, तथा छोटे किसानों को उत्साहित और संगठित करने में मददगार हो जो सम्पूर्ण कृषक समुदाय का 75 प्रतिशत हिस्सा हैं और देहाती क्षेत्र में वास्तविक भूमि सुधार के लिए गम्भीर परिवर्तन ला सकने में सक्षम वास्तविक शक्ति है. वाममोर्चा सरकार इस महत्त्वपूर्ण कार्य के अलावा मध्यमवर्गीय किसानों से दृढ़ मैत्री स्थापित करने तथा धनी किसानों के एक अच्छे खासे समूह को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही है, जिससे कि देहाती क्षेत्र में वर्ग-शत्रुओं को प्रभावकारी ढंग से अलग-थलग किया जा सके और उन्हें कब्जे में रखा जा सके.

ऊपरोक्त लक्ष्यों के साथ वाममोर्चा सरकार ने लक्ष्य-समूहों का चयन किया है जिनके लिए यथोचित कदम उठाए जाने हैं.

खेत मजदूर

खेतमजदूर प्रथम लक्ष्य समूह हैं. इसस मुदाय की तीन जरूरी समस्याओं को शीघ्र हल करने के लिए लिया गया है; (1) खेतमजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन; (2) कम काम के महीनों में काम के बदले अनाज योजना के तहत काम उपलब्ध कराना; (3) उन्हें मकान के लिए भूमि प्रदान करना. सरकार ने आठ रुपये दस पैसे न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया था. न्यूनतम वेतन को लागू करवाने के लिए प्रशासनिक कदम उठाए गये हैं और स्वयं खेतमजदूर भी अपना हक हासिल करने के लिए आन्दोलन और संघर्ष कर रहे हैं. परिणामस्वरूप हर जगह वेतन में दो से तीन रुपयों तक की वृद्धि हुई है और बहुत सी जगहों पर खेत मजदूर वेतन स्वरुप आठ रुपये दस पैसे हासिल करने में सफल हुए हैं. अभी हाल में न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 9 रुपये 56 पेसे कर दिया गया है.

चुनी हुई पंचायतों के द्वारा लागू की गई काम के बदले अनाज योजना ने मार्च 1981 तक 20 करोड़ कार्यदिवस पैदा किए और खेत मजदूरों को युगों पुरानी दासता से मुक्त कराने तथा उनकी हालत में सुधार लाने के लिए काफी योगदान किया. इससे अनाज की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिली. इन कदमों ने उनमें उत्साह पैदा किया तथा बहुत बड़ी संख्या में उन्हें संगठित करने में मदद पहुंचायी. वे लगातार यह महसूस कर रहे हैं. कि यह वाममोर्चा सरकार उनकी अपनी सरकार है तथा हितों की समरुपता बढ़ रही है. पश्चिम बंगाल किसान सभा के 46 लाख सदस्यों में से 20 लाख खेतमजदूर हैं.

बटाईदारों के लिए

दूसरा लक्ष्य समुदाय है बटाईदार. उनकी प्रमुख सस्याएँ हैं; (1) बेदखली; (2) अधिकारों की सुरक्षा. (3) उन्हें कर्ज की युगों पुरानी दासता से मुक्त कराने के लिए संस्थाओं से आर्थिक सहायता. वाममोर्चा सरकार ने इन तीनों समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठाए हैं.

गैरकानूनी बेदखली को रोकने के लिए भूमि सुधार कानून में आवश्यक संशोधन किए गये हैं. अनुभव से हम यह जानते हैं कि बेदखली का काम स्वयं जोतने के लिए पुनर्ग्रहण से सम्बन्धित धाराओं के आधार पर किया जाता है. इसलिए स्वयं जोतने की परिभाषा में तीन शर्तें जोड दी गई हैं; (1) यदि कोई स्वयं जोतने के लिए भूमि को पुनर्ग्रहण का इरादा करता है तो उसे यह सिद्ध करना होगा कि उसकी जीविका का मुख्य जरिया उक्त जमीन ही है; (2) उसे पूरे वर्ष के अधिकांश समय में उक्त जमीन से आठ किलोमीटर के अन्दर रहना होगा; (3) ग्रहण

करने के बाद उसे उक्त जमीन स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के श्रम से जोतनी होगी.

ताकि बटाईदार कानून द्वारा प्राप्त अधिकारों का उपभोग कर सकें इसलिए उनका नाम अधिकार अभिलेख में कानूनन दर्ज किया जाना चाहिए. इसके लिए वाममोर्चा सरकार ने समयबद्ध कार्यक्रम अपनाया है, जिसे "आपरेशन बर्गा" के नाम से जाना जाता है. इस 'आपरेशन बर्गा' की मुख्य विशेषताएँ हैं उन इलाकों का पता लगाना जहां बटाईदार काफी संख्या में रहते हैं और वहां सायंकालीन सभाएं करके बटाईदारों को अपने नाम दर्ज कराने की आवश्यकता और उपयोगिता के बारे में समझाना और उत्साहित करना तथा उसके बाद अधिकारियों की टीम भेजकर तीन चार दिनों के अन्दर अन्दर स्थानीय पंचायतों के सहयोग से तेजी के साथ कानून के मुताबिक नाम दर्ज करवाना. यह तरीका बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध हुआ. जहां 30 वर्षों के अन्दर केवल 2 लाख 75 हजार ही बटाईदार दर्ज किए जा सके थे वहां इस तरीके को अपनाकर पिछले तीन वर्षों में अब तक 11 लाख से भी अधिक बटाईदारों को दर्ज करना सम्भव हो सका है, जब कि आपरेशन बर्गा का काम 1978 में भयानक बाढ़ तथा पंचायत और लोकसभा चुनावों के कारण अबाध रूप से नहीं किया जा सका.

पहले बटाईदार उपभोग और कर्जों के कारण जोतदारों के द्वारा भयानक शोषण का शिकार होते थे. उन्हें इस गुलामी से मुक्त कराने के लिए वाममोर्चा सरकार ने बटाईदारों के लिए संस्थागत आर्थिक सहायता की व्यवस्था की है. इन कर्जों पर केवल 4 प्रतिशत का ब्याज है जब कि पहले उन्हें 100 प्रतिशत से लेकर 150 प्रतिशत तक की दर से ब्याज देना पड़ता था. यदि बटाईदार अगले वर्ष के 31 मार्च तक अपना कर्ज अदा कर देते हैं तो उनके ब्याज की अदायगी स्वयं वाम-मोर्चा सरकार करेगी और इस प्रकार बटाईदारों का कर्ज ब्याज-मुक्त हो जायगा. इन कदमों ने बटाईदारों पर हितकारी प्रभाव डाला है और वे सब वाममोर्चा सरकार के दृढ़ समर्थक बन गये हैं.

छोटे और मध्यम किसान

तीसरे लक्ष्य समुदाय में छोटे और मध्यम किसान आते हैं. वाममोर्चा सरकार ने समुदाय के लिए लगान एवं कर्जों के बोझ आदि के सिलसिले में सहायता की योजनाएं चालू की हैं. वाममोर्चा सरकार ने सत्ता सम्भालने के तुरन्त बाद ही सिन्चित क्षेत्रों में चार तथा असिन्चित क्षेत्रों में छः एकड़ तक लगान को माफ कर दिया और बाकी में भी लगान की राशि पहले से आधी कर दी. यह कदम किसानों की सभी श्रेणियों को यहां तक कि धनी किसानों को भी जीत सकने में सक्षम साबित हुआ.

इसके बाद पिछले वर्ष एक कानून बनाकर लगान व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया तथा 50 हजार रुपये से ऊपर की भूसम्पत्ति पर भूमिकर लगाने की व्यवस्था चालू की गई. लगान की धारणा कृषक स्वामित्व की धारणा से मेल नहीं खाती है क्योंकि लगान भूमि जोतने वाले की तरफ से भूमि के स्वामी को दी जाने वाली भेंट है. इस योजना से 80 प्रतिशत भूसम्पत्ति हर प्रकार के कर से मुक्त है. क्रमशः बढ़ने वाली अर्थात् कम जोत पर कम और अधिक जोत पर अधिक कर लगाने की नीति सिद्धान्ततः ज्यादा न्यायसंगत है. यह योजना राज कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है, यद्यपि यह कुछ संशोधित रूप में अपनाई गई है. वाममोर्चा सरकार अधिकारिक रूप से दावा कर सकती है कि वह इस क्षेत्र में पूरे भारत में पथप्रदर्शक का काम कर रही है.

धनी किसानों सहित सम्पूर्ण कृषक समुदाय को लाभान्वित करने के लिए वाममोर्चा सरकार उनके उत्पादनों के लिए, जब कभी इन उत्पादनों की कीमतें बहुत तेजी से गिरने लगती हैं, लाभकारी कीमत दिलाने का प्रयास कर रही है, विशेष रूप से जूट और आलू आदि जैसी व्यापारिक फसलों के लिए. वाम-मोर्चा सरकार इन उत्पादनों को सरकार द्वारा घोषित कीमतों पर खरीदने के लिए स्वयं आगे आती है.

भूमि वितरण

ऊपरोक्त कदमों के अलावा वाममोर्चा सरकार 12 लाख एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण करने में सफल हुई है और इस समय 3 लाख 45 हजार एकड़ अधिग्रहीत भूमि खेतमजदूरों तथा गरीब किसानों में बांट रही है. इस प्रकार पहले वितरित की गई 6 लाख 14 हजार एकड़ जमीन को जोड़कर राज्य में वितरित कुल जमीन की मात्रा 10 लाख एकड़ के लगभग हो जायगी जो कि पूरे भारत में बांटी गई कुल जमीन की लगभग आधी है.

वाममोर्चा सरकार 26 जून 1975 को अथवा तब से काबिज-भूमिहीन खेतमजदूरों, कारीगरों और मछुवारों के लिए के आठ दशमलव तक आवासीय भूमि दर्ज कर रही है. ये कदम उन्हें आवासीय भूमि की सुरक्षा प्रदान करेंगे. उन्हें मकान बनाने के लिए कर्ज भी दिया जायगा.

वाममोर्चा सरकार अधिग्रहीत भूमि प्राप्त करने वालों के लिए सहकारिता सेवाएं संगठित करने का भी प्रयास कर रही है. इससे कृषि की पैदावार बढ़ाने में काफी मदद मिल सकती है.

पश्चिम बंगाल विधान सभा ने 9 अप्रैल 1981 को भूमि सुधार कानून में व्यापक संशोधन किए हैं. इससे निर्धारित सीमा से अतिरिक्त जमीन का पता लगाने तथा उसे दखल

(शेष पृष्ठ 26 पर)

साम्राज्यवादी युद्ध के खतरे के खिलाफ लामबंद हो

नृपेन चक्रवर्ती

मुख्य मंत्री, त्रिपुरा सरकार

मई दिवस मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और संघर्ष का दिन है. इस साल, अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना करते हुए साम्राज्यवाद ने, खासतौर से अमरीकी साम्राज्यवाद ने, न केवल एशियाई तथा लैटिन अमेरिकन देशों में बल्कि यूरोप में भी न्यूक्लीयर हथियारों को जमा करने के लिए युद्ध अड्डों का निर्माण करना शुरू कर दिया है. इसने युद्ध के खतरे को वास्तविक बना दिया है. पूँजीवादी देशों में, संकट के पूरे बोझ को मेहनतकश जनता के कंधों पर लादा जा रहा है, और जहां कहीं भी मेहनतकश जनता इस बोझ को कबूल करने से इंकार करती है वहां अर्द्ध-फासीवादी चरित्र का दमन ढ़ाया जाता है तथा जनवाद सबसे पहला निशाना बनता है. यह भारत के लिए भी उतना ही सत्य है जितना कि किसी अन्य पूँजीवादी देश के लिए.

अमरीकी साजिश

अमरीकी साम्राज्यवाद यह जानता है कि भारत एक विशाल देश है तथा एकजुट जनवादी संघर्ष इसकी प्रशंसनीय परम्परा हैं. बहुजाति देश होने के बावजूद भी ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के खिलाफ लम्बे संघर्ष में भारतीय जनता का एकजुट होना संभव हुआ, हालांकि ब्रिटि साम्राज्यवादी जानते थे कि भारत को अंदर से कमजोर किए बिना, जनता के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से भिड़ाए बिना, हमारे देश में प्रभुत्व जमाना संभव नहीं हो सकता.

केन्द्र में श्रीमती गांधी और उनकी सरकार इस युद्ध के खतरे को भलीभांति जानती हैं. पाकिस्तान को हथियार देना और डिएगो गार्सिया में न्यूक्लीयर अड्डों के निर्माण से यह ठीक ही पता चला कि इन स्थानों से भारतीय स्वतंत्रता को वास्तविक खतरा हो सकता है. बंगलादेश की हाल ही की घटनाएं और वहां के फौजी तानाशाह द्वारा पैदा की गई राजनीतिक अस्थिरता हमारे लिए संभव खतरा है. श्रीमती गांधी भी यह जानती हैं कि हमारे कठिन दिनों में केवल सोवियत संघ ही हमारा एक विश्वसनीय साथी था और हमारी सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि सभी डांवाडोल क्षणों में परखी गई है. लेकिन युद्ध के खतरे के बारे में बोलते हुए श्रीमती गांधी बिलकुल स्पष्ट नहीं हैं. वे दो 'महान शक्तियों' को बराबर बताती हैं जैसे कि विश्व शांति को दोनों से ही खतरा हो.

इंदिरा सरकार द्वारा आत्मसमर्पण

इसीप्रकार, प्रधान मंत्री लगता है, जब ठीक ही इस पर जोर देती हैं कि देश की रक्षा हर हालत में करनी है, यह भूल जाती हैं कि यदि जनता को भुला दिया जाए तो चाहे जितने भी आधुनिकतम व जटिल हथियार क्यों न हों वे देश की रक्षा नहीं कर सकते. उन द्वारा शर्मनाक शर्तों पर आई.एम.एफ. कर्ज को स्वीकार करना, उनकी कराधान व आर्थिक नीति, उन द्वारा बड़े व्यापार व काले-धन के प्रति चाहत, उन द्वारा सुरक्षा खर्च के बोझ को एकाधिकारियों पर डालने से इंकार करना, ये सब यह दिखाते हैं कि वह आगामी खतरे के प्रति गम्भीर नहीं हैं. वह 1982 वर्ष को 'उत्पादन वर्ष' के रूप में मनाने की बात करती हैं जबकि जनता के कल्याण की देखभाल करने से इंकार करती हैं, जिनकी सक्रिय भूमिका के बिना उत्पादन सम्भव नहीं है. इसीप्रकार बड़े व्यापार के हितों के लिए वह किसानों के उत्पादन के लिए लाभकारी दाम देने से इंकार करती हैं. इतना ही नहीं, उनकी जायज मांगों व कानूनी ट्रेड यूनियन गतिविधियों को दबाने के लिए, वह एन.एस.ए., एस्मा आदि जैसे सख्त कानून बनाती हैं.

मेहनतकश जनता की भूमिका

इसलिए इस मई दिवस पर हमारे देश का केवल मजदूर वर्ग ही जनता को युद्ध के खतरे के खिलाफ सही तरह से चेतन कर सकता है. केवल वे ही साम्राज्यवाद के खिलाफ, मुख्य-तौर पर अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ, शांति की सभी ताकतों को लामबन्द कर सकते हैं; केवल वे ही बड़े-व्यापारी-जमींदाराना हमलों के खिलाफ और जीवनयापन के हालात, जिनपर लगातार हमले हो रहे हैं, की बेहत्तरी के लिए संघर्ष कर सकते हैं. केवल मेहनतकश जनता ही जनवाद की रक्षा के लिए सभी अधिनायकवाद-विरोधी ताकतों को लामबंद करने में अपनी अगुवा भूमिका निभा सकती है जिसके बिना साम्राज्यवाद का प्रतिरोध करने की कल्पना नहीं की जा सकती.

राष्ट्रीय एकता की रक्षा करो

इसीप्रकार केन्द्र में श्रीमती गांधी और उनकी सरकार राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए काफी चिंतित प्रतीत हो रही

(शेष पृष्ठ 26 पर)

युद्ध और महिलाएं

विमला रणदिवे

हर व्यक्ति को यह मानना होगा कि युद्ध का खतरा पहले कभी इतना गम्भीर नहीं था, जितना कि यह आज है. अमरीकी जनता सहित सारी दुनिया के लोग अमरीकी साम्राज्यवादियों तथा सहयोगियों के — जिन्होंने सम्पूर्ण मानवता के विनाश का खतरा पैदा करने वाले न्यूट्रान बमों तथा अन्य हथियारों को प्रयोग में लाने का निर्णय लिया है—के इस पागलपन को रोकने के लिए अपनी आवाज बुलन्द कर रहे हैं. 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में एक करोड़ लोगों की जानें गई थीं. 1914 के द्वितीय विश्व युद्ध में साढ़े पांच करोड़ लोग मारे गये. अब यदि न्यूक्लीयर युद्ध शुरू किया गया तो इस बार मरने वालों की संख्या दस हजार गुना अधिक होगी.

महिलाएं और बच्चे सबसे पहले शिकार

महिलाएं तथा विशेष रूप से सबसे पहले युद्ध के शिकार बनते हैं और भयानक कष्टों का सामना करते हैं. दो विश्व युद्धों, वियतनाम और कम्पूचिया के युद्धों तथा फिलिस्तीन, चिली, निकारागुआ, दक्षिण अफ्रीका और अन्य जगहों—जहां साम्राज्यवादी देशों और प्रतिक्रियावादी शासकों के आक्रमण जारी हैं—के वर्तमान युद्धों से यह पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है. बमबारी से हजारों महिलाएं मौत के घाट उतर जाती हैं, दसियों हजार महिलाएं विधवा हो जाती हैं तथा बच्चे अनाथ हो जाते हैं. सैनिकों द्वारा महिलाओं के साथ बलात्कार व छेड़छाड़ की जाती है तथा उन्हें तरह तरह से परेशान किया जाता है. "अत्यंत कठिन हालात में रह रही महिलाओं तथा बच्चों" पर विशेष आयोग की प्राग में हुई बैठक में महिला प्रतिनिधियों ने अमरीकी साम्राज्यवादियों, दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदवादी सरकार तथा प्रतिक्रियावादी शासकों द्वारा अत्याचारों की दुःख भरी कहानियां सुनाई जिनसे सुनने वालों की आंखों में आंसू आ गये तथा उनमें गुस्सा पैदा हो गया. इन नृशंस अत्याचारों के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर भी प्रश्न उठाया गया.

हथियारों की दौड़ कामगार महिलाओं पर एक बहुत बड़ा बोझ है जिसके परिणामस्वरू उन्हें बेरोजगारी तथा कम वेतन का सामना करना पड़ रहा है. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के अनुसार 57 करोड़ 50 लाख महिलाएं नौकरी पेशे में लगी हुई हैं, जो कि दुनिया की कुल श्रम-शक्ति का 35 प्रतिशत हैं. यद्यपि उनकी संख्या कुल श्रम-शक्ति के एक तिहाई से कुछ ज्यादा ही है परन्तु फिर भी उन्हें कुल विश्व-राजस्व का दसवां हिस्सा ही मिलता है. युद्ध की तैयारियों के कारण आर्थिक संकट, मुद्रास्फीति तथा घरेलू चाकरी के बोझ से दबी महिलाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा वेश्यावृत्ति का जीवन बिताने के लिए मजदूर है.

हथियारों की बजाए स्कूल शिक्षा और अस्पताल

महिलाएं और बच्चे युद्ध छिड़ने से पहले ही कष्टों का सामना करने लगते हैं क्योंकि सैनिक खर्चों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है तथा उसके बाद लगभग निश्चित रूप से सामाजिक खर्चों में कटौती कर दी जाती है.

यह एक सच्चाई है कि दुनिया में 70 से 75 करोड़ बैरल तेल प्रति वर्ष सैनिक जरूरतों पर खर्च किया जा रहा है. आज हथियारों की दौड़ पर प्रतिवर्ष खर्च की जा रही कुल रकम के मात्र 10 प्रतिशत से सारी दुनिया के भूखे बच्चों को खाना उपलब्ध कराया जा सकता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 10 वर्षों में चेचक की बीमारी को खतम करने के लिए 8 करोड़ 30 लाख डालर खर्च किए हैं. इतनी सारी रकम से केवल एक आधुनिक बमवर्षक खरीदा जा सकता है. हम यह जानते हैं कि विश्व-स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया-उन्मूलन कार्यक्रम धन की कमी के कारण रोक दिया गया है. पूर्ण न्यूक्लीयर निरस्त्रीकरण से 20 हजार से अधिक वैज्ञानिक और इन्जीनियर मुक्त हो सकते हैं और वे विकासशील देशों में शान्तिपूर्ण न्यूक्लीयर कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं.

संयुक्त खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार सारी दुनिया की आधी आबादी को पूरा भोजन प्राप्त नहीं होता है और 1985 तक दुनिया में साढ़े आठ करोड़ टन खाद्यान्न की कमी होगी. भारत में इसका मतलब होगा आवश्यक राशि में 11 प्रतिशत की कमी.

भारतीय स्थिति कोई अलग नहीं

भारत में भी हमारे तजुर्बे इस बात को साबित करते हैं.

सुरक्षा पर कुल खर्च 1976-77 के 2,563 करोड़ से 1981-82 में 4,500 करोड़ रुपयों तक पहुंच गया है. इस वर्ष सुरक्षा पर कुल खर्च 5,684 करोड़ रुपये होगा जो कि पिछले वर्ष से 11 प्रतिशत अधिक है तथा 1981-82 की वार्षिक योजना में सामाजिक कल्याण पर खर्च की जाने वाली कुल राशि से दस गुना अधिक है.

1981-82 में सामाजिक कल्याण, पिछड़ी जातियों के कल्याण, गृहनिर्माण, क्षेत्रीय विकास, जन आपूर्ति, सफाई तथा

स्वास्थ्य आदि पर कुल खर्च 1,986.9 करोड़ रुपये था जो इसी वर्ष के कुल सुरक्षा खर्च के आधे से भी कम है.

छटी योजना के दूसरे वर्ष 1981-82 में कल्याणकारी कार्यों पर कुल खर्च धीरे-धीरे कम हो गया जब कि सामाजिक-कल्याण पर कुल खर्च वार्षिक योजना के कुल खर्च का 0.32 प्रतिशत ही था. पिछड़े क्षेत्रों के कल्याण के लिए खर्च की कुल राशि 2.91 प्रतिशत हो गई जब कि शहरी और क्षेत्रीय विकास के लिए गृह-निर्माण पर कुल राशि 2.47 प्रतिशत ही थी. जल आपूर्ति एवं सफाई तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल खर्च 1981-82 के लिए वार्षिक योजना राशि का क्रमश: 3.66 प्रतिशत तथा 2.15 प्रतिशत ही रहा. 1981-82 में खाद्यानों पर दी गई सहायता इसी वर्ष के कुल सुरक्षा खर्च के छठे हिस्से से भी कम थी.

बढ़ता शान्ति आन्दोलन

लैटिन अमेरिका, युरोप, पश्चिम एशिया, दक्षिण अफ्रीका के देशों तथा साम्राज्यवादी अत्याचारों का अनुभव करने वाले अन्य क्षेत्रों के लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया है. युरोप के साधारण पुरुषों और महिलाओं ने अपने देश में न्यूट्रान बम के फौरी खतरे को महसूस किया है अत: वे रीगन प्रशासन तथा नाटो देशों के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द कर रहे हैं. नवीनतम सूचनाओं के अनुसार अमरीका क्यूबा को मुख्य निशाना बनाते हुए कैरिबियन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर समुद्री युद्धाभ्यास की योजना बना रहा है.

ब्रिटिश महिलाओं का शांति मार्च

इस अभियान में ब्रिटिश महिलाओं की हिस्सेदारी एक महत्वपूर्ण बात है. सैनिक अड्डों पर प्रदर्शन आयोजित करके तथा संसद पर निगरानी रखके वे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं. वे साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ जनता में चेतना पैदा करने के लिए युद्ध व जनता पर उसके प्रभावों के विषय में साहित्य निकाल रही हैं.

प्रथम समुद्री मिसाइल लगाए जाने के खिलाफ़ पहला प्रतिरोध ब्रिटिश महिलाओं के द्वारा दक्षिण इंग्लैण्ड में ग्रीनहम कामन नामक छोटे से नगर में किया गया. पिछली गर्मियों में 40 महिलाओं ने वेल्ज में कर्डिफ से ग्रीनहम कामन तक 110 मील पैदल मार्च किया, उनका नारा था, "क्रूज और घातक अमरीकी हथियारों का बहिष्कार करो."

कुछ ही दिनों में वहां बुलडोजर पहुंच गये और औरतें रास्ते में बैठ गई और काम को रोक दिया. परन्तु महिलाएं दृढ़प्रतिज्ञ थीं. 28 दिसम्बर को महिलाओं ने क्रूज मिसाइलें लगाने के लिए एक और स्थान नाल्सवर्थ, कैम्ब्रिज के नजदीक में कैम्प लगाया. विरोध करने वालों का काफिला जारी है. उनका नारा है, "बुलडोजर नही चलने देंगे."

कोपेनहेगन से युरोप तक 200 महिला प्रतिनिधियों के साथ यात्रा करने वाली इस शान्ति मार्च की नेता विन्चे सोरेन्जर का हजारों पुरुषों और महिलाओं द्वारा स्वागत किया गया. नाटो देशों के खिलाफ जायज गुस्सा पैदा करते हुए ये महिलाऐं शान्तिप्रिय युरोपीय जनता की नायिकाऐं बन गई.

आइए शान्ति के लिए संघर्ष करें

हमें साम्राज्यवाद के असली चरित्र और वियतनाम, कम्पूचिया तथा अन्य देशों में महिलाओं और बच्चों द्वारा झेली गई मुसीबतों के विषय में उपलब्ध साधनों से जानकारी देने के लिए भारत के शहरों और गांवों की महिलाओं को लामबन्द करना है. ट्रेड यूनियनों, महिला संगठनों, विद्यार्थियों तथा युवकों को यह कार्य करना होगा. युद्ध के विरुद्ध इस शान्ति संघर्ष में महिलाओं के सभी तबके शामिल हो सकते हैं, चाहे वे किसी भी राजनीतिक पार्टी अथवा सामाजिक संगठन से सम्बन्धित क्यों न हों. पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियारों से लैस करने तथा डियागो गार्सिया के नौसैनिक अड्डे को मजबूत बनाने सम्बन्धी अमरीकी साम्राज्यवादियों के निर्णय ने युद्ध के खतरे को हमारे दरवाजे तक पहुंचा दिया है.

भारतीय महिलाओं को पाकिस्तान तथा अन्य पड़ोसी देशों की महिलाओं के साथ मिलकर इस युद्ध के खतरे के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए. इस महाद्वीप के तमाम देशों के बीच शान्ति और मित्रता के लिए काम करना चाहिए तथा प्रसाधनों को विनाशकारी उद्देश्यों के लिए लगाए जाने से रोकना चाहिए. हमें आपसी सहयोग से शान्ति और आर्थिक प्रगति के लिए कार्य करना चाहिए.

कोपेनहेगन शान्ति मार्च की संगठनकर्त्ता और नेता विन्चे सोरेन्जर ने प्राग में विश्व महिला सम्मेलन के खुले अधिवेशन में भाषण करते हुए तमाम दुनिया की महिलाओं की भावनाओं तथा विचारों को व्यक्त किया :

"इस संघर्ष में हम बहुत बड़ी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों के हितों की रक्षा कर रहे हैं. बच्चे युद्ध की विभीषिका में जल रहे हों और माताएं हाथ बांधें बैठी सब कुछ देखती रहें, ऐसा नहीं हो सकता. मैं स्वयं युद्ध से, विशेष रूप से न्यूक्लीयर युद्ध से बहुत भयभीत हूं. इसलिए हमने अवश्य ही कुछ न कुछ करने का निर्णय किया है. हम महसूस करते हैं कि हम काफी शक्तिशाली हैं और हम अवश्य ही अपने उद्देश्य में सफल होंगे"

हम सबके लिए इस सम्मेलन का सन्देश है कि, "आओ हम अपनी आवाज को इतना बुलन्द करें कि बहरेपन का ढोंग करने वाले भी हमारी आवाज को सुन सकें आओ हम एक साथ संघर्ष करें. एकजुट होकर हम अपनी जनता और सम्पूर्ण मानवता की रक्षा कर सकते हैं." आइए इस मई दिवस के अवसर पर हम इस संदेश को अपने देश के घर-घर में पहुंचा दें तथा शान्ति के लिए शक्तिशाली आन्दोलन का निर्माण करें. □

मई दिवस—1982

(पृष्ठ 8 से आगे)

अधिनायकवाद को शिकस्त दो

आज समूचे भारत में कांग्रेस (आई) की चुनौती, इसका मनमाना व भ्रष्ट शासन, धराशयी कानून व व्यवस्था के साथ न्यायपालिका पर हमलों के साथ, और सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने की कोशिश के साथ लगातार फैल रही है. इसका मुकाबला अन्य जनवादी ताकतों के साथ मिलकर हर कदम पर करना है. ट्रेड यूनियन आन्दोलन व अधिनाकवाद के विरोधी राजनीतिक दलों में स्थापित सहयोग को आगे बढ़ाना है. खास तौर से, ट्रेड यूनियन आन्दोलन को वामपंथी दलों के साथ, जो अधिनायकवाद के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रही है, सहयोग के गहरे सम्बंध स्थापित करने चाहिए.

पश्चिम बंगाल व केरल में होने वाले चुनाव इन राज्यों के मजदूर वर्ग व भारत के समूचे मजदूर वर्ग का कांग्रेस (आई) को शिकस्त देने के लिए तथा वामपंथी ताकतों व उनके समर्थकों की जीत के लिए हर कार्य करने के लिए आह्वान करते हैं.

इन राज्यों में वामपंथी नेतृत्व की सरकारों के कार्य अब भारत की जनता भलीभांति जानती है. उन्होंने ईमानदारी के साथ अपने चुनाव वायदे पूरे किए, मजदूरों के हड़ताल के अधिकार की रक्षा की, औद्योगिक विवादों या जनता के किसी भी जनवादी व आर्थिक आन्दोलन के खिलाफ पुलिस इस्तेमाल करने से इंकार कर दिया और एन एस ए व एस्मा दोनों की निंदा की. उनके इन कामों ने अधिनायकवादी पार्टी के हमलों के खिलाफ उन्हें जनवाद के विकसित स्तंभ बना दिया.

नाम के लिए उन्होंने जनवाद की रक्षा नहीं की. उन्होंने निहित स्वार्थों द्वारा शोषण व ऊंची कीमतों के खिलाफ मजदूरों, खेतिहर मजदूरों, बटाईदारों, सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों, बेरोजगारों व अन्यों की रक्षा करके इसे सुदृढ़ अर्थ प्रदान किया. पश्चिम बंगाल के शासक मोर्चे ने खुलेआम 19 जनवरी की हड़ताल का समर्थन किया और मजदूर वर्ग के संघर्ष के स्वयं के पूरी तरह साथ होने का परिचय दिया.

वामपंथी सरकारों की ये उपलब्धियां सम्भव नहीं होती अगर उनका नेतृत्व सी पी आई (एम) न करती जो मजदूर वर्ग की सच्ची पार्टी है और जो सरकार के अन्दर व बाहर अधिनायकवादी पार्टी व बुर्जुवा-भूपति शासन के खिलाफ इस संघर्ष को जारी रखने में जरा भी नहीं हिचकिचाती है. यह कोई वक्त की बात नहीं है कि उसी पार्टी के नेतृत्व वाली सी आई टी यू मजदूरों के संघर्ष में सबसे आगे है और उनकी एकता व वर्ग संघर्ष के संग्राम का नेतृत्व कर रही है. इंदिरा सरकार की अधिकृत रपटें भी यह स्वीकार करती हैं कि सीटू ने हाल ही में सबसे ज्यादा हड़तालों व मजदूरों के आन्दोलनों का नेतृत्व किया है.

पश्चिम बंगाल चुनाव कांग्रेस (आई) की इसे कोर्ट अपीलों के माध्यम से धराशयी करने की साजिश की नाकामयाबी को पृष्ठभूमि में आ रहे हैं. पश्चिम बंगाल के मजदूर वर्ग व जनता को कांग्रेस (आई) को एकबार फिर उखाड़ फेंकने की और देश में जनवादी ताकतों का नेतृत्व करने का एक और अवसर मिला है. कांग्रेस (आई) को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने से भारत में जनवादी आन्दोलन का विकास दस गुना बढ़ेगा और मजदूर वर्ग तथा वामपंथी ताकतों के हाथों में लगाम देगा. पश्चिम बंगाल का मजदूर वर्ग, जिसे सुदृढ़ क्रांतिकारी परम्पराएं विरासत में मिली हैं और उनका निर्माण किया है, आगामी संग्राम में अपनी इस भूमिका को निभाए.

केरल के मजदूर वर्ग को भी इसी प्रकार की भूमिका निभानी है और देश का नेतृत्व करना है. यहां कांग्रेस (आई) जो चारों ओर से अलग-थलग पड़ी है, चुनाव जीतने के लिए विघटनकारी, साम्प्रदायिक व प्रतिक्रियावादी ताकतों के भरोसे पर है. केरल के मजदूर वर्ग ने कई बार इन अवरोधों को तोड़ा है. यह जानता है कि केरल में कांग्रेस (आई) सरकार का मतलब है आतंक का राज, भ्रष्टाचार व पुलिस हिरासत में हत्याएं. सी पी आई (एम) के नेतृत्व में केरल का मजदूर वर्ग अधिनायकवादी पार्टी तथा इसके बी जे पी व कोया मुस्लिम लीग जैसे साम्प्रदायिक सहयोगियों को उखाड़ फेंकने के लिए चुनावी संग्राम का नेतृत्व कर रहा है.

हरयाणा व हिमाचल प्रदेश का मजदूर वर्ग कांग्रेस (आई) को शिकस्त देने तथा विधान सभाओं में वामपंथी ताकतों के के प्रतिनिधित्व को और मजबूत करने में अपनी पूरी कोशिश करेगा.

सभी राज्यों में मजदूर वर्ग को पश्चिम बंगाल व केरल की वामपंथी ताकतों की जीत का प्रचार अवश्य ही करना चाहिए.

राष्ट्रीय एकता की रक्षा करो

यह मई दिवस मजदूर वर्ग का अन्य चुनौतियों की ओर भी ध्यान देने का आह्वान करता है.

साम्राज्यवादी देश की एकता को तोड़ने के अपने पुराने खेल में व्यस्त हैं. असम में वे पृथकतावादी आन्दोलन को बढ़ावा दे रहे हैं, जनता के आर्थिक पिछड़ेपन का फायदा उठा रहे हैं; आदिवासी क्षेत्रों में वे यही सब क्रिश्चियन मिशनों की सहायया से कर रहे हैं; देश के अन्दर वे हिन्दू साम्प्रदायिक संगठनों को हिन्दू रूढ़ीवादिता के पुनर्जीवन के लिए धन दे रहे

है. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आर एस एस) वही चाल चल रहा है और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के प्रचारक जमाते-इस्लामी भी देश को साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से विभाजित करने में साम्राज्यवादियों की सहायता कर रहा है. हरिजनों का दमन भी इस विघटन की प्रक्रिया को भारी तौर पर प्रभावित कर रहा है.

आम आदमी के संघर्ष का यह विघटन और साथ ही राष्ट्रीय एकता के विघटन देश को फिर से गुलाम बनाने के लिए साम्राज्यवादियों की सहायता करने के लिए है. मजदूर वर्ग को साम्प्रदायिक व जातिवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करके इस खतरे के खिलाफ संघर्ष करना है क्योंकि इसे देश की स्वतंत्रता को पाकिस्तान को भारी मात्रा में शस्त्र दिए जाने से उत्पन्न बाहरी खतरे के खिलाफ संघर्ष करना है.

देश की सेवा के लिए मजदूर वर्ग सर्वोत्तम है क्योंकि वर्ग संगठन सभी सम्प्रदायों व जातियों को एकजुट कर सकता है. उन्हें केवल दलित सम्प्रदायों व जतियों की मांगों के प्रति अधिक ध्यान देना सीखना चाहिए.

शांति, जनवाद व समाजवाद के झंडे को बुलन्द रखो

देश की एकता की रक्षा करते हुए, विघटन के खिलाफ संघर्ष करते हुए, साम्राज्यवादियों के हमलों से इसकी स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए, मजदूर वर्ग का समाजवाद के झंडे को बुलन्द करना चाहिए. इसे अपनी समूची शक्ति शोषण के खात्मे और मजदूर वर्ग के नेतृत्व में जनता की सत्ता स्थपित करने के लिए महान लक्ष्य की तीव्र प्रगति के लिए लगानी चाहिए. इसे मालूम है कि भारतीय जनता की दासता व आर्थिक शोषण तब तक खत्म नहीं होगा जब तक बुर्जुवा-भूपति वर्गों का शासन खत्म नहीं किया जाता.

इसे यह जानना चाहिए कि न तो देश की एकता न ही इसकी स्वतंत्रता बुर्जुवा-भूपति शासन के रहते एक लम्बे समय तक नहीं बचाई जा सकती. इस वर्ग के शासन के तहत विघटन प्रक्रिया तेज होगी ही. इस लिए यह निहायत जरूरी है कि मजदूर वर्ग ताकतें अपने पीछे पर्याप्त समर्थन जुटाएं और यह खासतौर से किसानों का होना चाहिए ताकि समाज व्यवस्था व इसकी राज्य सत्ता बदली जा सके. इस लिए मजदूर वर्ग भारत के किसानों व खेतिहर मजदूरों में उत्पन्न महान जागृति की प्रशंसा करता है. इन तबकों के हाल ही के संघर्षों ने इतिहास लिख दिया है और असन्तोष के उबलते घड़े में और भी असन्तोष डाल दिया है. उनके संघर्ष का समर्थन करके मजदूर वर्ग ने मजदूर-किसान एकता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

यह मई दिवस मजदूरों किसानों की एकता के लिए पक्के इरादे की घोषणा करता है.

सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के झंडे को बुलन्द करते हुए भारत का मजदूर वर्ग युद्ध के खिलाफ, साम्राज्यवादी साजिशों के खिलाफ—सोवियत संघ व अन्य समाजवादी देशों के खिलाफ तथा नए नए स्वतंत्र हुए देशों की स्वतंत्रता के खिलाफ—शांति, स्वतंत्रता, जनवाद और समाजवाद के लिए संघर्ष में अन्य तबकों के साथ एकजुट होता है. □

मई दिवस का घोषणा पत्र

(पृष्ठ 11 से आगे)

वामपंथी जनवादी ताकतों को एकजुट करो

मई दिवस के अवसर पर सीटू दृढ़ता के साथ इस सच्चाई की घोषणा करती है कि भारत की कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल और केरल की सरकारों ने निहित स्वार्थों द्वारा शोषण तथा इन्दिरा सरकार के अधिनायकवादी आक्रमणों से मजदूरों, किसानों, खेतिहर मजदूरों तथा मेहनतकश जनता के सभी तबकों की रक्षा करके सही अर्थों में व्यावहारिक रूप में जनतंत्र को लागू करके प्रकाशस्तम्भ का काम किया है. उन्होंने जहां एक तरफ जनता और मजदूर वर्ग के संघर्षों में पुलिस का हस्तक्षेप समाप्त कर दिया वहीं स्वयं पुलिस को भी अपना संगठन बनाने का अधिकार दिया है. सीटू पश्चिम बंगाल तथा केरल के मजदूर वर्ग और जनता का आह्वान करती है कि वे आगामी 19 मई के चुनावों में एक बार फिर मौके का सदुपयोग करें तथा इन्दिरा कांग्रेस के नेतृत्व में कार्यरत तानाशाही की ताकतों को करारी शिकस्त दें उन्हें यह समझना चाहिए कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व में जनवादी ताकतों की जीत का अर्थ है अधिनायकवाद के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाना तथा सर्वहारा वर्ग के हितों की रक्षा करना. अत: उन्हें आगामी चुनावों में देशभर में वामपंथी ताकतों को विशेष रूप से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को ताकतवर बनाना चाहिए.

सीटू संघर्षों के जरिए हासिल की गई एकता को और मजबूत करने तथा पिछड़ी जनता के विशाल तबकों को भावी संघर्षों के मैदान में खींच लाने के लिए मजदूर वर्ग का आह्वान करती है मई दिवस का आह्वान किसानों तथा विविध मजदूरों के साथ आगे बढ़ने तथा समूची मेहनतकश जनता के हितों की रक्षा के लिए जुझारु संघर्ष छेड़ने के लिए मजदूर वर्ग में दृढ़ संकल्प पैदा करे. जनसंघर्षों के द्वारा अधिनायकवादी सत्ता के खिलाफ लाकतांत्रिक ताकतों को एकजुट करो तथा भारत में वैकल्पिक आर्थिक नीतियों के लिए संघर्ष हेतु जनता को उत्साहित करो. मई दिवस सम्पूर्ण मजदूर वर्ग को शान्ति, जनतन्त्र तथा समाजवाद के लिए संघर्ष करने और सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के झण्डे को बुलन्द रखने के ऐतिहासिक काम को समझाएं.

मई दिवस जिन्दाबाद !
सी० आई० टी० यू० जिन्दाबाद !
दुनिया के मजदूरो एक हो !

उत्पादकता वर्ष : मजदूरों पर हमला

एम. के. पंधे

योजना आयोग की 28 दिसम्बर 1981 को हुई एक बैठक में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने घोषणा की कि 1982 को उत्पादकता वर्ष के रूप में मनाया जाएगा. बैठक में उन्होंने बताया कि इसका लक्ष्य सभी क्षेत्रों में क्षमता के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किए जाने तथा परियोजनाओं को लागू करने में अधिक निपुणता हासिल करने में समन्वित कोशिशें करना है. हालांकि उन्होंने बैठक में यह कहा कि उत्पादकता का अर्थ अधिक सम्मेलन व गोष्ठियां आयोजित करना नहीं बन जाना चाहिए, फिर भी जबसे उन्होंने यह घोषणा की तब से ठीक यही कुछ किया जा रहा है.

श्रीमती गांधी ने यह घोषणा करने से पहले अपने मंत्रि मंडल के साथियों से सलाह लेना जरूरी नहीं समझा. उन्होंने अपनी पार्टी के पर्याप्त बहुमत होने के बावजूद भी संसद से औपचारिक मान्यता लेना भी जरूरी नहीं समझा. इस आह्वान को बिलकुल उनका व्यक्तिगत आह्वान माना जा रहा है और इसे उनकी व्यक्तिगत साख को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. कम से कम इस उत्पादकता वर्ष में, हर जगह 'सत्यमेव जयते' के नारे को 'श्रमेव जयते' में बदला जा रहा है.

प्रधानमंत्री द्वारा आह्वान किए जाने के बाद लगभग चार महीने गुजर चुके हैं. लेकिन उन्होंने इस सवाल पर केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से विचार विमर्श करने और इस पर उनकी राय जानने के लिए उनके साथ एक बैठक आयोजित करने की भी परवाह नहीं की. यह स्वाभाविक ही है कि इंटक के नेतृत्व को छोड़कर किसी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन ने प्रधानमंत्री के आह्वान का जवाब नहीं दिया. साफ जाहिर है कि अपने वर्ष के कार्यान्वयन के लिए श्रीमती गांधी नौकरशाही और चाटुकार राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन केन्द्र पर पूरी तरह निर्भर रहना चाहती थीं.

शायद उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के असंतोषजनक कार्य का हिसाब नहीं लगाया है. 1980-81 के दौरान 42 सार्वजनिक उद्योग 50 प्रतिशत क्षमता से भी नीचे काम कर रहे थे जिससे पता चलता है कि निवेश की आधी राशि बिलकुल बेकार जा रही है. अन्य 40 उद्योगों में 50 से 75 प्रतिशत क्षमता ही इस्तेमाल की जा रही है, यह औसत 35 प्रतिशत इस्तेमाल नहीं की गई क्षमता पर प्रकाश डालता है. केवल 69 उद्योग 75 प्रतिशत से ज्यादा क्षमता इस्तेमाल कर रहे थे. औसतन 40 प्रतिशत क्षमता सार्वजनिक उद्योगों में इस्तेमाल नहीं की गई. क्षमता के कम इस्तेमाल किए जाने के बारे में बताते हुए सार्वजनिक उद्योगों के ब्यूरो (बी.पी.ई) ने बिजली की अनुपयुक्त सप्लाई, कच्चे माल की कमी, मशीनों की गड़बड़ी, मांग की कमी और औद्योगिक सम्बन्धों की समस्याओं को इसके कारण बताए हैं. प्रधानमंत्री को अभी यह बताना है कि वह इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या करने जा रही हैं.

असलियत में स्थिति बिगड़ती जा रही है हालांकि आंकड़ों में धांधलियों से सब्जबाग दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं. जिन यूनिटों में 50 प्रतिशत से कम क्षमता इस्तेमाल की जा रही थी उनकी 1978-79 में संख्या कुल यूनिटों की 21 प्रतिशत थी और यह बढ़कर 1980-81 में 28 प्रतिशत हो गई. बी.पी.ई. को यह स्वीकार करना पड़ा कि "आंकड़ों से उभरती हुई स्थिति यह है कि 1979-80 की तुलना में सार्वजनिक संस्थानों का कार्य बिगड़ता जा रहा है." यह मानते हुए कि केन्द्रीय सार्वजनिक संस्थानों में 20,000 करोड़ रुपये लगाए गए हैं, कोई भी व्यक्ति योजना में सरकार के दिवालियेपन के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में निवेश के बेतहाशा नुकसान का अंदाजा लगा सकता है.

श्रीमती गांधी ने उत्पादकता वर्ष की बात करते हुए इन पहलुओं के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है. उन्होंने अर्थव्यवस्था को विद्युत की उपयुक्त सप्लाई की गारंटी के लिए अभी तक कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया है. हजारों करोड़ रुपये के उत्पादन की हर वर्ष हानि विद्युत की अनुपयुक्त सप्लाई के कारण होती है. विभाग की आंशिक बंदी एक आम बात हो गई है. कई संस्थानों में एक दिन में 4 घंटे की बंदी ने कई संस्थानों की समूची उत्पादन योजनाओं को नाकाम कर दिया है और मालिकान तक ने यह कहा है कि ऐसे हालात में उत्पादन की कोई भी बात बेमानी है.

हालांकि कोल इन्डिया ने पिछले साल अधिक उत्पादन का दावा किया है लेकिन यह वृद्धि कोयले में राख की अधिक मात्रा होने के कारण भी है. उद्योगपतियों की शिकायतें यह बताती हैं कि कोयले की सप्लाई में शेल की भी भारी मात्रा शामिल है; और इसे भी कोयला उत्पादन में जोड़ा जाता है. कई विद्युत घरों ने यह शिकायत की है कि उनके ब्वायलरों की रिफ्रेक्टरी लाईनिंग कोयले में शेल की अधिक मात्रा होने के कारण खराब हो गई हैं. इस्पात प्लांटों ने शिकायत की है कि कोयले में राख अधिक होने के कारण कोयले की खपत काफी

अधिक हो गई है. देश में कोयला उत्पादन इस प्रकार भ्रामक है तथा ऊर्जा संकट और अधिक गम्भीर होता जा रहा है. कोयले की अधिक सप्लाई के केवल शाब्दिक आश्वासन इस प्रकार समस्या का समाधान नहीं करेंगे.

कोल इन्डिया लिमिटेड पर सार्वजनिक संस्थान कमेटी (1982) की तीसवीं रिपोर्ट ने दुखद स्थिति पेश की है. यह कहती है कि "विभिन्न तबकों ने कोयला कम्पनियों में भ्रष्ट व्यवहार के बारे में आवाज़ उठाई है धनबाद कोयला क्षेत्र में सी.बी.आई. के दलों द्वारा गहराई से किए गये सर्वेक्षण ने कोयले की बिक्री व यातायात, ठेके देना व खरीद के आदेशों, भंडार की रिपोर्टिंग आदि के बारे में कई भ्रष्ट व्यवहारों को प्रकाश में लाया है." कोयला कम्पनियों के वरिष्ठ अफसरान की भागीदारी साफ ज़ाहिर की गई है. यह फिर नोट करती है कि "हालांकि इसे स्वीकार किया जाता है कि विक्रेताओं द्वारा कोयले में धांधली के कई मामले प्रकाश में आए और कोयले को पुनर्ग्रहीत भी कर लिया गया, लेकिन अभी तक लगता है किसी भी मामले में कानूनी कार्यवाही नही की गई···. कोयला विभाग के सचिव ने उत्पादन की सूचना के बारे में तथा इसमें प्रबंधकीय बेईमानी की शिकायत की है."

श्रीमती गांधी की सरकार ने कोयला उद्योग में हालात को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया है. वास्तव में उनकी पार्टी भ्रष्ट व्यवहार में गहराई के साथ शामिल है और सरकार बेशर्मी के साथ इसे संरक्षण दे रही है. कांग्रेस(आई) के गुंडे खुलेआम गुंडा-चौकड़ी की तरह काम कर रहे हैं और जब तक उन्हें हिस्सा नहीं मिलता कोयला क्षेत्र में वृद्धि नहीं करने दे रहे हैं.

ईंधन की कीमत में काफी वृद्धि ने उत्पादन बढ़ाने में कई रुकावटें पैदा कर दी है. भारत की निर्यात आय का 75 प्रतिशत केवल तेल के आयात में ही खप जाता है. सरकार द्वारा मशीनीकरण पर जोर दिए जाने ने आयात किए गए तेल पर निर्भरता बढ़ा दी है और इससे माध्यमिक वस्तुओं के आयात में कठिनाइयां पैदा हो गई हैं. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) कर्ज की शर्तों के कारण कुछ ऐसी वस्तुओं के लिए जिनका स्वदेशी उत्पादन हो रहा है आयात नियमों में ढील दी गई है. आई.एम.एफ. कर्ज के कारण ऐसी वस्तुओं का उत्पादन अब गंभीर खतरे का सामना कर रहा है और सरकार ने नई आयात नीति पर निर्णय लेते हुए इस पहलू को बिलकुल नजरअन्दाज कर दिया है. इसप्रकार एक ओर तो कुछ माध्यमिक वस्तुओं की कमी हमारी अर्थव्यवस्था पर मंडराती रहेगी, दूसरी ओर कुछ वस्तुओं का 'आसान' आयात इन वस्तुओं के स्वदेशी उत्पादन पर बुरा असर डालेगी. श्रीमती गांधी ने उत्पादकता वर्ष की बात करते हुए इस प्रक्रिया पर कोई ध्यान नही दिया है.

सरकार हमेशा यह कहती रही कि क्षमता के कम इस्तेमाल किए जाने के कारणों में से एक औद्योगिक संबंध नीति है और बी.पी.ई. ने फिर से इसे इस विषय में सरकार की नाकामयाबी के कारण बताते हुए दोहराया है. व्यवहार में ये सार्वजनिक संस्थान प्रबंधकों की मजदूर वर्ग विरोधी नीतियां ही हैं जो सार्वजनिक संस्थानों में बिगड़े औद्योगिक संबंधों के लिए जिम्मेदार हैं. ट्रेड यूनियनों के साथ सार्वजनिक संस्थानों के प्रबंधकों द्वारा हुए समझौतों को लागू न करना तथा मज़दूर वर्ग की कई ज्वलंत समस्याओं पर समझौते के लिए बिना किसी गम्भीर कोशिश के उन्हें लटकाए रखना, ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं को विक्टिमाइज करना और इंटक यूनियन को अधिकृत संरक्षण ही सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के बढ़ते आंदोलनों के बुनियादी कारण हैं. लेकिन नीति को बदलने के लिए कदम उठाने की बजाय सरकार कम उत्पादकता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में मज़दूरों पर दोष लगा रही है और अपनी शर्मनाक नाकामयाबी को छिपा रही है. 'श्रमसमस्या' के नाम को सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने में कठिनाइयों की व्याख्या करने में बार-बार इस्तेमाल किया जा रहा है और ट्रेड यूनियन आंदोलन को अपने खिलाफ इन बदनाम करने वाले आरोपों का प्रतिवाद करना है.

महाराष्ट्र सरकार का बंबई टैक्सटाइल हड़ताल में ढाई लाख मजदूरों की 3 महीने से चल रही हड़ताल के दौरान, जिसमें लगभग 400 करोड़ रुपयों तथा दो करोड़ 50 लाख मानव कार्य दिवसों की हानि हुई, दृष्टिकोण ने उत्पादन के लिए सरकार के झूठे दिखावे को बेनकाब कर दिया है. उन पिट्ठू यूनियनों को जिन्हें अब मजदूरों का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था को संकट ग्रस्त होने दिया जा रहा है. सरकार द्वारा हड़ताली मजदूरों के साथ बातचीत करने से बदनाम बी.आई.आर. कानून के प्रावधानों के बहाने इंकार करना इस हड़ताल के समाधान में इसके केवल दिवालियेपन को दर्शाता है. सरकार द्वारा तथाकथित 'उत्पादकता वर्ष' की घोषणा के केवल 18 दिन बाद शुरू हुई बंबई हड़ताल सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में 1982 को 'अनुत्पादकता वर्ष' साबित कर सकती है.

प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा बी.पी.ई. के सार्वजनिक क्षेत्र संस्थानों को दिए गए निर्देशों के साथ मेल खाती है जिसमें इसने कहा है कि सभी वेतन समझौतावार्ताएं उत्पादकता के साथ जोड़ी जाएं. निर्देश यह बताते हैं कि बी.पी.ई. के अनुसार उत्पादकता के मौजूदा स्तर पर सार्वजनिक संस्थानों में वेतन उचित हैं और कोई वेतन वृद्धि नहीं की जाएगी. यदि मजदूर ही उत्पादकता में कुछ प्रतिशत वृद्धि स्वीकार करते हैं तो उसी के हिसाब से मजदूर वेतन में भी वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं.

(शेष पृष्ठ 23 पर)

निर्माण व ठेका मजदूरों की समस्याएं

नृसिंह चक्रवर्ती

दिल्ली में एक फ्लाई-ओवर (सड़क-पुल) के गिर जाने की भयानक घटना ने जिसमें कई ठेका मज़दूरों की जानें गईं ठेका मज़दूरों की समस्याओं को प्रकाश में ला दिया है. वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष और सीटू के एक नेता एम.एम. लारेंस, संसद सदस्य, ने निर्माण मज़दूरों के कल्याण पर एक प्रस्ताव पेश किया जिस पर 26 फरवरी को बहस हुई. शासक व विपक्षी दलों के सदस्यों ने सरकार से जोरदार मांग की, कि स्थिति के समाधान के लिए फौरी कार्यवाही की जाए. यहां तक कि स्वयं अध्यक्ष ने श्रममंत्री से यह पूछा कि क्या इन मज़दूरों के लिए अनिवार्य दुर्घटना बीमा योजना नहीं बन सकती. इसप्रकार बहुमुखी हमलों के बीच मंत्री ने कहा कि पहले ही विभिन्न कानून बना दिए गए हैं और यदि वे लागू नहीं किए जा रहे है तो उन्हें लागू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे. लेकिन उन्होंने यह आश्वासन दिया कि भवन व निर्माण उद्योगों में लगे मज़दूरों की सुरक्षा के लिए एक अलग कानून जितनी जल्दी हो सके पेश किया जाएगा. इस आश्वासन के आधार पर प्रस्ताव वापस ले लिया गया.

समस्या की हद

आज केवल निर्माण उद्योग में ही लगभग 40 लाख मज़दूर कार्यरत हैं. ठेका मज़दूरों की कुल संख्या साठ लाख के आस-पास होगी और यह हर रोज बढ़ती जा रही है क्योंकि मालिकान उस काम को भी जिसे पहले विभागीय श्रम द्वारा कराया जाता था अब ठेका प्रणाली से कराने लगे हैं. आमतौर पर ठेका मज़दूरों के परंपरागत क्षेत्र भार लादना व उतारना, ईंटों के भट्टे, सड़क व भवन निर्माण थे. दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगीकरण में नई तकनीक इस्तेमाल करने के साथ ठेका मज़दूरों को लगाने का क्षेत्र भी बढ़ गया. नई तरह की कुशलता की जरूरत थी. साथ ही निर्माण में देरी के कारण खर्च में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कोशिशें करनी पड़ीं. इसलिए निर्माण के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान आ गए. एच.एस.सी.एल., एन.बी.सी.सी., एन.पी.सी.सी., एच.यू.डी.सी.ओ., एन.टी.पी.सी. मैदान में उतरे. इन कंपनियों में मज़दूरों के तीन दल थे : नियमित, वर्कचार्ज तथा एन.एम.आर. और हर दल के भिन्न वेतनमान और सेवाशर्तें थीं. फिर काम को ठेकेदारों को सौंपना शुरू हुआ और अब ये सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनियां ठेकेदारों व भ्रष्ट अफसरानों के लिए, जो देश में भारी बेरोज़गारी का फायदा उठाते हुए खास तौर से देहाती गरीबों की कंगाली का फायदा उठाते हुए इन मज़दूरों के लिए कानूनों में दिए गए प्रावधानों के तहत प्राथमिक अधिकारों तक से उन्हें वंचित रखकर उनका शोषण कर रहे हैं, शिकार क्षेत्र बन गई हैं.

कानूनों का उल्लंघन

ठेका मज़दूर (नियमन व निवारण) कानून 1970 के प्रावधान स्थायी प्रकृति के कामों में ठेका मज़दूरों के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं. लेकिन नोटिफिकेशन का मुद्दा ठेका मज़दूर परामर्श बोर्ड के साथ जोड़ दिया गया है. लोकसभा में बहस ने यह बेनकाब किया कि **सात राज्यों तथा तीन केन्द्र शासित क्षेत्रों में ऐसे बोर्ड स्थापित नहीं किए गए हैं** और तीन राज्यों में व तीन केन्द्र शासित क्षेत्रों में **बोर्ड की काफी लम्बे समय से बैठक नहीं हुई है.** अगर बोर्ड की बैठकें होती भी हैं और फैसले लिए जाते हैं, तो उन्हें लागू नहीं किया जाता. उदाहरण के लिए केन्द्रीय परामर्श बोर्ड ने सालेम मैग्नेसाइट खदानों में स्थायी प्रकृति के काम की छानबीन करने का फैसला लिया था. दल सालेम में 1979 में गया लेकिन अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया. केन्द्रीय बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी करके लोकोशेडों तथा यार्डों में कोयला लादने व उतारने के काम में ठेका मज़दूरों के इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का फैसला किया, लेकिन रेलवे मंत्रालय के विरोध के कारण इस फैसले को लागू नहीं किया जा सका.

देश के विभिन्न क्षेत्रों में पारिश्रमिक के असमान स्तरों ने देश के विभिन्न भागों में प्रबन्धकों को खासतौर से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रबन्धकों को अपने कार्यों को ठेका मज़दूरों को सौंपने के लिए प्रोत्साहित किया है. यह बताने के लिए कि कम्पनियां किस तरह काम करती हैं केवल एक ही उदाहरण काफी होगा. एच.एम.एम. लिमिटेड (हारलिक्स) के पैकेट बनाने के अपने प्लांट कलकत्ता व बंगलोर में हैं. ये स्थायी मज़दूर हैं. व्यापार में वृद्धि होने के बाद उन्होंने फरीदाबाद में एक ठेकेदार (ए.के. पैकेजिंग) के तहत एक और प्लांट खोल दिया. जैसे ही यह मांग की गई कि मज़दूरों को स्थाई मज़दूर माना जाए, प्रबन्धकों ने प्लांट बन्द कर दिया और एक नया प्लांट गुड़गांव में खोल लिया. फरीदाबाद के मज़दूर इसके खिलाफ पिछले 14 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं और सरकार ने इस मामले में कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाए हैं. प्रबन्धक फरीदाबाद में मज़दूरों को कलकत्ता या बंगलोर की तुलना में काफी कम वेतन दे रहे थे. अब वे गुड़गांव में और भी कम

वेतन मजदूरों को दे रहे हैं. यह ठेका मज़दूर (नियमन व निवारण) केन्द्रीय नियमों की धारा 25(2)(v)(e) का उल्लंघन करता है.

ठेका मज़दूर (नियमन व निवारण) कानून की धाराओं 17 व 18 के तहत ठेकेदार को आरामगृह व विकल्प स्थान, पीने का पानी, शौचालय व धोने की सुविधाओं का प्रावधान करना होता है. कोई भी ठेकेदार ये प्रावधान नहीं देता है और उन्हें नियंत्रित करने तथा लागू करने के लिए कोई भी मशीनरी नहीं हैं.

स्थायी प्रकृति के काम को ठेके पर दिया जाना अभी भी जारी है. उदाहरण के लिए इस्पात के भंडार-स्थलों में ठेका मज़दूर काम करते हैं. रेलवे वस्तुओं व पार्सलों को लादने, उतारने व एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम ठेका प्रणाली को दिया जाता है. यहां तक कि नई रेलवे लाइनों का निर्माण कार्य भी ठेकेदारों को दिया जाता है.

लारेंस ने औद्योगिक (प्रवासी मज़दूर) रोज़गार व सेवा सेवा शर्तों का नियमन कानून, 1979 के अध्याय 4 व धारा 12(बी)(1) की ओर केन्द्रित ध्यान आकृष्ट किया जिसके तहत हर मज़दूर को रोज़गार की अवधि, वेतन, प्रवास-भत्ता व अन्य ब्यौरों के विवरण वाली पासबुक देनी होती है. इस प्रावधान को कभी लागू नहीं किया जाता. उन्होंने अपने अनुभव को इन शब्दों में व्यक्त किया :

"उड़ीसा व राजस्थान के प्रवासी मज़दूर एक निजी मालिक, ध्योर ड्रिक्स, के निर्माण स्थल पर कार्य कर रहे हैं. वहां भी मज़दूरों को बहुत कम वेतन दिए जाते हैं. जब मैं कुछ पुरुष व महिला मज़दूरों से एक दुभाषिए की मदद से बात कर रहा था, एक चौधरी वहां आया, धमकी के तौर पर अपनी आंखें तरेरी और मज़दूरों को कहा कि 'वे वापस जाएं.' वे तुरन्त चले गए. मैंने उसे कहा कि 'मैं संसद सदस्य हूं और मैं मज़दूरों से कुछ बात करना चाहता हूं'. लेकिन उसने मुझे ऐसा नहीं करने दिया."

ठेका मज़दूरों को आतंकित करना

ठेका मज़दूरों को खासतौर से निर्माण उद्योग में प्रवासी मज़दूरों को उन्हें आतंकित करके अपने हकों से वंचित रखा जाता है. हर खातादार जो मज़दूरों को ग्रामीण क्षेत्रों से लाता है अपने पास कुछ मुस्टंडे पाल कर रखता हैं और ये मज़दूरों को संगठित करने की हर कोशिश को रोकते हैं. प्रबन्धक व कांग्रेस(आई) शासन के तहत पुलिस उनकी सहायता उन मज़दूरों की जो यूनियन बनाते हैं या उनकी जो उन्हें संगठित करने की कोशिश करते हैं पिटाई करके करती हैं. दुर्ग में सिप्लैक्स मज़दूरों के संघर्ष में भी यही देखा गया जहां पुलिस मध्य प्रदेश सीटू के उपाध्यक्ष पी.के. मोइत्रा को छः महीनों से ज्यादा जेल में बन्द रखने के लिए मनगढ़ंत प्रथम सूचना रिपोर्ट बनाने तक पर उतर आई. यदि ऐसे दमन के बावजूद मज़दूर अपने आप को संगठित करते हैं तो प्रमुख मालिक तथा ठेकेदार अपने ठेके खत्म कर देते हैं जैसे कि राजस्थान में एन.टी.पी.सी. के एक प्रोजेक्ट में किया गया.

निर्माण मजदूरों की विशेष समस्याएं

निर्माण मजदूरों की एक विशेष समस्या है सेवा सुरक्षा. यह प्रणाली मुनाफे के लिए ठेकेदारों को सस्ती मज़दूरी की टोह में ले जाती हैं. इसलिए सभी ठेकेदार एक कार्य खत्म होने के बाद मजदूरों की सेवाएं समाप्त कर देते हैं और काम की नई जगह पर नए मजदूरों की भर्ती करते हैं. कभी-कभी फालतू मजदूरों को निर्माण की एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर लगाए जाने का 'धरती के लाल' के लिए रोजगार के नारे से विरोध किया जाता है. राज्यों में कुछ कांग्रेस (आई) सरकारें ऐसे विघटनकारी नारों का समर्थन करती हैं. वे इस बात को ध्यान में रखने में नाकामयाब हैं कि निर्माण मजदूरों का स्थानांतरण अब एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार है और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बिल्डिंग, सिविल इंजीनियरिंग व पब्लिक वर्क्स कमेटी द्वारा अपनाई गई निर्माण उद्योग में रोजगार के नियमन संबंधी कनक्लूजन सं 70 ने कई राज्यों के निर्माण कार्य में रोजगार के स्थायित्व के सवाल पर फौरी तौर पर विचार करने के लिए आह्वान किया है. भारत सरकार ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया है, क्योंकि यह भी 'धरती के लाल' के उनके नारे का अपने संकीर्ण स्वार्थों से समर्थन करती है. केन्द्रीय श्रम मंत्री, इसे नजरअंदाज करते हुए कि एक काम के खत्म होने पर मजदूरों को कोई स्थाई रोजगार नहीं दिया जाता, बड़ी लापरवाही के साथ कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं यदि मजदूर एक काम के खत्म होने पर चले जाते हैं.

कार्यवाही की फौरी जरूरत

सरकार ने ठेका मजदूरों के लिए एक कमेटी बनाई है जिसमें सीटू का प्रतिनिधित्व जगजीत सिंह लायलपुरी कर रहे है. कमेटी के कार्य में कोई गम्भीरता नहीं दिखाई जाती. यदि केन्द्रीय श्रम मंत्री निर्माण मजदूरों की सुरक्षा के बारे में एक विधेयक लाते भी हैं तो उसके लागू करवाने का सवाल एक समस्या बनी रहेगी. काल्टा लौह खनिज खदानों, वाराणसी ग्रेविटी यार्ड व देश के अन्य हिस्सों में ठेका मजदूर मौजूदा कानूनों को लागू करवाने की मांग पर कड़वे व लम्बे संघर्ष कर रहे हैं, और सरकार ने ठेका मजदूरों के इन संघर्षों के प्रति जबरदस्त लापरवाही दिखाई है. अलाय इस्पात प्लांट में ठेका मजदूरों का लगभग एक महीने का संघर्ष इस समस्या का संकेत

है. दुर्गापुर इस्पात प्लांट में ठेका मजदूर 1973 में अन्य इस्पात मजदूरों के समान वेतन पाते थे. लेकिन दुर्गापुर में अलाय इस्पात प्लांट में इनको कम वेतन मिलता था. जब न्यूनतम वेतन कानून के तहत वेतनों में संशोधन किया गया तब भी उन्हें समान वेतन नहीं दिया गया. ठेका मजदूर (नियमन व निवारण) केन्द्रीय नियमों के नियम 25 (2) (v) (ए) के तहत इन मजदूरों को अन्य इस्पात मजदूरों के समान वेतन व अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिएं. यही मुख्य मांग थी. लेकिन भारत सरकार ने इस पहलू को पहचानने से इंकार कर दिया और इसके परिणामस्वरूप केवल मामूली सुविधा ही प्राप्त की जा सकी. पंजाब व सिंध बैंक में दिल्ली में बैंक में सफाई व धूल झाड़ने का काम अधिकारियों ने एक ठेकेदार को दे दिया और एक विवाद खड़ा हो गया जो छः महीनों से भी ज्यादा समय से कंसीलेशन के लिए पड़ा है हालांकि यह एक साधारण सा मामला है.

यदि संगठित मजदूर यानि यूनियनें, जिनके तहत उद्योग में स्थायी कर्मचारी संगठित हैं, ठेका मजदूरों के सवाल को उठाती हैं तो किसी समाधान की संभावना है. इस्पात उद्योग में हमारे साथियों ने इस सवाल को उठाया है. विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में उन्हें ठेका मजदूर प्रणाली के खात्मे और या नियमों की धारा 25 (2) (v) (ए) के तहत समान वेतन व अन्य सुविधाओं की अदायगी की मांग उठानी होगी.

निर्माण उद्योग में काफी संख्या में मजदूरों के अलावा, किसान सभा व सीटू यूनियनों की लगातार कोशिशों की जरूरत है. किसान सभा प्रवासी मजदूरों के लिए बने कानूनों को लागू करने के लिए अभियान शुरू कर सकती है और जैसा कि कानून में प्रावधान है हर मजदूर के लिए पासबुक की मांग कर सकती है. निर्माण स्थलों में व उनके समीप कार्यरत सीटू यूनियनें इन मजदूरों को संगठित करने में मदद कर सकती हैं और मौजूदा कानूनों के तहत कुछ सुविधाएं उन्हें दिला सकती हैं और उन सुविधाओं को और व्यापक बनाने के लिए अभियान शुरू कर सकती हैं.

क्योंकि निर्माण व ठेका मजदूर आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे समाज के सबसे गरीब तबके से आते हैं, जो भूमि छिन जाने के बाद देहातों में नौकरी न होने के कारण शहरों की ओर आजीविका कमाने के लिए दौड़ते हैं, इसलिए संगठित मजदूरों को उनकी समस्याओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए. आई.एल.ओ. की बिल्डिंग, सिविल इन्जीनियरिंग एन्ड पब्लिक वर्क्स कमेटी का दसवां सत्र जेनेवा में अप्रैल 1983 में होने वाला है. भारत सरकार द्वारा एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक प्रश्न पत्र भेजा गया है. इसके बारे में तथ्य जल्दी से जल्दी केन्द्रीय कार्यालय पहुंच जाने चाहिएं और अभियान को गम्भीरता से लेना चाहिए ताकि इन उद्योगों में मजदूरों को प्रभावशाली सुरक्षा प्रदान की जा सके. □

उत्पादकता वर्ष : मजदूरों पर हमला

(पृष्ठ 20 से आगे)

यदि किसी महीने में उत्पादकता का नियत स्तर प्राप्त नही होता तो मजदूरों को वेतन की बढ़ी राशि नहीं दी जाएगी. बी.पी.ई. के निर्देशों ने इस पर भी साफ-साफ जोर दिया है कि समझौते को किसी पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाएगा. ये सब यह साफ जाहिर करते हैं कि उत्पादकता के मौजूदा स्तर पर पूर्णतया वेतन जाम रहेगा. ट्रेड यूनियन आंदोलन जायज ही मौजूदा उत्पादकता स्तर पर मजदूरों के वेतन में वृद्धि की मांग करता रहा है. इसलिए इंटक सहित सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने बी.पी.ई. के निर्देशों का विरोध किया है और इसकी वापसी की मांग की है.

बी.पी.ई. के अध्ययन से पता चलता है कि पिछले चार सालों में कुल उत्पादन के कुल खर्च के प्रतिशत अंश के रूप में वेतन खर्च कम हुआ है. उदाहरण के लिए, इस्पात उद्योग में 1977-78 में उत्पादन के कुल खर्च के प्रतिशत अंश के रूप में वेतन खर्च 20 प्रतिशत था जो 1980-81 में 13.4 प्रतिशत रह गया. इसी काल में इस्पात मजदूरों के वास्तविक वेतन में न्यूनतम स्तर पर 12 प्रतिशत तथा अधिकतम स्तर पर 19 प्रतिशत कमी हुई है. ये आंकड़े यह साफ बताते हैं कि इस्पात मजदूरों की वेतन वृद्धि की जरूरत है लेकिन सरकार उनकी इन जायज मांगों को मानने से इंकार कर रही है. यह टकराव की नीति की ओर ले जाती है. क्योंकि इस साल इस्पात, कोयला भेल व अन्य सार्वजनिक संस्थानों में वेतन समझौतावार्ताएं होनी हैं इसलिए प्रबंधक प्रधानमंत्री के उत्पादकता वर्ष से संबंधित आह्वान के बहाने ट्रेड यूनियनों पर जोर दे रही है. यह खेल सफल नहीं हो सकता यदि ट्रेड यूनियन आन्दोलन एकजुट होकर अपनी पूरी शक्ति के साथ इस हमले का विरोध करता है.

उत्पादकता वर्ष को मालिकान द्वारा मजदूरों पर कार्य भार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि वे कुप्रबंध तथा धांधलियां करने के लिए मुक्त हैं. मजदूरों पर अधिक कार्यभार थोपने के लिए कई तरीके सुझाने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता काउंसिल को खास तौर से सक्रिय किया गया है. ज्यादातर सार्वजनिक संस्थानों को इस साल 20-सूत्री कार्यक्रम तथा उत्पादकता वर्ष को जनप्रिय बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं. करोड़ों रुपये इस पर पहले ही खर्च किए जा चुके हैं जबकि कई करोड़ और खर्च होने वाले हैं.

मालिकान के संगठन व चैम्बर उत्पादकता वर्ष के गुणों की बातचीत करने में व्यस्त हैं क्योंकि यह उनका ही वर्ग है जो इस नारे से अधिक से अधिक फायदा उठाएगा.

(शेष पृष्ठ 26 पर)

पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार तथा जनता

पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार ने पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है. ये पांच साल राज्य में जनवादी सिद्धान्तों के लिए अथक व लगातार संघर्ष का वह अध्याय है जो केन्द्र में कांग्रेस(आई) सरकार के इसे अस्थिर करने के सभी कारनामों के खिलाफ लिखा है.

वाममोर्चा सरकार कांग्रेस(आई) के जनवाद को कुचलने तथा जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के घिनौने कारनामों के खिलाफ जनता के अथक व लगातार संघर्ष के द्वारा सत्ता में आई. जनता को 1972 के रिग किए गए चुनाव के अत्याचारों का अनुभव करने के बाद 1977 तक अर्द्ध-फासीवादी आतंक के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा. अनेक व्यक्ति मारे गए, हजारों बेघर हो गए, और "समाज की समाजवादी प्रणाली" का नारा देते हुए इंदिरा सरकार के दलालों ने सैकड़ों सीटू व गैर-कांग्रेस यूनियनों पर कब्ज़ा कर लिया. लेकिन पश्चिम बंगाल के मज़दूर वर्ग व मेहनतकश जनता ने अपनी शिकस्त मानने से इंकार कर दिया जिसका परिमाण था 1977 में सी.पी.आई.(एम) के नेतृत्व में वाममोर्चा सरकार.

जनवादी सिद्धान्तों की मजबूती

इसलिए, वाममोर्चा सरकार जनता के सभी जनवादी अधिकारों—रैली करने के अधिकार, संगठन के अधिकार, बोलने के अधिकार, मत देने के अधिकार और हड़ताल के अधिकार—की रक्षा के लिए कटिबद्ध थी. उस समय जब देश में अधिनायकवाद के बादल छाए थे वाममोर्चा सरकार जनवाद के झंडे को ऊंचा रख रही थी और इसके खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व कर रही थी. केन्द्र की सभी श्रम-विरोधी तथा जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ इसके दृढ़ दृष्टिकोण ने राज्य की जनता के समर्थन के साथ समूचे देश में और यहां तक कि विदेशों में भी सनसनी पैदा कर दी.

इसने पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व अनिवार्य सेवा अनुरक्षण कानून लागू करने से इंकार कर दिया.

स्थिरता

जैसा कि राज्यपाल भैरव दत्त पांडे ने 6 मार्च को विधान सभा के पिछले अधिवेशन में कहा, पश्चिम बंगाल में प्रशासन स्थिरता की एक तस्वीर है जबकि इस दौरान देश के राजनीतिक हालात में काफी तूफान आए हैं.

एकता

स्वतंत्रता के पैंतीस साल बाद भी जब देश की एकता पृथकतावादी व संप्रदायवादी हिंसक ताकतों से खतरे में है और जब विभिन्न हिस्से विभाजन व आपसी संदेह के शिकंजे में जकड़े हैं जिससे प्रायः झगड़े व दंगे होते हैं, पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार ने राज्य में विघटन के खिलाफ व राष्ट्रीय एकता के लिए जनवादी ताकतों को मजबूत करने में आगे बढ़ने के लिए विभिन्न धार्मिक हिस्सों, जातियों व समुदायों में एकता व सौहार्द्र को बनाए रखा. अपने संघर्षों के द्वारा राज्य के लोग अपने मित्रों को पहचानने लगे तथा उनमें व दुश्मनों में फर्क समझने लगे. फैक्टरियों के मज़दूरों, कर्मचारियों, अध्यापकों, छात्रों, युवकों व महिलाओं—सभी ने एकता का नया दृष्टिकोण तथा बेहतर भविष्य के लिए नागरिक स्वतन्त्रता व जनवादी अधिकारों पर जोर देने की गारंटी प्राप्त की है.

ट्रेड यूनियन अधिकार

संविधान की सीमाओं के अन्दर सरकार ने मेहनतकश जनता को प्रशासनिक, कानूनी और आर्थिक कदमों से सुविधाएं दी हैं.

अतीत की विरासत को तोड़ते हुए सरकार ने हर राजनीतिक संबद्धताओं व सिद्धान्तों वाली ट्रेड यूनियन गतिविधियों को स्वतंत्रता दी है जो पुलिस या प्रबन्धकों के किराये के गुंडों के हस्तक्षेप से बिलकुल मुक्त कानून व व्यवस्था की ताकतों को दलित तबकों के हितों के खिलाफ पूंजीपति वर्ग की सहायता के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया गया. इन ताकतों को संगठन के अधिकार की भी गारंटी दी गई. औपनिवेशिक दिनों से चले आ रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक सम्बन्धों की पुलिस जांच तथा सेवा व्यवहार नियम या तो पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं या उनमें भारी संशोधन कर दिया गया है. जब 1979 के दौरान अन्य राज्यों में पुलिस बल के आन्दोलन को बर्बरता के साथ कुचला जा रहा था, उस समय पश्चिम बंगाल में बातचीत द्वारा शांतिपूर्वक समझौता हुआ. इंजीनियरिंग, जूट, कपास टेक्सटाइल, चाय बागान आदि जैसे सभी प्रमुख उद्योगों में मज़दूरों के समर्थन में सरकार के हस्तक्षेप द्वारा संगठित उद्योगानुसार समझौते हुए. इस तथ्य को बल मिला कि विवादों पर समझौते के बारे में सबसे ज्यादा कारगर कदम सामूहिक सौदेबाजी है.

एमर्जेंसी के शिकार मज़दूरों की बहाली

एमर्जेंसी के दौरान उत्पीड़ित हजारों मज़दूरों को फिर से नौकरी पर बहाल किया गया. उन मज़दूरों को भी, जो 1972 से कांग्रेस(आई) की गुंडागर्दी के कारण काम पर नहीं आ सके और इसलिए उन्हें निकाल दिया गया था, नौकरी पर बहाल किया गया. सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी

सफलतापूर्वक केन्द्रीय सरकार द्वारा बहाल कराया.

मजदूरों को सुविधाएं

जब मजदूरों को बोनस देने से इंकार किया जा रहा था और इससे अलग किया जा रहा था, तब वाम मोर्चा सरकार ने अपने सिद्धांतों के अनुसार सभी को बोनस देने की गारंटी के लिए कदम उठाए. जब अन्य राज्यों में कांग्रेस (आई) सरकारें वेतन आयोगों का अपने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की सिफारिशों को स्वीकार करने से इंकार कर रही थीं और देखते ही गोली मारने तक के आदेश देकर आंदोलनों पर बर्बरता से दमन ढा रही थीं उस समय पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार ने वेतन आयोगों की कर्मचारियों की वेतन वृद्धि तथा वेतन व भत्ते के पुर्ननिधारण की सभी प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार किया.

1947 के औद्योगिक विवाद कानून को भी मजदूरों के उन हिस्सों को, जो पहले इससे वंचित थे, भी कानूनी सुविधा देने के लिए संशोधित किया.

बेरोजगारी भत्ता

देश में यह पहली सरकार थी जिसने सामाजिक-आर्थिक प्रणाली के कारण पांच साल से ज्यादा बेरोजगार रहने वाले युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया. यही पहली सरकार थी जिसने पहली बार खेतिहर मजदूरों, किसानों व वृद्धों के लिए पेंशन तथा कलाकारों, साहित्यकारों, तकनीकी व्यक्तियों, विधवाओं आदि के लिए कल्याणकारी कदम उठाए.

शिक्षा

हायर सैकंड्री तक शिक्षा को मुफ्त करके उस क्रम का विकास किया गया गया है जो अपनी जनवादी आवश्यकताओं पर जोर देने के लिए भविष्य में जनता की चेतना बढ़ाएगा. इसलिए यह फैसला किया गया कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी और अंग्रेजी माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई जाएगी. मुफ्त शिक्षा के अलावा सरकार ने गरीब विद्यार्थियों को भोजन देने का भी काम संभाला. अनुसूचित जातियों व जनजातियों को मुफ्त किताबों के अलावा छात्रवृति देने का कार्यक्रम भी लागू किया गया.

सरकार ने सांथलों की भाषा 'अल्चिकी' तथा नेपाली भाषा को भी मान्यता दी. इन भाषाओं में शिक्षा देने का प्रबंध किया जा रहा है.

बीमार व बंद यूनिट

अपनी क्षमताओं के दायरे में, सरकार कई बंद व बीमार औद्योगिक यूनिटों के पुनर्स्थापन में कामयाब रही. इस संबंध में केंद्र द्वारा सहायता असंतोषजनक रही. राज्यपाल तक ने अपने भाषण में कहा कि "केंद्र सरकार तथा वित्तीय अधिकारियों द्वारा कुछ अतिरिक्त सहयोग से इस क्षेत्र में भविष्य में और भी काफी कामयाबी हासिल की जा सकती है."

विद्युत

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि पूर्वी व उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की भारी कमी होने के बावजूद छटी पंच-वर्षीय योजना में प्रस्तावित क्षमता में विस्तार इस क्षेत्र के लिए सबसे कम है. लेकिन वाममोर्चा सरकार ने अगले कुछ सालों में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं. जहां 1976-77 में कुल क्षमता 1,300 मैगावाट थी वहां अब यह उन कदमों के बाद 4,000 मैगावाट होगी.

वित्तीय प्रस्ताव : केंद्र की शर्तें

वित्तीय कार्यक्रमों की मात्रा से पिछले पांच सालों में शुरू की गई नई गतिविधियों के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है. जहां 1976-77 में कुल बजट 766 करोड़ रुपयों का था वहां यह अब मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1,750 करोड़ रुपये है जिसका अधिकतर भाग विकास के लिए है. लेकिन केंद्रीय सरकार की नीतियों के कारण पश्चिम बंगाल की योजना गंभीर अपंगी का शिकार है. हालांकि पश्चिम बंगाल का अपनी राज्य योजना का 5,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव था लेकिन केंद्र ने इसे काफी कम कर दिया है. पश्चिम बंगाल ही एक केवल ऐसा राज्य है जिसके लिए केंद्रीय सहायता में 1981-82 के लिए कमी की गई है. इनके अलावा, केंद्र ने राज्य की सीमित आर्थिक ताकतों को और भी कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं. लेकिन इन बाधाओं व दिक्कतों के बावजूद वाममोर्चा सरकार अपने विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए आंतरिक प्रसाधनों को आम जनता पर जो पहले ही केंद्र की अप्रत्यक्ष कर की नीति से कटे जा रहे हैं बिना कोई कर लगाए जुटा रही है.

गरीब तबकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा परित किए गए विभिन्न विधेयकों के खिलाफ भी केंद्र द्वारा बाधाएं डाली जा रही हैं. पिछले एक साल से ऐसे 20 विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति की इंतजार कर रहे हैं. इनमें से एक है महत्वपूर्ण भूमि सुधार संशोधन विधेयक.

निर्णय जनता के हाथ में

प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करते हुए वाममोर्चा सरकार ने अपने कार्यकाल के पूरे दौरान में मजदूरों, किसानों, पिछड़े तबकों, दलितों और असहायों के विकास व रक्षा की पूरी कोशिश की है. अपनी इन सभी कोशिशों के दौरान यह हमेशा जनता के साथ रही. जो भी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं वे सब जनता के संपूर्ण सहयोग के कारण संभव हुई हैं. लेकिन अभी काफी रास्ता तय करना है. सरकार ने नई सरकार बनाने के अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए जनता को समय से मौका देने के लिए कामयाबी के साथ संघर्ष किया. इन सभी मुद्दों पर अंतिम निर्णय जनता के हाथ में है. □

पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार

(पृष्ठ 13 से आगे)

करने सम्बन्धी भूमिसुधार कानून की खामियों को काफी हद तक खतम किया जा सकेगा. अभी तक सरकार 12 लाख एकड़ से अधिक कृषि योग्य जमीन दखल करने में सफल हुई है जो पूरे देश में दखल की गई भूमि की आधी है. यह संशोधित विधेयक 10 से 15 लाख एकड़ और जमीन दखल करने में सरकार की मदद करेगा. यह वास्तव में हदबन्दी कानून को सही भावना के साथ लागू करने का गम्भीर और सच्चा प्रयास है.

हम बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं. पूँजीवादी देशों में अभूतपूर्व संकट के कारण विदेशी साम्राज्यवादी तथा हमारे देश के इजारेदार संकट के बोझ को मजदूरों और किसानों के कन्धों पर डाल देने की कोशिश कर रहे हैं अतः इसके खिलाफ व्यापक आन्दोलन खड़ा करने की आवश्यकता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है. इस अवसर पर मजदूर वर्ग के नेतृत्व में किसानों को अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभानी होगी. पश्चिम बंगाल के किसान इतिहास में एक और शानदार अध्याय लिखने के लिए आगे बढ़ रहें हैं. □

साम्राज्यवादी युद्ध……

(पृष्ठ 14 से आगे)

हैं. लेकिन व्यवहार में उनकी पार्टी को सांप्रदायिक, पृथकतावादी व अन्य फूटपरस्त ताकतों के साथ, जो साम्राज्यवादी प्रतिक्रिया के हाथों के मोहरे हैं, गठबंधन करने के मामले में कोई संकोच नहीं है. सच्चे अंतर्राष्ट्रीयतावादियों के रूप में केवल मेहनतकश जनता ही राष्ट्रीय एकता के लिए, विभिन्न जाति के दलों में सद्भाव के लिए संघर्ष कर सकती हैं. राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष के बिना, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करना बेकार है.

त्रिपुरा का अनुभव

त्रिपुरा में हमें जब से वाम-मोर्चा सरकार सत्ता में आई है इन सब मामलों में विभिन्न व कीमती अनुभव प्राप्त हुए हैं. जहां जनजाति अल्पसंख्यकों के हिस्से ने चर्च के एक हिस्से के बहकावे में आकर जनजातियों के लिए एक 'स्वतंत्र जनजाति राज्य' का नारा लगाया, वहां बंगालियों के जो बहुसंख्यक समुदाय हैं, एक हिस्से ने आनंद मार्गियों के नेतृत्व में 'बंगालिस्तान' (एक अलग बृहत्तर बंगाली राज्य) का नारा लगाया. श्रीमती गांधी के नेतृत्व की पार्टी ने अपने अस्तित्व के लिए आखिरी कोशिश में जनवादी ताकतों की प्रगति रोकने के लिए इन दोनों ही फूटपरस्त ताकतों के साथ गठबंधन किया. वाम-मोर्चा सरकार के लिए जून 1980 के नरसंहार को रोकना और थोड़े ही समय में जनजातियों तथा गैर-जनजातियों के बीच सामान्य संबंधों व सद्भाव को बहाल करना कोई आसान काम नहीं था. राज्य के जनजातियों से सघन इलाकों में स्वायत्त जिला काउंसिल के चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में कराने में त्रिपुरा की मेहनतकश जनता अपने श्रेय का जायज दावा कर सकती है. इन चुनावों में, कांग्रेस(आई) तथा आमरा बंगालियों के 'बहिष्कार' के नारे का उल्लंघन करते हुए, 70 प्रतिशत से भी ज्यादा जनजाति व गैर-जनजाति मतदाताओं ने भाग लिया.

सभी साजिशों को नाकाम करो

यह ऐतिहासिक महत्व का मई दिवस है क्योंकि समूची दुनिया में मजदूर वर्ग देश-प्रेम का झंडा बुलंद कर रहे हैं, यह वह झंडा है जिसे बुर्जुवा-भूपति पार्टियों के गद्दार पैरों तले रोंद रहे हैं. यह मजदूर वर्ग है जो राष्ट्र की सर्वोत्तम परम्पराओं को आज आगे बढ़ा रहे हैं. यह मजदूर वर्ग है जो जनवाद के लिए अपने संघर्ष में बेझिझक हैं. यह मजदूर वर्ग है जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए सर्वोत्तम आदर्श हैं. क्योंकि युद्ध कोई अवश्यंभावी नहीं है इसलिए शांति को भी स्थापित ही मान कर नही चलना चाहिए. क्योंकि अधिनायकवाद कोई अवश्यंभावी नहीं है इसलिए जनवाद को भी स्थापित ही मानकर नहीं चलना चाहिए. केवल करोड़ों मेहनतकशों को खेतों व कारखानों में सक्रिय बनाकर, अंतर्राष्ट्रीय जंगबाजों और उनके राष्ट्रीय चाटुकारों की सभी साजिशों को नाकाम करते हुए, हम देश के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं . □

उत्पादकता वर्ष……

(पृष्ठ 23 से आगे)

इस नारे से श्रीमती गांधी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के कर्जदाताओं को यह गारंटी देना चाहती हैं कि भारतीय श्रम न केवल सस्ता है बल्कि उसे और भी सख्त परिश्रम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है. विदेशी निवेशकों को भी इस आह्वान से दोबारा गारंटी मिलेगी तथा और अधिक विदेशी निवेश होने वाला है. हाल ही के बजट ने पहले ही पर्याप्त कर व अन्य रियायतें दे दी हैं.

लेकिन भारत का मजदूर वर्ग इस नारे को अपनी कार्यशर्तों पर एक हमला मानता है. सरकार की नीति से समूचे देश में एक शक्तिशाली प्रतिरोध पैदा होगा. ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति ने मजदूर वर्ग का इस हमले के खिलाफ लामबंद होने का ठीक ही आह्वान किया है ताकि देशव्यापी आंदोलन की मदद से इस हमले को पूरी तरह शिकस्त दी सके. □

वाममोर्चा सरकार की उपलब्धियां

देश में औद्योगिक विकास के लिए हालांकि अनिवार्य पूर्व शर्तें पूंजी व कच्चे माल की आसान उपलब्धि तथा स्थिर बाजार की उपयुक्त मदद हैं, फिर भी खासतौर से पश्चिम बंगाल का लघु उद्योग हमेशा नुक्सान में ही रहा है. इसके मुख्य कारण कच्चे माल, बड़े उद्योगों के प्रति रूझान, बड़े व इजारेदार घरानों के साथ असमान होड़, बैंक की कर्ज देने की नीतियों, आदि से सम्बंधित केन्द्र की नीतियां हैं.

इन कठिनाइयों के बावजूद पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार ने अपने पिछले पांच सालों के कार्यकाल में कुटीर व लघु उद्योग के विकास में एक प्रशंसनीय उपलब्धि प्राप्त की है.

इस राज्य में पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या 1,52,738 है. इसमें से 52,719 यूनिटों का अर्थात् 34.5 प्रतिशत यूनिटों का पंजीकरण पिछले पांच सालों में हुआ. इससे रोजगार के 3,70,855 नए अवसर पैदा हुए. नयी-नयी पंजीकृत यूनिटों में से 42,626 अर्थात् 80.85 प्रतिशत यूनिटें कलकत्ता से बाहर लगाई गईं. इसका मतलब है कि जहां तक सम्भव हो सका लघु उद्योग ग्रामीण इलाकों में लगाए गए और वाममोर्चा सरकार की यह नीति पिछली सरकारों की नीति से बिलकुल अलग है.

पिछले पांच सालों में डी.आई.सी ने बैंकों को 15,134 आवेदन कर्ज के लिए भेजे और ज्यादातर डी.आई.सी की योजनाबद्ध व लगातार कोशिशों से 1979 से 82 के दौरान बैंकों ने कुल 97.936 करोड़ रुपयों के 10,043 ऐसे आवेदनों को स्वीकार किया. इतने कम समय में जिलों में लघु उद्योगों के लिए इतनी भारी राशि देना स्वीकार किया जाना पहले कभी भी सम्भव नहीं हुआ. इससे जिलों में 75,800 रोजगार पैदा हुए.

इसके साथ-साथ पिछले पांच सालों में डी.आर.आई योजना के तहत चार प्रतिशत ब्याज पर 30,850 दस्तकार परिवारों को दो करोड़ 33 लाख 44 हजार रुपये का बैंक से कर्ज दिलाने में डी.आई.सी सफल रही हैं.

इसी दौरान 9,394 लघु यूनिटों को विभागीय बजट से कुल दो करोड़ 37 लाख 73 हजार 381 रुपये का कर्ज मिला है जिससे 28,182 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है. वाममोर्चा सरकार के सत्ता में आने से पहले के पांच सालों में इसी खाते से दिया गया कर्ज केवल 46 लाख 38 हजार 711 रुपये का था जिसका मतलब है कि यह सरकार कर्ज की सुविधा को 5.3 गुना बढ़ा पाने में सफल रही हैं.

वाममोर्चा सरकार खादी एन्ड विलेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड (के वी आई बी) की कर्ज व अनुदान की योजना के द्वारा जिलों में कमजोर व गरीब तबकों तक पहुंचने में सफल रही है. के वी आई बी द्वारा 1972-77 के दौरान दिया गया कुल कर्ज व अनुदान केवल 34.88 लाख रुपये था जबकि यह 1977-82 के दौरान में 238.93 लाख रुपये है यानि सात-गुना वृद्धि. इससे 58,885 व्यक्तियों को रोजगार मिला है. के वी आई बी की मदद से चलने वाले संस्थानों में सम्पूर्ण-कालीन व लघुकालीन कर्मचारियों की कुल संख्या अब एक लाख 5 हजार है. इसमें 37 प्रतिशत पिछले पांच सालों में नियुक्त हुए हैं.

पिछले पांच सालों में वाममोर्चा सरकार की इन कोशिशों से खादी कर्ज को छोड़कर बैंक व राज्य सरकार के कर्जों की मदद से जिलों में 11,873 नई लघु यूनिटें स्थापित हुई हैं जिनमें 62,642 व्यक्ति कार्य करते हैं.

पश्चिम बंगाल का प्रमुख कुटीर उद्योग, हैंडलूम, पूंजी, कच्चे माल तथा बाजार सुविधा की कमी के कारण खत्म होता जा रहा था. प्राथमिक व बड़ी हैंडलूम सहकारिताओं की कुल कर्ज सीमा 1976-77 में 23 लाख रुपये थी. अब 1981-82 में यह 6.3 करोड़ रुपये है. जहां प्राथमिक हैंडलूम सहकारिताओं में सरकार की कुल निवेशिक भागीदारी 1972-77 के दौरान केवल 3 लाख रुपये थी, वहां यह 1977-82 के दौरान 1.79 करोड़ रुपये है—यानि 50 गुना से भी ज्यादा वृद्धि.

1976-77 में केवल 4 प्राथमिक हैंडलूम सहकारिताएं सार्थिक दृष्टि से लाभकारी थीं और 150 के लाभकारी होने की संभावना थीं. यह संख्या बढ़कर 1981-82 में क्रमशः 100 व 150 हो गई. हैंडलूम क्षेत्र में 1976-77 में 20 करोड़ 70 लाख मीटर कपड़ा तैयार हुआ. इसने 1980-81 में 30 करोड़ 50 लाख मीटर कपड़ा तैयार किया. इसी काल में सहकारी सोसाइटियों का कुल उत्पादन 6 करोड़ 63 लाख मीटर से बढ़कर 12 करोड़ 80 लाख मीटर हो गया. 'जनता' कपड़े का कुल उत्पादन 1976-77 में 4.5 लाख वर्ग मीटर था. 1981-82 में 255 लाख वर्ग मीटर 'जनता' कपड़ा बनाया गया, यानि 50 गुना से भी ज्यादा वृद्धि.

हैंडलूम बुनकरों के कमजोर तबकों की सहायता के लिए दो नई योजनाएं लागू की गई हैं. मझले बुनकरों के लिए

102 सहकारी सोसाइटियां पहले ही बनाई जा चुकी हैं जिसमें से 83 ने उत्पादन शुरु कर दिया है, कर्जहीन बुनकरों के लिए भी 29 सहकारिताएं बनाई गई हैं; लाभकारी हैंडलूम सहकारिताओं के बुनकर सदस्यों के लिए भविष्य-निधि योजना लागू की गई है.

1976-77 तक रेशम उत्पादन मुर्शिदाबाद, माल्टा व बिरभूम जिलों तथा नादिया जिले के रानाघाटे उप-विभाग तक ही सीमित था. अब इसे कलकत्ता, हावड़ा व हुगली जिलों को छोड़कर राज्य के सभी क्षेत्रों में फैला दिया गया है. शहतूत की उपज अब 26,983 एकड़ भूमि में होती है. इसकी 32 प्रतिशत अर्थात् 8,523 एकड़ भूमि इस उपज के लिए पिछले पांच सालों में ली गई. इससे 68,184 व्यक्तियों को रोजगार मिला. 1981-82 के दौरान अतिरिक्त रोजगार 12,000 था और रेशम की कुल पैदावार 6 लाख किलो-ग्राम थी. इसके चार सालों में शहतूत की पैदावार के लिए केवल 4,657 एकड़ भूमि और जोड़ी गई थी.

रेशम की क्वालिटी को सुधारने के लिए कई नई योजनाएं शुरु की गई हैं. ड्राई चैंबर, रीलिंग यूनिट, चौकी रीलिंग सेंटर, कोकून ट्रेडिंग सेंटर, मल्टिपलि-केशन फार्म, ट्विस्टिंग प्लांट आदि कुछ ऐसी योजनाएं हैं. इनके अलावा, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन-जातियों के लिए योजनाएं झारग्राम, बोलपुर, नक्सलबाड़ी व चाल्सा में जारी हैं. इन कदमों से रेशम उत्पादन एक लाभकारी व जनप्रिय व्यापार हो गया है. टशर के निर्माण में राज्य सरकार की पहले कोई भूमिका नहीं थी. इस में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए मौजूदा सरकार सामने आई है.

बाजारी क्षेत्र में भी काफी सफलता प्राप्त हुई है. 1976-77 में तंतुज-तंतुश्री तथा मंजूशा की 3 करोड़ रुपये व 21,000 रुपये की कुल बिक्री हुई थी. 1981-82 में ये आंकड़े क्रमश: 25 करोड़ 41 लाख 14 हजार रुपये तथा एक करोड़ 20 लाख रुपये थे. उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीदने के लिए केवल कुटीर व लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 48 परचून की दुकानें खोली गई हैं. इस योजना ने एक ओर कुटीर व लघु उद्योग के बाज़ार का विकास किया है तथा दूसरी ओर उनकी दलालों के शोषण से छुटकारा पाने में मदद की है.

कुटीर व लघु उद्योग की अपने बाज़ार को विस्तृत करने में मदद देने के लिए वाममोर्चा सरकार ने प्रचलित आधुनिकीकरण की बजाय विस्तारण पर ज्यादा जोर दिया है. इस सम्बन्ध में पहले ही काफी सफलता प्राप्त कर ली गई है.

इन सब तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अपनी सीमित शक्तियों के बावजूद वाममोर्चा सरकार कुटीर व लघु उद्योग की सहायता के लिए इस तरह आगे आई है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया. □

सीमेंट मजदूर सीमेंट मालिकान व इंटक को साजिश के खिलाफ संघर्ष करेंगे

सीमेंट उद्योग में कार्यरत सीटू यूनियनों की एक बैठक 3 अप्रैल को मद्रास में सम्पन्न हुई. इसमें मजदूरों के साथ विश्वासघात करते हुए भारत के 90,000 सीमेंट मजदूरों पर मध्यस्थता थोपे जाने तथा संघर्ष कार्य-क्रम पर विचार किया गया. सीटू के उपाध्यक्ष के. रमनी ने बैठक की अध्यक्षता की.

सीटू सचिव एम. के. पंधे ने बताया कि किस प्रकार इंटक व सीमेंट मालिकान के बीच केवल इंटक के मांग पत्र को मध्यस्थता के लिए सौंपने तथा द्विपक्षीय वार्ता को धराशयी करने के लिए एक समझौता हुआ.

प्रतिनिधियों ने रामानुजम निवेतिया मध्यस्थता के खिलाफ स्थानीय आंदोलनों के बारे में जानकारी दी और बताया कि मजदूरों से मिला समर्थन उत्साह-वर्द्धक है. उन्हों ने इस बात पर जोर दिया कि उद्योग में अधिक मुनाफों को देखते हुए और अधिक सुविधाएं देने के लिए सीमेंट प्रबंधकों को मजबूर करने के लिए देशव्यापी संयुक्त आंदोलन की जरूरत है.

बैठक ने फैसला किया कि इंटक ट्रेड यूनियनों के साथ भी संपर्क स्थापित किया जाय ताकि देशव्यापी संयुक्त आंदोलनों का कार्यक्रम तैयार किया जा सके. केवल संयुक्त संघर्षों द्वारा ही इंटक—सीमेंट प्रबंधकों की साजिश को सीमेंट मजदूरों के बीच बेनकाब किया जा सकता है. समूचे देश में मजदूरों को मध्यस्थता की चाल के खतरनाक परिणामों के बारे में समझाने के लिए एक आम पर्चा भी जारी करने का फैसला लिया गया. सीमेंट उद्योग में संयुक्त आंदोलनों के कार्यक्रम को तैयार करने के लिए गैर-इंटक यूनियनों की एक बैठक बुलाई जाने के लिए कोशिशें करने के लिए भी सहमति व्यक्त की गई.

सीटू के प्रतिनिधि डी एम के ट्रेड यूनियन के नेताओं से मिले जो संयुक्त आंदोलनों में भाग लेने के लिए सहमत हुए. उन्होंने गैर-इंटक यूनियनों की एक बैठक में भाग लेना भी स्वीकार किया, यदि यह सबकी सहमति से बुलाई गई हो.

सीटू एटक व प्रोग्रेसिव लेबर फेडरेशन (डी एम के) से संबद्ध तमिलनाडु की सीमेंट यूनियनों की एक

(शेष पृष्ठ 42 पर)

जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग

आल इन्डिया जूट वर्कर्स फेडरेशन व बंगाल चटकल मजदूर यूनियन (सीटू) तथा पश्चिम बंगाल व अन्य स्थानों की यूनियनों द्वारा बार-बार मांग किए जाने के बावजूद और कच्चे जूट के व्यापार सहित समूचे जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग करते हुए पश्चिम बंगाल विधान सभा के एकमत प्रस्ताव के बावजूद केन्द्रीय सरकार ने मजदूरों व जनता के हितों के लिए इस दिशा में कोई भी कदम उठाने से इंकार कर दिया है. केन्द्रीय सरकार के कदम ने जूट सामंतों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने तथा जूट उद्योग को और भारी संकट में डालने में प्रोत्साहन दिया है.

इस विषय में 20 अप्रैल को एक संयुक्त बयान नीरेन घोष, सांसद (सी पी आई—एम), अध्यक्ष व कमल सरकार, महासचिव, बंगाल चटकल मजदूर यूनियन (सीटू); भवानी राय चौधुरी, कार्यकारी अध्यक्ष व तरुण मैत्रा, महासचिव, फेडरेशन आफ चटकल मजदूर यूनियंज (एटक); मतीश राय, कार्यकारी अध्यक्ष, बंगाल प्रोविंश्यल चटकल मजदूर यूनियन (यू टी यू सी); सरल देब, महासचिव, पश्चिम बंगा चटकल मजदूर फेडरेशन (टी यू सी सी) और बिभास घोष, महासचिव, आल इन्डिया जूट टैक्सटाइल वर्कर्स फेडरेशन (एच एम एस) ने जारी किया.

बयान में कहा गया है कि मिल मालिकान ने त्रिपक्षीय समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, पिछले साल जितना बोनस देने से इंकार करते हुए और मनमाने ढंग से कार्यभार बढ़ाते हुए मजदूरों पर गम्भीर हमले शुरू कर दिए हैं. वे बारी-बारी 13 या 14 मिलों में हमेशा तालाबंदी किए रखते हैं. हालांकि मौजूदा मिलों में उत्पादन बढ़ा है लेकिन फिर भी उत्पादन में धांधली करके तथा मौसम के दौरान कच्चा जूट खरीदने से इन्कार करके उन्होंने जूट किसानों को असहाय बना दिया है. मिल मालिकान जूट किसानों को, लाभकारी दाम देने की तो बात ही दूर है, कानूनी न्यूनतम तक से भी वंचित रख रहे हैं.

जूट सामंतों ने वेतनमान के सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक का भी उल्लंघन किया है तथा 1979 के त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार पश्चिम बंगाल श्रम मंत्री के फैसले का उल्लंघन करते हुए 46,000 मजदूरों को बहाल करने से इंकार किया है और मजदूरों की भविष्य निधि राशि के 10 करोड़ रुपये हड़प लिए हैं.

बयान में कहा गया है कि जूट सामन्तों के पिछले इतिहास व चरित्र को ध्यान में रखते हुए यह साफ जाहिर है कि राष्ट्रीयकरण ही केवल एक ऐसा कदम है जो उद्योग, मजदूरों, किसानों और देश की अर्थव्यवस्था को बचा सकता है. एक लगातार आम हड़ताल के बिना उद्योग में किसी भी प्रमुख मांग पर समझौता नहीं हो सकता. लेकिन बयान में कहा गया है कि इस समय हड़ताल का आह्वान करना, जैसा कि कुछ यूनियनों ने किया है, समझदारी का काम नहीं है क्योंकि इस समय यह केवल मालिकान को ही फायदा पहुंचाएगी. उन्होंने सभी जूट मजदूरों का आह्वान किया कि वे एक ऐसे एकजुट संघर्ष के लिए तैयार रहें जिसे ऐसे समय पर शुरू किया जाएगा जो जूट सामन्तों को चोट पहुंचाने के लिए उचित होगा. □

जेके जूट मजदूरों की हड़ताल अब तीसरे महीने में

कानपुर के जे. के. जूट मजदूरों की हड़ताल 14 अप्रैल को तीसरे महीने में प्रवेश कर गई. कानपुर में हड़ताली मजदूरों के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार के परिवहन मंत्री मुहम्मद अमीन (सी पी आई-एम) ने कहा कि जे. के. जूट मजदूरों की हड़ताल को उत्तर प्रदेश की इंदिरा कांग्रेस सरकार द्वारा ढाए गए दमन के द्वारा कुचला नहीं जा सकता. कांग्रेस (आई) सरकार के पाखण्डी वायदों से मजदूरों का भ्रम अब दूर हो गया है और अपने ही अनुभव से सीखे ये मजदूर इसकी मालिकान परस्त व अधिनायकवादी नीतियों के खिलाफ जी तोड़ संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने प्रबंधकों के इस प्रचार की निंदा की कि कानपुर के जूट मजदूर पश्चिम बंगाल के जूट मजदूरों की तुलना में ज्यादा वेतन पाते हैं और इस लिए पश्चिम बंगाल के जूट मजदूरों के साथ समानता की उनकी मांग बेमानी है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार जूट मजदूरों का वेतन ढांचा देने के लिए तैयार है और पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार व मालिकान उत्तर प्रदेश में भी पश्चिम बंगाल में मौजूदा वेतनों के समान वेतन बढ़ाने को तैयार हैं. उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया कि वे अपने संघर्ष को दृढ़ता के साथ तब तक आगे बढ़ाएं जब तक प्रबंधक उनकी मांगों को मानने के लिए झुकते नहीं.

हड़ताली मजदूरों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मजदूरों के दूसरे हिस्से सिंटेक्स ट्यूब वर्क्स, अन्नपूर्णा बिस्किट,

(शेष पृष्ठ 42 पर)

जनता की सेवा के लिए कटिबद्ध

पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा में वाममोर्चों की तरह जहां वामपंथी ताकतें, खासतौर से सी.पी.आई. (एम) काफी शक्तिशाली हैं, केरल के वामपंथी जनवादी मोर्चे (एल.डी.एफ.) ने भी न केवल अधिनायकवाद के खिलाफ संघर्ष जारी रखा और जनता को जनवादी अधिकारों व नागरिक स्वतंत्रताओं की गारंटी दी, बल्कि इसने केन्द्र व राज्य में इसके दलालों द्वारा पैदा की गई सभी दिक्कतों तथा बाधाओं के बावजूद 21 महीनों के अपने थोड़े से काल में जो भी सम्भव हुआ जनता को दिया. यह इसलिए सम्भव हुआ क्योंकि वामपंथी जनवादी मोर्चा जनता की सेवा करने के लिए कटिबद्ध था.

जनता के साथ विश्वासघात

एंथनी कांग्रेस तथा केरल कांग्रेस के मनी ग्रुप ने इंदिरा निजाम की अधिनायकवादी नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए वामपंथी मोर्चे में भाग लिया था और जनवरी 1980 में एल.डी.एफ. सरकार बनी. वे एस्मा के खिलाफ 5 सितम्बर को केरल बन्द के आह्वान में भागीदार थे. वे केरल एल.डी.एफ. सरकार की एन.एस.ए. व एस्मा लागू न करने की घोषणाओं में भी भागीदार थे. लेकिन पूंजीपति-वर्ग के प्रति उनकी सहानुभूति उस समय सामने आई जब उन्होंने जनता के विश्वास के साथ धोखा किया और कांग्रेस(आई) के नेतृत्व में उसी खेमे में जा मिले जिसके खिलाफ लड़ने का उन्होंने जनता को वायदा किया था.

08 दिन की अग्नि-परीक्षा

इस सबके बावजूद, केन्द्र की इच्छा पर नाचते हुए राज्यपाल ने केवल एक अल्पसंख्यक सरकार के रूप में कांग्रेस(आई) की करुणाकरण सरकार जनता के ऊपर लाद दी. लेकिन जनता ने दोबारा से कांग्रेस(आई) के शिकंजे में जाने से इंकार कर दिया तथा बहादुरी से मुकाबला किया. उन 80 दिनों का समय, जिसके बाद अल्पसंख्यक सरकार गिर गयी, जनवाद पर बर्बर हमलों व जनता पर यंत्रणा का काल था. पुलिस स्टेशन असलियत में यंत्रणा-कक्ष बन गए. करुणाकरण सरकार के संरक्षण में कांग्रेस(आई) के गुंडों व आर.एस.एस. ने वामपंथी जनवादी मोर्चे के कई कार्यकर्त्ताओं की हत्याएं की. यहां तक कि शिक्षा संस्थान भी पुलिस के खेमों में बदल गए जो इसे बेनकाब करती है कि किस प्रकार पुलिस व इन तत्वों को जनवादी आन्दोलन के दमन के लिए यंत्रणा के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया.

कल्याणकारी कदमों का खात्मा

करुणाकरण सरकार ने 80 दिनों के अपने कार्यकाल में वामपंथी जनवादी मोर्चे की सरकार द्वारा अपनाए गए सभी कल्याणकारी कदमों को खत्म कर दिया. खेतिहर मज़दूरों की पेंशन काट दी गयी, बेकारी भत्ता बंद कर दिया गया और क्वायर, हैंडलूम, काजू, मछली-पालन, आदि परम्परागत उद्योगों के विकास के लिए उठाए गए कदमों को स्थिर कर दिया गया. मछेरों के लिए शुरु की गई बीमा योजना को और एल डी.एफ. सरकार द्वारा दी जा रही किश्त को धराशायी कर दिया गया. इसने केरल के पिछले साल के बजट के समान इस साल भी 1982-83 के लिए 275 करोड़ रुपये का बजट सम्बन्धी केन्द्र का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया जो असलियत में मुद्रास्फीति व कीमत वृद्धि के कारण पिछले साल से कम हो गया है. इसके अलावा केरल से केन्द्रीय सरकार सेवा के इच्छुकों को विशेष पुलिस जांच से गुजरना पड़ेगा.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

केन्द्रीय सरकार की नीतियों से उत्पन्न कीमत वृद्धि व मुद्रा-स्फीति को नियंत्रित करने के लिए एल.डी.एफ. सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शृंखला बनाई थी जिसकी समूचे देश में सर्वोत्तम होने की प्रशंसा की गई. राजनीतिक विरोधियों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया था. मावेली स्टोर व ओनाम मेले जिन्होंने जनता को राहत दी थी अब जीवनहीन हो गए हैं.

यू.डी.एफ. को शिकस्त दो

यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट वास्तव में एक प्रतिक्रियावादी मोर्चा है जो मतभेदों से भरा है. इस मोर्चे का ताज हैं अधि-नायकवादी कांग्रेस(आई) जो स्वयं मतभेदों से ग्रस्त है. ऐसा गठबन्धन कभी भी जनता की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि यह निहित स्वार्थों की सेवा के लिए कटिबद्ध है. कांग्रेस(आई) की तानाशाही व जनविरोधी नीतियों ने जनता को गंभीर चुनौती दी है. केरल की जनता ने इसके खिलाफ संघर्ष किया है. यह वह राज्य है जिसकी जनता ने 1957 में पहली कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की. यह वह राज्य है जहां

(शेष पृष्ठ 42 पर)

सफल महाराष्ट्र बंद

टैक्सटाइल हड़ताल अब चौथे महीने में

मजदूर वर्ग में एकता का यह एक और भारी प्रदर्शन था जिसने बृहत्तर बम्बई व महाराष्ट्र के अन्य भागों में विशाल औद्योगिक क्षेत्रों के चक्कों को 19 अप्रैल के दिन टैक्सटाइल मजदूरों की ऐतिहासिक हड़ताल के समर्थन में जाम कर दिया. महाराष्ट्र बंद का आह्वान ट्रेड यूनियन संयुक्त संघर्ष समिति के झंडे के नीचे केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व इंटक विरोधी अन्य संगठनों ने किया था.

दो हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं की भारी गिरफ्तारी और शिव सेना की मदद से इंटक के कार्यकर्ताओं की बाधक कार्यवाहियों के बावजूद मेहनतकश जनता के सभी हिस्सों के भारी और अपने आप यकायक समर्थन ने इस चहल पहल वाले मेट्रोपोलिटन शहर को शान्त कर दिया. दुकानें बन्द थी. व्यापार ठप्प था, कंप्यूटर नाकाम थे और गलियां वीरान थीं. राज्य के अन्य भागों से भी ऐसे ही समाचार प्राप्त हुए हैं. गिरफ्तार होने वालों में सी पी आई (एम) की अहिल्या रांगनेकर तथा प्रभाकर संजगिरि शामिल हैं.

सभी साठ मिलों के टैक्सटाइल मजदूरों की हड़ताल ने, जो बिलकुल सम्पूर्ण रही है तथा टैक्सटाइल उद्योग में लगातार हड़तालों के पिछले सभी कीर्तिमान तोड़ कर 20 अप्रैल को चौथे महीने में प्रवेश कर गई, वास्तव में, इंटक के तथाकथित 'मान्यता प्राप्त' राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ को कूड़ेदान में फेंक दिया. इसके साथ ही, बंद के माध्यम से मजदूर वर्ग के अन्य सभी हिस्सों द्वारा व्यक्त एकजुटता ने कांग्रेस (आई) सरकार के मान्यता के ढोंग को उन्हीं की जेब में डाल दिया. सरकार द्वारा इंटक यूनियन को वास्तविकताओं के खिलाफ दिए गए शर्मनाक संरक्षण बुरी तरह से बेनकाब हुए तथा फिर से इसके अधिनायकवादी दृष्किोण का परिचय दिया.

मांगें

शुरू से देखें तो पता चलता है कि पिछले पंद्रह सालों से मजदूरों के असंतोष में हड़ताल के बीज थे और इस दौरान मजदूरों की मांगों को स्वीकारा नहीं गया था. इंटक से सम्बद्ध आर एम एम एस को 1949 में मान्यता मिली थी और बंबई औद्योगिक सम्बंध कानून के तहत उसे यह अभी तक प्राप्त है. सरकार के संरक्षण में, इसके बावजूद कि इसके पीछे लगभग कोई ताकत नहीं थी, यह कानून के साथ जुड़ी रही. हालांकि हड़ताल का नेतृत्व महाराष्ट्र गिर्नी कामगार यूनियन द्वारा किया गया, लेकिन इस दौरान संघर्षों व हड़ताली कार्यवाहियों का क्रम बंधा रहा. सीटू व अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें एक बढ़ती हुई ताकत थी और लाल बावटा मिल मजदूर यूनियन (सीटू) के द्वारा एटक व अन्यों के साथ मिलकर किए गए आह्वान पर 27 दिसम्बर 1981 को एक दिन की पिछली सफल हड़ताल एक बृहत्तर संघर्ष की द्योतक थी. मजदूरों की मुख्य तीन मांगें है, 300 रुपये प्रति मास वेतन वृद्धि व अस्थायी मजदूर (बदली) प्रणाली को खत्म करना, जिनकी संख्या साठ हजार से अधिक है, बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध कानून को वापस लेना और इंटक यूनियन की मान्यता को वापस लेना. लेकिन इन फौरी मांगों के अलावा, लम्बे अर्से से चली आ रही अन्य मांगें कार्य व जीवनयापन के चिंतनीय हालात, जो पिछले 30 सालों से बिगड़ते ही रहे हैं, से सम्बंधित हैं.

टी यू जे ए सी

सीटू, एटक व अन्य इंटक विरोधी ट्रेड यूनियनों ने मिलकर ट्रेड यूनियन संयुक्त संघर्ष समिति (टी यू जे ए सी) बनाई जो इस समय संघर्ष का नेतृत्व कर रही है. राज्य विधान सभा के शुरू होने के दिन 11 मार्च को एक लाख से अधिक मजदूरों का एक मोर्चा विधान सभा गया. एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें पी.के. कुरणे, अहिल्या रांगनेकर (सी पी आई—एम), जी.वी. चिटनिस (सी पी आई), यशवंत चवान, दत्ता सामंत, प्रभाकर मोरे तथा एस.पी. बोर्डे शामिल थे, मुख्य मंत्री बाबा साहेब भोंसले से मिला जो कोई जवाब नहीं दे सके क्योंकि उन्होंने खुले आम यह स्वीकार किया कि सारे फैसले दिल्ली से आते हैं.

टी यू जे ए सी ने हड़ताल के 75 वें दिन 2 अप्रैल को शिवाजी पार्क में 3 लाख से ज्यादा मजदूरों की एक विशाल जन सभा आयोजित की. रैली की अध्यक्षता सीटू की महाराष्ट्र राज्य कमेटी के महासचिव पी.के. कुरणे ने की और इसे अन्यों के अलावा महाराष्ट्र गिर्नी कामगार यूनियन के नेता दत्ता सामंत, जी.वी. चिटनिस (एटक), यशवंत चवान (सर्व श्रमिक संघ), पुष्पा मेहता (यू टी यू सी), करमबेलकर (बी एम एस), के.के. ठेकेदथ (एम एफ यू सी टी ओ) तथा आचारेकर (राज्य सरकार कर्मचारी) ने संबोधित किया. इस मंच से 19 अप्रैल को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया.

सीटू की महाराष्ट्र राज्य कमेटी को बधाई देते हुए सीटू के अध्यक्ष बी. टी रणदिवे ने पी. के. कुरणे के नाम 14 अप्रैल को यह पत्र भेजा है:

"प्रिय कामरेड,

मैं सीटू की महाराष्ट्र राज्य कमेटी, इसके नेताओं और हजारों सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिन्होंने 2 लाख से भी ज्यादा टैक्सटाइल मजदूरों की हड़ताल जो शीघ्र ही तीन महीने पूरे कर लेगी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं. हमारे नेता व कार्यकर्ता अन्यों के साथ मिलकर स्वयं टैक्सटाइल उद्योग में मजदूरों को लामबंद करते रहे हैं जिसके बिना शायद ऐसा लगातार संघर्ष संभव नहीं होता. उन्होंने टैक्सटाइल मजदूरों के साथ एकजुटता में मजदूरों के अन्य हिस्सों को लामबंद करने में अथक कोशिशें की हैं जिसके परिणाम-स्वरूप 19 अप्रैल को महाराष्ट्र बंद का आह्वान देना संभव हो सका.

आप महाराष्ट्र बंद की सफलता के लिए जोरदार तैयारियों में जुटे हैं. खबरों से पता चलता है कि सरकार मजदूरों को आतंकित करने के लिए पुलिस कार्यवाही शुरू करने की कोशिश कर रही है और संभव हुआ तो यह दमन द्वारा महाराष्ट्र बंद को धराशायी करने की कोशिश करेगी. मुझे पूरा विश्वास है कि समूची महाराष्ट्र कमेटी और इसके सक्रिय कार्यकर्ता सभी दमन का सामना करते हुए बंद को सफल बनाएंगे. पिछले तीन महीनों के दौरान सीटू के कार्यकर्ताओं द्वारा अदा की गई सक्रिय भूमिका ने सीटू की साख बढ़ा दी है और मुझे विश्वास है कि यह मजदूरों के दिमाग में अपनी छाप छोड़ देगी. मुझे विश्वास है कि आप उपलब्धियों को और मजबूत करने और सीटू के बढ़ते प्रभाव को और आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाएंगे ताकि बढ़ी हुई ताकत संगठन में भी दिखाई दे.

"एकबार फिर मैं आप सबको बधाई देता हूं."

महाराष्ट्र बंद का समर्थन करते हुए बी. टी. रणदिवे व पी. राममूर्ति सीटू के क्रमशः अध्यक्ष व महासचिव ने सरकार की अल्पसंख्यक इंटक यूनियनों को संरक्षण देने की नीति की निंदा की और सभी संबद्ध यूनियनों व महाराष्ट्र राज्य कमेटी को महाराष्ट्र बंद की सफलता के लिए हर संभव कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिया तथा उसके बाद एक सम्मानजनक समझौता होने तक संघर्ष को आगे बढ़ाने का आह्वान किया.

टी यू जे ए सी के घटकों के नेता आमतौर पर, और सीटू के नेता खास तौर पर राज्य के सभी जिलों में गए तथा बंद व संघर्ष की सफलता के लिए अनेक सभाओं को संबोधित किया.

बंद का महत्व

सफल बंद ने न केवल जनता के भारी समर्थन का प्रदर्शन किया बल्कि भारत सरकार के प्रतिनिधित्व में अधिनायकवाद की ताकतों के प्रति व इसके द्वारा 19 जनवरी की हड़ताल के बाद तीन महीनों के अंदर प्रतिनिधित्व के लिए मजदूर वर्ग को अपनी यूनियनों के स्वयं चयन के लिए अधिकार देने से इंकार के प्रति विरोध को प्रदर्शित किया. महाराष्ट्र की जनता एक बार फिर एकजुट हो कर कांग्रेस (आई) सरकार के लिए खतरे की घंटी बजाने के लिए खड़ी हुई.

राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा अखिल भारतीय एकजुटता दिवस

राष्ट्रीय अभियान समिति ने 16 अप्रैल को दिल्ली में हुई अपनी बैठक में टी यू जे ए सी द्वारा बंद के आह्वान का समर्थन किया और अपने सभी घटकों का आह्वान किया कि वे टैक्सटाइल उद्योग के हड़ताली मजदूरों के समर्थन में 27 अप्रैल को अखिल भारतीय एकजुटता दिवस मनाएं. इंटक विरोधी सभी ट्रेड यूनियनें समूचे देश में बिल्ले लगाकर संयुक्त रैलियां व प्रदर्शन आयोजित करेंगी और हड़ताली मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों के साथ बातचीत से समझौता करने की मांग करते हुए सरकार के पास तार भेजेंगी. एक प्रतिनिधिमंडल भी 22 अप्रैल को राष्ट्रीय अभियान समिति की ओर से प्रधान मंत्री से इस पर समझौते की मांग के समर्थन में मिलेगा.

सीटू द्वारा महाराष्ट्र के मजदूर-वर्ग को बधाई

कामरेड बी.टी. रणदिवे, अध्यक्ष व कामरेड पी. राममूर्ति, संसद सदस्य, महासचिव, सी.आई.टी.यू., ने निम्नलिखित बयान जारी किया है :

सेंटर ऑफ इन्डियन ट्रेड यूनियंज महाराष्ट्र के मज़दूर-वर्ग को 19 अप्रैल को महाराष्ट्र बंद में भागीदारी द्वारा, जिसने राज्य के विभिन्न हिस्सों में औद्योगिक व व्यापारिक गतिविधियों को लगभग पूरी तरह ठप्प कर दिया, बम्बई के टैक्सटाइल मजदूरों के लम्बे संघर्ष के समर्थन में दृढ़ एकजुटता कार्यवाही करने के लिए बधाई देती है.

बदनाम राष्ट्रीय मिल मज़दूर संघ को, जो टैक्सटाइल धन्ना-सेठों के हाथ में नाच रही थी, इस संगठन के खिलाफ विद्रोह करने वालों के कठोर दमन द्वारा ऊपर उठाने की नाकामयाब कोशिश में महाराष्ट्र सरकार की भारी पुलिस बंदोबस्त द्वारा मज़दूरों में आतंक फैलाने, प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करने, और 2,000 से भी ज्यादा मज़दूरों को गिरफ्तार कर, जिनमें कई को एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तार किया गया है, के लिए सीटू निंदा करती है.

सीटू महाराष्ट्र सरकार के पाखण्ड की निंदा करती है क्योंकि यह जब यह कहती है कि यह इसे एक सम्मान का मुद्दा नहीं बनाएगी तब यह मज़दूरों को सलाह देती है कि वे

मज़दूरों की मांगों पर बाद में समझौता होने के लिए छोड़ कर बेशर्त काम पर वापस लौट आएं. सीटू मांग करती है कि मज़दूरों की जायज मांगों पर समझौता करने के लिए हड़ताली टैक्सटाइल मज़दूरों के नेताओं के साथ तुरन्त समझौतावार्ता शुरु की जाए.

सीटू ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति के 27 अप्रैल को 'एकजुटता दिवस' मनाने के आह्वान का समर्थन करती है तथा समूचे देश में अपनी सभी राज्य कमेटियों व सम्बन्ध यूनियनों का अपनी एकजुटता व्यक्त करने और सरकार को बातचीत द्वारा समझौता करने के लिए मज़बूर करने के लिए अपनी शक्तिशाली आवाज़ बुलन्द करने के लिए आह्वान करती है.

संसद में

बम्बई के टैक्सटाइल मज़दूरों की आवाज़ 20 अप्रैल को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए संसद में भी गूँजी.

अजीत साहा (सी.पी.आई.-एम.) ने केन्द्रीय श्रम मंत्री पर स्थिति की गंभीरता को कम करके आंकने तथा 1946 के बी.आई.आर. एक्ट का सहारा लेने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि श्रम मंत्री एक केन्द्रीय श्रम मंत्री की तरह नहीं बल्कि एक इंटक श्रम मंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं. उन्होंने समझौते की मांग की और सरकार से पूछा कि क्या वह बहुसंख्यक यूनियन की जांच के लिए गुप्त मतदान कराने के लिए तैयार हैं.

अजीत बाग (सी.पी.आई.-एम.) ने हड़ताल व बन्द को उचित ठहराया और कहा कि यह पहले ही साबित करती है कि इंटक यूनियन को मज़दूरों का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है. लम्बी व सफल हड़ताल के द्वारा मतदान तो पहले ही हो चुका है. उन्होंने कहा कि पिट्ठू यूनियन को बचाने के लिए सरकार ने लाखों लोगों को भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है.

सुधीर गिरी (सी.पी.आई.-एम) ने वेतन वृद्धि की मज़दूरों की मांग को जायज़ ठहराया और कहा कि मिल मालिकान भारी मुनाफे कमा रहे हैं व मुनाफों को दूसरे उद्योगों में लगा रहे हैं.

दिल्ली के टैक्सटाइल मज़दूरों की हड़ताल

अपनी 13-सूत्री मांगों के समर्थन में और बम्बई के टैक्सटाइल मज़दूरों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दिल्ली के सभी पांच टैक्सटाइल मिलों के 22 हजार मज़दूरों ने 20 अप्रैल को एक दिन की हड़ताल की. हड़ताल का आह्वान संयुक्त रूप से सीटू, एटक व बी.एम.एस. से सम्बद्ध टैक्सटाइल यूनियनों की संयुक्त कमेटी द्वारा किया गया था.

दिल्ली के टैक्सटाइल मजदूरों को सीटू द्वारा बधाई

सीटू के अध्यक्ष बी.टी. रणदिबे ने 21 अप्रैल को निम्नलिखित बयान जारी किया :

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंज दिल्ली के बाइस हजार टैक्सटाइल मजदूरों को, जिन्होंने सीटू, एटक व बी.एम.एस. से सम्बद्ध टैक्सटाइल यूनियनों की संयुक्त कमेटी के आह्वान के समर्थन में दिल्ली के सभी पांचों टैक्सटाइल मिलों में एक दिन की हड़ताल की, बधाई देती है. मजदूरों ने इस कार्यवाही द्वारा अपने 13 सूत्री मांग पत्र के लिए अपना संघर्ष शुरू कर दिया है. यह नोट करने की बात है कि इस हड़ताल के द्वारा दिल्ली के टैक्सटाइल मजदूरों ने बंबई के संघर्षरत टैक्सटाइल मजदूरों के साथ एकजुटता व्यक्त की है.

सीटू दिल्ली पुलिस की भूमिका की निंदा करती है जिसने बिरला मिल व स्वतंत्र भारत मिल पर शांतिपूर्ण पिकेटिंग करने वालों पर लाठियां बरसाई तथा कुल मिलाकर लगभग 130 मजदूरों को गिरफ्तार किया जिसमें सीटू से संबद्ध कपड़ा मजदूर लाल झंडा यूनियन के तथा सीटू की दिल्ली जिला कमेटी के छः पदाधिकारियों सहित सीटू यूनियनों के एक सौ से ज्यादा कार्यकर्त्ता शामिल हैं. इस पुलिस कार्यवाही के द्वारा दिल्ली प्रशासन ने बिरला व डी सी एम के बड़े एकाधिकारी घरानों की खुलेआम तरफदारी की है.

टैक्सटाइल मजदूरों को बधाई देते हुए सीटू उनका आह्वान करती है कि वे अपनी एकता को बनाए रखें व इसे और मजबूत करें तथा अपनी जायज मांगों को स्वीकार कराने के लिए बड़े संघर्षों की तैयारी करें.

सरकार की खस्ता हालत

बम्बई टैक्सटाइल मजदूरों की गौरवशाली हड़ताल ने सरकार की हालत खस्ता कर दी है. अभी तक यह हड़ताली यूनियनों के साथ बात न करने के अपने अड़ियल रवैये पर टिकी हुई थी. अपने कदम को उचित जताने में नाकामयाब होकर अब इसने, हड़ताल को वापस लेकर ताकि सरकार बातचीत कर सके, 'हितकारी वातावरण' पैदा करने का आह्वान किया है. लेकिन मजदूर सरकारी प्रवक्ताओं के पाखंड का अनुभव जानते हैं. इसलिए हड़ताल विजय तक जारी रहेगी.

छपते-छपते

राष्ट्रीय अभियान समिति के नेता 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री से नहीं मिल सके क्योंकि उन्होंने उस दिन के लिए अपनी सारी बैठकें रद्द कर दीं थीं. (22 अप्रैल) □

रिजर्व बैंक कर्मचारियों की हड़ताल

देश भर के अठारह हजार रिजर्व बैंक कर्मचारियों ने 12 अप्रैल को एक दिन की हड़ताल की. इस हड़ताल का आह्वान "आल इण्डिया रिजर्व बैंक एम्प्लाईज एसोसिएशन" ने कार्यभार में वृद्धि व कम्प्युटराइजेशन तथा मशीनीकरण करने के खिलाफ किया था.

यह स्मरणीय है कि रिजर्व बैंक के कर्मचारी काफी लम्बे अर्से से कार्यभार में वृद्धि तथा कर्मचारियों को विस्थापित करने वाली मशीनों और इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटरों के लगाए जाने के खिलाफ संघर्ष करते रहे थे. बार बार विरोध किए जाने के बावजूद करोड़ों करेन्सी नोटों को गिनने और जांच करने की साधारण प्रक्रिया का उल्लंघन करके जलाया जा रहा है, और इस प्रकार सेवा क्षमता को बर्बाद किया जा रहा है तथा देश की मुद्राप्रणाली को खतरे में डाला जा रहा है.

यद्यपि कर्मचारियों की आर्थिक मांगों पर एक अलग समझौता हो चुका था, परन्तु सरकार ने कर्मचारियों के ऊपर एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (दीघे न्यायाधिकरण) थोप दिया जिसमें कम्प्यूटराइजेशन व मशीनीकरण तथा कार्यभार बढ़ाने सम्बन्धी प्रबन्धकों की मांगों का उल्लेख किया गया. दीघे न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में प्रबन्धको को विभागीय काम में कम्प्यूटर इस्तेमाल करने, जहां कहीं भी अधिकारी इस्तेमाल करना चाहें वहां मशीनें लगाने तथा नोट/सिक्के सत्यापन विभागों में 15 प्रतिशत कार्यभार बढ़ाने का पूरा पूरा अधिकार दिया. इसके साथ ही न्यायाधिकरण ने पेंशन योजना सहित कर्मचारियों की अधिकांश वैध मांगों को भी अस्वीकृत कर दिया. पेंशन योजना प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों दोनों ही के प्रतिनिधियों से गठित एक अध्ययन दल द्वारा संयुक्त रूप से तय और हस्ताक्षरित की गई थी. न्यायाधिकरण ने प्रबन्धकों की मांग के अनुसार कर्मचारियों द्वारा लिए जाने वाले गृह-निर्माण-कर्ज तथा अन्य प्रकार की अग्रिम राशि पर ब्याज की दर को काफी बढ़ा दिया है. कर्मचारियों की पदोन्नत्ति सम्बन्धी मांगों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया.

इस फैसले की ताकत से लैस प्रबन्धकों ने 12 अप्रैल से 15 प्रतिशत कार्यभार बढ़ाकर फैसले को लागू करने का अपना निर्णय घोषित किया.

कलकत्ता में 2 और 3 अप्रैल को आल इण्डिया रिजर्व बैंक एम्प्लाईज एसोसिएशन की जनरल काउंसिल द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार कर्मचारियों ने बैंक के 21 कार्यालयों में एक दिन की हड़ताल के साथ 12 अप्रैल से अपना संघर्ष भी छेड़ दिया. इसके बाद कर्मचारी बैंक के प्रत्येक कार्यालय में अतिरिक्त कार्यभार तथा हाथ के काम को मशीनों और कम्प्यूटर के लिए हस्तांतरित करने का लगातार विरोध करते रहेंगे.

आल इण्डिया रिजर्व बैंक एम्प्लाईज एसोसिएशन के महा-सचिव आशीस सेन ने एक बयान में कर्मचारियों से एक लम्बे संघर्ष के लिए तैयारी करने तथा प्रबन्धकों की कर्मचारी-विरोधी चालों के खिलाफ जोरदार प्रतिरोध आन्दोलन खड़ा करने का आह्वान किया है जो न केवल मौजूदा कर्मचारयों की सेवा सुरक्षा पर गहरा असर डालेंगी बल्कि बैंक में भावी रोजगार के भी दरवाजे बन्द कर देंगी.

बैंक एम्प्लाईज फेडरेशन, पश्चिम बंगाल ने सभी जिलों में अपनी इकाइयों से रिजर्व बैंक कर्मचारियों के संघर्ष के साथ एकजुटता जाहिर करने के लिए 12 अप्रैल को रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया.

रिजर्व बैंक में स्वचालन तथा कार्यभार में वृद्धि का सीटू द्वारा विरोध

सीटू अध्यक्ष का. बी. टी. रणदिवे ने 9 अप्रैल को निम्न-लिखित बयान जारी किया:

सीटू रिजर्व बैंक के कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधि संगठन आल इण्डिया रिजर्व बैंक एम्प्लाईज एसोसिएशन के द्वारा विरोध की पूर्ण उपेक्षा करके कम्प्यूटर लगाने और बैंक कर्मचारियों के ऊपर कार्यभार बढ़ाने सम्बन्धी सरकार के निर्णय का विरोध करती है. क्लेरिकल स्टाफ के कार्यभार में वृद्धि स्वाभाविक रूप से अन्य उप-स्टाफ का भी कार्यभार बढ़ाएगी जो कि पहले इस विवाद में शामिल नहीं थे. इस निर्णय ने 12 अप्रैल को एक दिन की विरोध कार्यवाही करने का निर्णय लेने के लिए एसोसिएशन को मजबूर कर दिया है.

ऐसे समय जब देश में बेरोजगारी, विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगारी अब तक के समय में सबसे अधिक हो गई है और लोगों के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय बन चुकी है, ऐसे अवसर पर कम्प्यूटर लगाने और कर्मचारियों का कार्यभार बढ़ाने का सरकार का निर्णय कम से कम भी कहा जाय तो अत्यन्त गलत सलाह पर आधारित है और इससे देश की सेवा-योजन क्षमता में और भी गिरावट आएगी. यदि कर्मचारियों से टकराने की यह नीति बदली नहीं जाती है तो यह बैंक उद्योग में गम्भीर अव्यवस्था का कारण बन सकती है.

इसलिए सीटू मांग करती है कि सरकार एसोसिएशन के नेताओं से इन विषयों पर बाच चीत करे तथा एक समझौता करे.

सीटू तमाम ट्रेड यूनियन केन्द्रों तथा लोकतांत्रिक जन-संगठनों से स्वचालन और कर्मचारियों से इस टकराव के खिलाफ अपनी जोरदार प्रतिरोध आवाज उठाने की अपील करती है जिससे कि सरकार की इन जन-विरोधी तथा मजदूर वर्ग-विरोधी नीतियों को रोका और पराजित किया जा सके.

रिजर्व बैंक में घटनाऐं

नोट परीक्षण में बढ़ाए गए कार्यभार का प्रतिरोध दफ्तर का समय खत्म होने पर अतिरिक्त कार्य को लौटाने द्वारा शुरू हुआ. उसके तुरन्त बाद, प्रबंधकों ने लिखित रूप में यह मांग की कि सामान्य व अतिरिक्त कार्य स्वीकार किया जाएगा और निर्धारित समय में खत्म किया जाएगा. कर्मचारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया. इसलिए उन्हें काम नहीं दिया गया. इसके प्रतिरोध में अन्य विभागों के कर्मचारी सामूहिक प्रतिनिधिमंडल की शक्ल में प्रबंधकों के पास गए और सम्बंधित साथियों के लिए काम की मांग की. जब वे प्रतिनिधिमंडल से वापस आए तो उन्हें दिया गया काम भी वापस ले लिया गया. इस प्रकार कई केन्द्रों में एक तरह की अघोषित तालाबंदी है. प्रदर्शन, जन-प्रतिनिधिमंडल व वाकआउट बार बार आयोजित हो रहे हैं. कलकत्ता व अन्य स्थानों पर दो या तीन दिन की पूरी हड़तालें भी हुई हैं. प्रबंधकों ने बातचीत द्वारा समझौता करने की बजाए उत्पीड़न की नीति अपना ली है. हैदराबाद, नई दिल्ली, बंगलोर, कानपुर आदि में एसोसिएशनों के नेताओं को मुअत्तिल कर दिया गया है और उनको बर्खास्त करने की धमकी दी जा रही है. बर्खास्त किए जाने के लिए कई कारण बताओ नोटिस दिए जा चुके हैं. लेकिन, कर्मचारी इस हमले के खिलाफ दृढ़ता के साथ संघर्ष कर रहे हैं.

केन्द्रीय वित्त मंत्री को दिए गए एक ज्ञापन में संसद के विभिन्न सदस्यों ने सरकार से अनुरोध किया कि वह रिजर्व बैंक के प्रबंधकों को कर्मचारियों की प्रतिनिधि संस्था आल इंडिया रिजर्व बैंक एंप्लाईज एसोसिएशन के साथ समझौता वार्ता शुरू करने तथा समस्या का उपयुक्त समाधान करने के लिए निर्देश दे. ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में सुशील भट्टाचार्य, ई. बालानंदन, सुशीला गोपालन, मुहम्मद इस्माइल (सी पी आई—एम), राम अवतार शास्त्री, गीता मुखर्जी (सी पी आई), मधु दंडवते, प्रमिला दंडवते (जनता), राम विलास पासवान, मनी राम बागड़ी (लोक दल) अन्यों के अलावा शामिल हैं. □

लक्ष्मी विलास बैंक, मद्रास, में आन्दोलन

लक्ष्मी विलास बैंक मद्रास के कर्मचारी प्रबन्धकों की दमनात्मक नीतियों के खिलाफ संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर हुए हैं, क्योंकि प्रबन्धकों ने बुरी नीयत से स्थानान्तरण आदेश, निलम्बन और मनगढ़न्त आधार पर आरोपपत्र देना शुरू कर दिया है. इन विक्टिमाइजेशन के कदमों के साथ पिछले समझौतों को लागू न करना भी शामिल है.

कर्मचारियों ने मद्रास कार्यालय पर 22 से 25 मार्च तक और उसके बाद 29 मार्च से करूर स्थित बैंक के मुख्य कार्यालय पर क्रमिक भूख हड़ताल करने का कार्यक्रम तय किया. □

विजय बैंक में बाहर रहो हड़ताल

विजय बैंक के कर्मचारियों ने यूनियन के नेताओं तथा सक्रिय कार्यकर्त्ताओं के विक्टिमाइजेशन के खिलाफ पूर्वी क्षेत्र में 30 अप्रैल को एक दिन की बाहर रहो हड़ताल करने का निर्णय लिया है. प्रबन्धकों ने अपनी प्रतिशोधात्मक नीतियों को जारी रखते हुए गौहाटी में तीन कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया है. बैंक एम्प्लाईज फेडरेशन, पश्चिम बंगाल, ने अपनी तमाम शाखाओं और जिलों की इकाइयों को विजय बैंक के कर्मचारियों के संघर्ष के साथ लामबन्द होने तथा दण्डात्मक कदमों को वापस लेने की मांग करते हुए विजय बैंक के सामने प्रदर्शन करने का आह्वान किया है. □

बैंक आफ इण्डिया में हड़ताल

बैंक ऑफ इण्डिया के प्रशासन की लगातार कर्मचारी-विरोधी हरकतों के कारण कर्मचारी पिछले चार महीनों से लगातार आन्दोलन कर रहे हैं. कर्मचारियों द्वारा विरोध करने तथा बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद प्रबन्धकों ने उनके ऊपर हमलों को और भी तेज कर दिया तथा चम्पदानी और आसनसोल शाखाओं में दो कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया. कलकत्ता स्थित मिशन रो शाखा के प्रबन्धकों ने एक निलम्बित कर्मचारी को बर्खास्त करने का कदम उठाया है. कोई और विकल्प न होने के कारण कर्मचारियों ने पश्चिम बंगाल की समस्त शाखाओं में 2 अप्रैल को एक दिन की हड़ताल करने का निर्णय लिया.

बैंक एम्प्लाईज फेडरेशन, पश्चिम बंगाल, ने कर्मचारियों के संघर्ष के समर्थन में कलकत्ता में नेताजी सुभाष रोड़ पर स्थित बैंक ऑफ इण्डिया के समक्ष विशाल रैली आयोजित करने का कार्यक्रम बनाया है. □

कलकत्ता-हल्दिया पोर्ट को अलग करना बंद करो

केन्द्रीय सरकार के कलकत्ता व हल्दिया पोर्टों को अलग करने के अचानक कदम से मजदूरों का आन्दोलन शुरू हो गया है. शिपिंग एंप्लाईज फेडरेशन आफ इण्डिया के नेतृत्व में विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के समर्थन से इन पोर्टों को अलग करने के प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की है.

पृष्ठभूमि

दरियाई पोर्ट होने के कारण कलकत्ता भागीरथी-हुगली नदियों में भारी सिल्ट होने की वजह से नेविगेशन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है. कलकत्ता पोर्ट में 1964-65 में कुल एक करोड़ 12 लाख टन माल ढोया गया था. लेकिन अब कलकत्ता व हल्दिया पोर्टों को मिलाकर सालाना 80 लाख टन माल ढोया जाता है. काफी पहले विशेषज्ञों का यह मत था कि केवल कीचड़ निकालने से नदियों की नेविगेबिलिटी बनाई नहीं रखी जा सकती. कलकत्ता पोर्ट को बनाए रखने तथा इसकी रक्षा के लिए 40,000 क्यूसेक पानी की लगातार सप्लाई की जरूरत है. ट्रेड यूनियनों ने यह मांग उठाई. पश्चिम बंगाल विधान सभा ने सर्वसम्मति से इस मांग पर एक प्रस्ताव पारित किया और मुख्यमन्त्री कामरेड ज्योति बसु ने मांग को जायज ठहराते हुए प्रधान मंत्री के साथ कलकत्ता पोर्ट की समस्या के बारे में बातचीत की. फरक्का बांध केवल इसी लिए बनाया गया था कि पूरे साल भागीरथी-हुगली द्वारा 40,000 क्यूसेक पानी की लगातार सप्लाई की जा सके. लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण, गंगा के पानी के बटवारे पर भारत-बंगलादेश संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद कलकत्ता पोर्ट को पानी की इतनी जरूरी मात्रा का आधा भी सूखे के दिनों में नहीं मिलता. उसके बाद पेट्रोलियम, कोयला, खनिज, आदि विशेष भारी माल के लादने व ढोने के लिए बंगाल की खाड़ी के समीप भागीरथी नदी के किनारे हल्दिया बन्दरगाह कंप्लैक्स का निर्माण किया गया था ताकि बड़े जहाज कलकत्ता जा सकें जो हल्दिया में माल उतारने के बाद हल्के होकर कलकत्ता पोर्ट में जा सकते थे.

कलकत्ता-हल्दिया का विभाजन

समूचे कलकत्ता पोर्ट कंप्लैक्स में दो बड़ी बंदरगाहें हैं, नदी के किनारे घाट हैं. तेल घाट बजबज में है, मरम्मत, वेयर-हाउस, गोदामों, यार्डों, कीचड़ निकालने व पायलाटिंग प्रणाली के लिए पांच शुष्क बंदरगाहें हैं और पोर्ट अधिकारियों के तहत इसकी अपनी रेलवे है. यह समूचा ढांचा सालाना एक करोड़ 50 लाख टन माल ढो सकता है. इस पोर्ट के पास देश के समूचे पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र की प्रसाधनों की धनी भूमि है. इस लिए, हल्दिया बंदरगाह कंप्लैक्स वास्तव में कलकत्ता पोर्ट की सहायता के किए, इसके प्राकृतिक हिस्से के रूप में न कि एक अलग पोर्ट के रूप में, बनाया गया था ताकि कलकत्ता पोर्ट का पूरा इस्तेमाल हो सके तथा इस प्रक्रिया में लाभ हो सके. लेकिन इसकी बजाय माल को अन्य पोर्टों के द्वारा ले जाया जा रहा है जिससे रेल व सड़क परिवहन के बढ़े खर्चों के रूप में भारी राष्ट्रीय हानि हो रही है. लक्ष्मीनारायण कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक हल्दिया पोर्ट को कलकत्ता पोर्ट से अलग करने के कदम से स्थिति और भी गंभीर होगी. इसके साथ ही जहां कलकत्ता पोर्ट को हल्दिया से सहायता मिलनी बंद हो जाएगी वहां हल्दिया भी कलकत्ता पोर्ट कंप्लैस की सुविधाओं से वंचित हो जाएगी. इस प्रकार दोनों पोर्टों को नुक्सान होगा और समूचे पूर्वी व उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की अर्थव्यस्था और भी अस्थिर होगी जिससे समूचे देश पर असर पड़ेगा.

अदृश्य इरादा

यह समूचा कदम आंदोलनों व पश्चिम बंगाल विधान सभा के माध्यम से जनता की आवाज़ को नज़रअन्दाज़ करते हुए, शिपिंग एम्प्लाईज फेडरेशन ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल को नज़रअन्दाज़ करते हुए तथा स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए ज्ञापन को नकारते हुए उठाया जा रहा है. विभाजन के समर्थन में केंद्रीय सरकार ने कोई भी तर्कसंगत कारण नहीं बताया है. इस कदम के पीछे कलकत्ता शहर व राज्य के विकास को रोकने के अपने संकीर्ण राजनीतिक लक्ष्य को पूरा करने के अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता. इस कदम का उद्देश्य है कि विकास में इस क्षेत्र को मंद रखा जाय ताकि धीरे-धीरे सी पी आई (एम) के नेतृत्व में वाममोर्चा सरकार की जो कांग्रेस (आई) सरकार की अधिनायकवादी नीतियों के खिलाफ सुरक्षा-दुर्ग की तरह खड़ी रही और जिसने जनवादी प्रक्रिया की उन्नति के लिए प्रकाशस्तम्भ का काम किया, साख को कम किया जा सके. ट्रेड यूनियनों की आवाज़ बंद करने के लिए विकिटमाइजेशन शुरू किया जाना पहले ही शुरू हो गया है. शिपिंग एम्प्लाईज फेडरेशन ऑफ इण्डिया ने सरकार को इस योजना को रद्द करने के लिए मजबूर करने के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. इसने मजदूरों व जनता के सभी हिस्सों का आह्वान किया है कि वे सरकार की इन करतूतों को शिकस्त देने के लिए एकजुट हो कर संघर्ष करें. □

मजदूर वर्ग विरोधी औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक लोक सभा में पेश

इंद्रजीत गुप्ता, सत्य साधन चक्रवर्ती, सुनील मोइत्रा, अजय बिसवास, मधु दंडवते व अन्य संसद सदस्यों के जबरदस्त विरोध के दौरान जो करीब एक घंटा चला, श्रम राज्य मंत्री ने शुरूआत में ही विभाजन के बाद 23 फरवरी को लोक सभा में औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1982 का विधेयक न. 47, पेश कर दिया.

विधेयक में बदनाम औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के लगभग सभी मजदूर विरोधी प्रावधान शामिल हैं और ये उससे भी ज्यादा हैं. संसद सदस्य मजदूर वर्ग के केवल गुस्से का इजहार कर रहे थे जो 19 नवम्बर 1978 को औद्योगिक सम्बंध विधेयक के खिलाफ सम्मेलन तथा उसके अगले दिन मजदूरों के संसद के लिए मार्च में, जिसने दो करोड़ हस्ताक्षरों सहित एक पेटिशन तत्कालीन लोक सभा को दी थी, व्यक्त हुआ था.

यह विधेयक और भी पतनशील है क्योंकि इसमें क्लाज 21 के द्वारा मूल कानून में एक नया सेक्शन 36 बी जोड़ने का प्रावधान है जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योगों को औद्योगिक विवाद कानून के दायरे से निकाला जा सकता है. यह रेलवे, डाक-तार, सुरक्षा, बैंक, बीमा जैसे काफी उद्योगों पर असर डालेगा और हो सकता है इसके तहत इस्पात, कोयला, भेल व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को भी ला दिया जाए.

विधेयक के प्रतिक्रियावादी चरित्र के अलावा, संसद सदस्यों ने कहा कि इसको केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ सलाह किए बिना पेश करना, जिसके बारे में तत्कालीन श्रम मंत्री ने लोक सभा को आश्वासन दिया था, आश्वासनों के साथ विश्वासघात करना होगा. उन्होंने यह भी कहा विधेयक में किया गया द्वेषजनक भेदभाव भी इसे कानून में गंदा सिद्ध करता है.

यह नोट करने की बात है कि ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा कोयला, इस्पात व भेल में तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के लिए एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित करने के फैसले के एक सप्ताह के अंदर यह विधेयक पेश किया गया है.

सीटू का बयान

सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियंज के अध्यक्ष कामरेड बी.टी. रणदिवे तथा महासचिव पी. राममूर्ति ने 23 अप्रैल को यह बयान जारी किया है :

सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियंज औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक 1982 के, जिसे तीन साल पहले तत्कालीन औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के सम्बन्ध में इंटक सहित देश के संगठित मज़दूर-वर्ग की सोची-समझी राय के प्रति बिलकुल अनादर के साथ भारत सरकार द्वारा आज संसद में पेश किया गया है, मज़दूर-वर्ग विरोधी प्रावधानों की कड़ी निन्दा करती है. सरकार ने न केवल उद्योग की परिभाषा से अस्पतालों, औषधालयों, शैशिक्ष, वैज्ञानिक, अनुसंधान या प्रशिक्षण संस्थानों को बाहर निकाल लिया है बल्कि उन संस्थानों में जो सरकार के नियंत्रण में हैं औद्योगिक विवाद कानून के लागू रहने को अधिसूचना द्वारा समाप्त कर सकने की ताकत इस पाखंडी बहाने से प्राप्त कर ली है कि वहां एक वैकल्पिक शिकायत प्रणाली लागू है. इस प्रकार भारी संख्या में औद्योगिक मज़दूर अपनी शिकायतों के निवारण के लिए तथा अपनी सेवा व जीवनयापन की शर्तों पर हमलों के खिलाफ औद्योगिक विवाद उठाने के अपने प्राथमिक अधिकार से बंचित होने जा रहे हैं.

भारत सरकार ने समाधान, निपटारे व मध्यस्थता आदि की एक लम्बी प्रक्रिया प्रस्तावित की है जिसका पालन किए बिना हर हड़ताल को गैर-कानूनी माना जाएगा. इसप्रकार हड़ताल के अधिकार को जिसे मज़दूरों ने दसियों साल के कड़वे संघर्षों से प्राप्त किया है उनसे छीना जा रहा है. जब कोई विधेयक में शामिल अनुचित श्रम व्यवहार के प्रावधान पर नजर डालता है, जिसमें पिकेटिंग तक को अनुचित श्रम व्यवहार कहा गया है, तो घिनौनी साजिश का पता चलता है. एक शब्द में कहें तो यह विधेयक सभी क्षेत्रों में हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाता है.

सीटू भारत सरकार को चेतावनी देती है कि वह विधेयक को लागू करने के लिए आगे न बढ़े, क्योंकि मज़दूर-वर्ग इन प्रावधानों को कभी भी अपने ऊपर लगने नहीं देगा तथा अपने बुनियादी अधिकार—हड़ताल के अधिकार—को छीने जाने की कोशिश को नाकाम करने के लिए अपनी ताकत के अनुसार हर संभव काम करेगा.

सीटू सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से एकजुट होने तथा सरकार की काली करतूतों को धराशायी करने, मजदूर-वर्ग की एकजुट शक्ति को लामबंद करने और दसियों साल के त्याग, खून व मुसीबतों द्वारा अर्जित उनके अधिकारों की सुरक्षा करने की अपील करती है. □

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की सफल हड़ताल

जन गिरफ्तारियों, जिनमें अनेक एस्मा व एन एस ए के तहत हुईं, व बर्खास्तगियों की परवाह न करते हुए की गए 23 दिन की संपूर्ण हड़ताल द्वारा राजस्थान के साढ़े चार लाख सरकारी कर्मचारियों ने राज्य सरकार को 9 अप्रैल को एक समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया. बिहार सरकार के कर्मचारियों की गौरवशाली हड़ताल के बाद जिसके द्वारा कर्मचारियों ने देखते ही गोली मारने के आदेश की परवाह न करते हुए राज्य सरकार को एक समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया था, देश में राज्य सरकार कर्मचारियों का तीन महीनों के अन्दर यह दूसरा बड़ा आंदोलन था.

सरकार विभिन्न कमेटियों की उन सिफारिशों को लागू करने से इंकार करती रही है जो कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं देती हैं जबकि यह उन विनाशी सिफारिशों को लागू करने के लिए कदम उठाती रही है जो मजदूरों की एकता में बाधा डालती हैं, इसका उदाहरण है एल आई सी के विभाजन का प्रस्ताव. सभी मामलों में मजदूरों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए संयुक्त संघर्षों की अपनी भावना का प्रदर्शन किया है. बिहार सरकार कर्मचारियों ने चौथी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए सफलता पूर्वक संघर्ष किया और राजस्थान के कर्मचारियों ने ऐसा बेरी आयोग की सिफारिशों के संबंध में किया.

सरकार दुविधा में

राजस्थान सरकार कर्मचारियों की हड़ताल को उस समय नया मोड़ मिला जब जेल के वार्डनों ने भी हड़ताल में भाग लिया. कर्मचारियों के पक्के निश्चय व उनकी ज़बरदस्त एकता तथा राज्य की विभिन्न जेलों के लगभग सभी वार्डनों द्वारा हड़ताल में भाग लेने से राजस्थान सरकार को अपनी 'नीतियां' लागू करने के काम में दुविधा में डाल दिया. एक ओर इसने घोषणा की कि बेरी अयोग की सिफारिशों को मानना इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, दूसरी ओर अपनी दमनकारी नीतियों के तहत इसने दो हजार से भी ज्यादा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया तथा सात हजार से भी ज्यादा कर्मचारियों को बर्खास्त या मुअत्तिल किया. लेकिन इस सब से कर्मचारी घबराए नहीं. इसके अलावा भारी संख्या में महिलाओं सहित लगभग पांच हजार कर्मचारियों ने गिरफ्तारियां देने की पेशकश की. कर्मचारियों के इस भारी आंदोलन का सामना करने में सरकारी मशीनरी बुरी तरह से नाकाफी साबित हुई.

शांतिपूर्ण हड़ताल

समाचारपत्रों के अनुसार, 30 मार्च को जल्दी में बुलाए गए 'महत्वपूर्ण' संवाददाता सम्मेलन में स्वयं मुख्यमंत्री गैर-हाजिर थे. कुछ देर के बाद यह घोषणा की गई कि मुख्य सचिव संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे. लेकिन बाद में गृह-सचिव ने इसे संबोधित किया और केवल "कानून व व्यवस्था" की समस्या तक ही स्वयं को सीमित रखना पसंद किया क्योंकि "हड़ताल के बारे में सवालों का जवाब वह नहीं दे सकेंगे." कानून व व्यवस्था के बारे में गृह सचिव को यह मानना पड़ा कि समूचे राज्य में हड़ताल शांतिपूर्ण है. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि "कानून व व्यवस्था" को बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस की मदद के लिए सी आर पी एफ तथा बी एस एफ की दो बटालियनें नियुक्त की गई थीं. तब फिर यह सवाल उठता है कि जब स्वयं गृह सचिव के अनुसार समूचे राज्य में हड़ताल शांतिपूर्ण थी तो दो हजार से भी ज्यादा कर्मचारियों को क्यों गिरफ्तार किया गया. ज़वाब आसान है—मजदूरों के जनवादी तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों को दबाने के लिए. और जब हड़तालें शांतिपूर्ण भी हों तब भी इन अधिकारों के इतने प्रतिशोध के साथ दमन की कोशिशें सरकार के अधिनायकवादी चरित्र को दर्शाती हैं.

फिर भी, अपने बढ़ते संघर्षों के द्वारा अपने अनुभव से पके ये कर्मचारी भड़के नहीं और उन्होंने सरकार की दमनकारी नीतियों के सामने झुकने से इंकार कर दिया. हड़ताल को जारी रखते हुए उन्होंने बातचीत के दरवाजे बन्द नहीं किए. एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें आल इन्डिया स्टेट गवर्नमेंट एंप्लाईज फेडरेशन के महासचिव अरबिंद घोष, सांसद (सी पी आई—एम) व सचिव सुकोमल सेन, सांसद (सी पी आई—एम) और उड़ीसा स्टेट एन जी ओ कोआर्डिनेशन कमेटी के महासचिव राजेंद्र राउत शामिल थे, 3 अप्रैल को केन्द्रीय वित्त मंत्री से मिला और उनसे अनुरोध किया कि वे समझौते के लिए इसमें हस्तक्षेप करें. इससे पहले, फेडरेशन के अध्यक्ष पी.एन. शुकुल सहित यही प्रतिनिधिमंडल राजस्थान के मुख्य मंत्री से मिला जिसने कहा कि धनाभाव के कारण मांगें स्वीकार नहीं की जा सकतीं. फेडरेशन के नेताओं द्वारा केन्द्रीय वित्त मंत्री को दिए गये ज्ञापन में उनसे अनुरोध किया गया है कि कर्मचारियों की जायज मांगों को मानने के लिए राजस्थान सरकार को धन दिया जाए. मजदूरों के सभी हिस्सों से चहुमुखी समर्थन मिला. राजस्थान में 5 अप्रैल को आयोजित एकजुटता दिवस में भारी रैलियां आयोजित की गईं जिन्हें सी पी आई (एम), सी पी आई लोकदल, कांग्रेस (एस) तथा जनता पार्टी के नेताओं ने संबोधित किया. एक और बयान में सीटू के अध्यक्ष बी.टी. रणदिवे तथा महासचिव पी. राममूर्ति ने सरकार द्वारा कर्मचारियों के कठोर

(शेष पृष्ठ 42 पर)

4 जून को अखिल भारतीय प्रतिरोध दिवस

पिछले साल 4 जून को बंबई सम्मेलन ने भारत के मजदूर वर्ग के कीमत वृद्धि व सरकार की श्रमविरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट संघर्षों की शुरूआत की थी, और इस साल इसी दिन, 4 जून, को अखिल भारतीय प्रतिरोध दिवस मनाने का राष्ट्रीय अभियान समिति ने मेहनतकश जनता के सभी हिस्सों का आह्वान किया है. इसे समूचे देश में बिल्ले लगाकर संयुक्त रैलियों, प्रदर्शनों व जुलूसों द्वारा मनाया जाएगा. यह फैसला 16 अप्रैल को नई दिल्ली में राष्ट्रीय फेडरेशनों के साथ इसकी बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता एटक की पार्वती कृष्णन ने की. आंदोलन के पहले चरण की योजना स्वयं बंबई सम्मेलन में ही तैयार की गई थी. संघर्षों के द्वारा प्राप्त एकता ने राष्ट्रीय अभियान समिति व ट्रेड यूनियनों को मजबूत कर दिया. इस दौरन मालिकान के बढ़ते हमलों और सरकार की एक के बाद एक अधिनायकवादी कार्यवाहियों ने मजदूरों के और अधिक हिस्सों को मुख्यधारा के साथ जोड़ दिया. 16 अप्रैल की बैठक में उस दिन तक अधिकतम फेडरेशनों ने भाग लिया. मजदूर वर्ग की अनेक समस्याओं पर विचार किया गया. एस्मा, एन एस ए तथा इसके तहत 16 उद्योगों की अधिसूचना, आई एम एफ कर्ज, उत्पादकता से जुड़े वेतन तथा इसे इस्पात, कोयला आदि में लागू करना, जन-विरोधी बजट, रेलवे किराए व माल-भाड़े में वृद्धि, डाक की दरों में वृद्धि, वेतन जाम व केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को रोकना, एल आई सी का प्रस्तावित विभाजन, किसानों व खेतिहर मजदूरों की मांगें, गलत उपभोक्ता सूल्य सूचकांक, ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों पर बढ़ते हमले, बढ़ती छंटनी, बंदी व तालाबंदी तथा 19 जनवरी की हड़ताल में भाग लेने के कारण विक्टिमाइजेशन—ये सब विभिन्न फेडरेशनों के तीस से भी ज्यादा वक्ताओं द्वारा बहस के मुद्दे बने.

एटक के महासचिव इन्द्रजीत गुप्ता ने अपने परिचयभाषण में कहा कि राष्ट्रीय अभियान समिति अपने आन्दोलन के दूसरे चरण में न केवल बंबई सम्मेलन में उठाई गई मांगों पर संघर्ष को आगे बढ़ाएगी बल्कि इस्पात व कोयला उद्योग तथा भेल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के मजदूरों के साथ, जहां अब नए समझौते होने हैं तथा वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक संस्थानों के ब्यूरो को निर्देश दिया है कि उत्पादकता से जुड़े वेतन की योजना लागू की जाय, मिलकर उनकी मांगों के लिए भी संघर्ष करेगी.

रेलवे, सुरक्षा, डाक आदि जैसे केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के विभिन्न हिस्सों के नेताओं ने भी भाग लिया और कर्मचारियों की सभी श्रेणियों में तालमेल पर और अधिक जोर देने की अपनी भावना व्यक्त की ताकि वे भी भविष्य में देशव्यापी संयुक्त संघर्षों की मुख्यधारा में शामिल हो सकें.

4 जून को अखिल भारतीय प्रतिरोध दिवस मनाने के फैसले के अलावा बैठक ने कुछ फौरी ज्वलंत समस्याओं पर कई प्रस्ताव भी अपनाए.

बैठक ने एन एस ए के तहत उस अधिसूचना की जिसके द्वारा 16 उद्योगों को इसके प्रावधानों के अंतर्गत ला दिया है निन्दा की. इसने केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को रोकने की भी निंदा की तथा उनका आह्वान किया कि वे अपने हितों की रक्षा के लिए एकजुट संघर्ष शुरू करें.

बैठक ने ज्यादा उत्पादकता के साथ भावी वेतन वृद्धिओं को जोड़ने के बी.पी.ई. के निर्देशों की भी निन्दा की और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के मज़दूरों का आह्वान किया कि वे इसका पुरजोर विरोध करें. इसने इस्पात, कोयला, भेल आदि के मज़दूरों का सम्मेलन आयोजित करने का भी फैसला किया ताकि उसके सिर पर सवार योजना के खिलाफ एकजुट आन्दोलन के कार्यक्रम में उन्हें एकजुट किया जा सके.

एक और प्रस्ताव के द्वारा बैठक ने ट्रेड यूनियन अधिकारों पर बढ़ते हमलों की निन्दा की और 19 जनवरी की हड़ताल में भाग लेने के कारण मज़दूरों के खिलाफ उठाए गए सभी दमनकारी कदमों की तुरन्त वापसी की मांग की.

बैठक ने बम्बई के टैक्सटाइल उद्योग के ढाई लाख हड़तालो मज़दूरों के साथ एकजुटता व्यक्त की और उनके संघर्ष के समर्थन में 27 अप्रैल को अखिल भारतीय एकजुटता दिवस मनाने का फैसला किया. इसने 22 अप्रैल को एक प्रतिनिधि-मण्डल द्वारा प्रधानमन्त्री के साथ मिलने व उनसे हड़तालो यूनियनों के साथ बातचीत द्वारा समझौता करने की मांग करने का भी फैसला किया.

बहस का समापन करते हुए सीटू के महासचिव पी. राममूर्ति ने कहा कि बढ़ते संघर्षों की महत्ता यह है कि मेहनतकश जनता के ज्यादा से ज्यादा हिस्से भारत सरकार की श्रमविरोधी व इजारेदार परस्त नीतियों के प्रहार का अनुभव कर रहे हैं और वे प्रतिरोध की एक मजबूत दीवार बनाने के लिए एक संयुक्त मंच में शामिल हो रहे हैं. उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि वे और भी ज्यादा हिस्सों को, किसानों व खेतिहर मज़दूरों को, महिलाओं, युवकों व छात्रों को लामबंद करें तथा कांग्रेस(आई) सरकार के अधिनायकवादी हमलों का, जो देश में गहराते आर्थिक संकट के साथ बढ़ रहे हैं, प्रतिरोध करने के लिए जनवादी ताकतों को और मजबूत बनाएं. □

ई.एस.आई. की सुविधाओं में कटौती की कोशिश

कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) पुनरीक्षण समिति ने सीटू तथा अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों को निम्नलिखित सुझावों पर विचार करने के लिए 22 मार्च को आमंत्रित किया :

1. (i) मज़दूरों को अंशदान का अपना हिस्सा अदा करने से मुक्त कर दिया जाय अथवा उन पर नाममात्र के लिए अंशदान लगाया जाय.

   (ii) बीमारी सुविधा को अस्पताल में भर्ती रहने के समय तक अथवा लम्बी बीमारी—जिसके लिए अभी विस्तारित बीमारी सुविधा दी जा रही है —तक सीमित कर दिया जाय.

   (iii) कम अवधि की बीमारी के लिए अदायगी को सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा तय किया जाय.

2. दूसरी ओर बीमारी सुविधा अथवा अस्थाई अंगहीन सुविधा को हड़ताल, तालाबन्दी, अस्थायी छंटनी अथवा पूर्ण-बन्दी के दौरान सिवाय हड़ताल आदि शुरु होने के समय हकदार लोगों के अदायगी न की जाय.

एम.के. पन्ध, नृसिंह चक्रवर्ती तथा सुशील भट्टाचार्य, संसद सदस्य, ने उस विचार विमर्श में सीटू का प्रतिनिधित्व किया. शुरु में ही कमेटी से पूछा गया कि ये सुझाव किसके हैं तथा क्या विषय सं. 1, एकमुश्त प्रस्ताव है अथवा इसके प्रत्येक उप-विषय पर अलग-अलग राय दी जा सकती है.

कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि उप-विषय सं. (iii) को वापस लिया गया समझा जाय और बाकी दो एकमुश्त प्रस्ताव हैं. उन्होंने यह भी कहा कि सुझाव का स्रोत महत्वपूर्ण नहीं है.

यह बताया गया कि सीटू ने पहले ही कर्मचारी राज्य बीमा को अंशदान रहित करने की मांग की है. परन्तु इसके लागू होने तक 360 रुपये अथवा इससे कम मासिक आमदनी वाले मज़दूरों को किसी भी प्रकार के अंशदान से मुक्त कर दिया जाय. पहले से ही पेश किए गये स्मरण-पत्र में बाकी मुद्दों का विरोध किया गया है.

बातचीत के दौरान यह कहा गया कि हड़ताल के समय में सुविधाओं को वापस लेना सामाजिक सुरक्षा योजना के चरित्र को ही समाप्त कर देगा. इसके अतिरिक्त सिद्धान्ततः भी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मज़दूरों को हड़ताल के दौरान सबसे अधिक चिकित्सा सुविधा की जरुरत पड़ती है.

सीटू ने इस तरह की तमाम प्रस्तावित कटौतियों का विरोध किया और दूसरी ओर सुविधाओं को और भी विस्तारित करने की मांग की. □

तमिलनाडु राज्य कमेटी की बैठक

सीटू की तमिलनाडु राज्य कमेटी ने सभी जिलों में मज़दूरों व किसानों की मांगों पर जन-आन्दोलन करने का फैसला लिया है. इरोडे में 26 से 28 मार्च को आयोजित बैठक में इसने बढ़ती छंटनी, ले-आफ, बंदी, तालाबंदी के खिलाफ, उत्पादकता से जुड़े वेतन, पुलिस दमन के खिलाफ और किसानों व खेतिहर मज़दूरों पर हमलों के खिलाफ हर जिले में सम्मेलन करने का फैसला किया. इसने महिलाओं की मांगों पर कॉमन मांगें बनाकर संघर्ष के निर्माण तथा मद्रास, मदुरई, नीलगिरी, कन्याकुमारी व सालेम में होने वाले महिला सम्मेलनों में भाग लेने के लिए कामगार महिलाओं के बड़े हिस्सों को लामबंद करने का भी फैसला लिया.

एक प्रस्ताव में कमेटी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस), हिन्दू मुन्नानी व अन्य सांप्रदायिक संगठनों की कन्याकुमारी तथा राज्य के अन्य हिस्सों में सांप्रदायिक झगड़े भड़काने के कारण निंदा की. शोकग्रस्त परिवारों को संवेदना भेजते हुए प्रस्ताव ने सभी जनवादी व संप्रदाय विरोधी ताकतों का आह्वान किया कि वे उनकी सांप्रदायिक साजिशों को परास्त करें, मेहनतकश जनता व मज़दूर-वर्ग के बीच एकता स्थापित करें और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के लिए संघर्ष करें.

एक अन्य प्रस्ताव में कमेटी ने राज्य सरकार की हड़तालों पर रोक लगाने वाले एक नए श्रम-विरोधी विधेयक को वापस लेने की मांग की. अन्य प्रस्तावों में मांग की गई कि 19 जनवरी की हड़ताल में भाग लेने के कारण किए गए विक्टी-माइजेशन के सभी मामले वापस लिए जाएं व 19 जनवरी को तंजौर जिला में हुए गोलीकांड की कानूनी जांच की जाय. बजट प्रस्तावों में बढ़े करों के खिलाफ तथा राज्य सरकार की विद्युत व चीनी उद्योग आदि में निजि क्षेत्र को घुसने की इज़ाजत देने की नई नीति के खिलाफ भी प्रस्ताव अपनाए गये. कमेटी ने "तंजौर जिला 19 जनवरी शहीद फंड" के लिए 50,000 रुपये इकट्ठे करने का भी फैसला लिया. □

पी. के. मोइत्रा बरी

सीटू की मध्य प्रदेश राज्य कमेटी के उपाध्यक्ष तथा सिप्लैक्स एंम्पलाईज यूनियन के अध्यक्ष पी.के. मोइत्रा को, जिन्हें झूठे 'सिप्लैक्स बम केस' में फंसा दिया गया था, दुर्ग जिला कोर्ट ने 25 फरवरी को पूरी तरह बरी कर दिया.

याद रहे कि पी.के. मोइत्रा के नेतृत्व में सिप्लैक्स इंजीनियरिंग के छः सौ मजदूर पांच बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली की मांग करते हुए 21 अप्रैल 1981 से हड़ताल पर थे. कांग्रेस (आई) के गुंडों की मदद से पुलिस ने अभूतपूर्व दमन ढाना शुरू कर दिया था. मजदूरों के बढ़ते प्रतिरोध को रोक सकने में नाकामयाब होकर पुलिस की मदद से समाजविरोधी तत्वों ने तथाकथित 'बम केस' कांड किया. ईदनाथ व हिसुराम सहित पी.के. मोइत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया तथा झूठे केस उन पर लगा दिए. नेताओं व मजदूरों को तंग करने के लिए उन्हें जमानत पर भी नहीं छोड़ा गया तथा छः महीनों तक जेल में रखा गया. लेकिन मजदूरों को प्रबंधकों व पुलिस से घृणा हो गई तथा संघर्ष को बिना किसी डर के जारी रखा. यहां तक कि उनके बच्चे भी भूख से मर गए लेकिन उन्होंने अपने नेताओं की रिहाई के बिना प्रबंधकों के सामने झुकने से इंकार कर दिया. मजदूरों के अन्य हिस्सों ने संघर्ष को समर्थन दिया तथा नेताओं की रिहाई तथा उत्पीड़ित मजदूरों की बहाली की मांग करते हुए भारी रैलियां आयोजित की गई. अंततः क्योंकि पी.के. मोइत्रा व अन्यों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया. मजदूरों ने एक विजय रैली आयोजित की.

लेकिन कांग्रेस (आई) शासकों की पी.के. मोइत्रा को घेरने की काली करतूतें जारी रहीं और उनकी रिहाई के बाद उन्हें तुरन्त एन एस ए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया. एक और झूठा मामला लगा दिया गया. मध्य प्रदेश सरकार के गृहमंत्री तक ने तीन मार्च को पुलिस गोलीकांड पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में विधान सभा को गुमराह किया कि पी.के. मोइत्रा ने पुलिस स्टेशन की दीवारें तोड़ने के लिए जनता को उकसाया, पुलिस स्टेशन में आग लगाने व हथियार लूटने की कोशिश की.

लोक सभा में सी पी आई (एम) दल के नेता व सीटू के कोषाध्यक्ष समर मुखर्जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र में कहा कि भिलाई में जनता पर बिना किसी उकसावे के की गई गोलबारी को उचित ठहराने के लिए जानबूझकर पी.के. मोइत्रा के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि तीन वकीलों की गवाही ने यह साबित कर दिया है कि आठ फरवरी के आन्दोलन में पी.के. मोइत्रा वहां हाजिर ही नहीं थे; यह आन्दोलन पुलिस प्रशासन की गैरजिम्मेदारी के खिलाफ जनता की कानूनी व उचित शिकायतों का प्रदर्शन था. असल स्थिति सामने लाने के लिए समर मुखर्जी ने अपने पत्र के साथ डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट व सुपरिंटेंडेंट पुलिस के उस बयान की फोटोकाफी भी भेजी जिसमें इस कांड के लिए कांग्रेस (आई) से सम्बंधित डा. अवस्थी पर आरोप लगाया गया है. समर मुखर्जी ने कहा कि गृहमंत्री ने पी.के. मोइत्रा का नाम उन पर हमले और तेज करने तथा आन्दोलन को राजनीतिक चरित्र देने के लिए लिया है. उन्होंने चार विपक्षी पार्टियों के मुख्य मंत्री के नाम पत्रों का भी हवाला दिया जिनमें असल स्थिति बयान की गई है. उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे गृहमंत्री से गलती सुधारने के लिए तथा विधान सभा से माफी मागने के लिए कहें नहीं तो इससे जनवादी सिद्धांतों पर चोट लगेगी तथा जनता कानून द्वारा चलने वाली प्रणाली में अपना विश्वास खो बैठेगी.

पुलिस दमन के खिलाफ व उत्पीड़ित मजदूरों की बहाली के लिए सिप्लैक्स मजदूरों का संघर्ष जारी है. □

समाज-विरोधी तत्वों द्वारा आयकर कर्मचारियों पर हमला

ग्राम प्रधान के नेतृत्व में समाज-विरोधी तत्वों ने 15 अप्रैल को कानपुर से 60 किलोमीटर दूर मुसानगर में आयकर कर्मचारियों के एक दल पर हमला किया. यह दल दो प्रभावशाली जौहरियों के कार्यालय व घर पर तथाकथित काले धन की तलाश करने के लिए अपनी ड्यूटी पर था. इंकम टैक्स एम्प्लाईज फेडरेशन ने कहा है कि ग्राम प्रधान शासक पार्टी से सम्बन्धित है.

हमेशा की तरह दल ने छानबीन के लिए पुलिस संरक्षण मांगा था. लेकिन जब यह दल कुछ अफसरान के नेतृत्व में उस स्थान पर गया तो उक्त ग्राम प्रधान के नेतृत्व में समाज-विरोधी तत्वों के एक बड़े गिरोह ने दल पर घातक हथियारों से हमला किया और उसके सामान को लूट लिया. एक महिला सदस्य जो दल में थी को भी नहीं छोड़ा गया. फेडरेशन ने कहा है कि जांच दलों पर इस तरह के गुंडा हमले एक आम बात हो गई है. ऐसा जम्मू-कश्मीर तथा दिल्ली में भी हुआ है. इसने आरोप लगाया है कि ये जौहरी डाकुओं के गिरोह से सम्पर्क रखते हैं और लूट के माल को बाज़ार में बेचने के लिए अपना हिस्सा लेते हैं. सरकार को बार-बार भेजे गए ज्ञापनों का कोई परिणाम नहीं निकला है. प्रतिरोध के रूप में अफसरान सहित कर्मचारी 17 अप्रैल से हड़ताल पर चले गए हैं. फेडरेशन ने जौहरियों व ग्राम प्रधान सहित गुंडों की गिरफ्तारी की, जांच दलों की पर्याप्त सुरक्षा की, और जांच दल के सदस्यों को घायल होने व सामान गुम होने आदि का मुआवजा देने की मांग की है. □

सीटू यूनियन पर हमला

सीटू यूनियन अयोध्या शूगर मिल्ज मज़दूर सभा, राजा-कासहसपुर (मुरादाबाद), उत्तर प्रदेश, को तोड़ने के लिए प्रबन्धकों के आदमियों ने इसके पदाधिकारियों पर सीधे हमले करना शुरू कर दिया है. भारत सरकार के संस्थान अयोध्या शूगर मिल्ज के कस्टोडियन ने 18 मार्च की रात को शराब के नशे में दुत्त होकर यूनियन के उपाध्यक्ष पर जो उस समय ड्यूटी पर था सीधा हमला किया. प्रबन्धकों के आदमियों की गुंडागर्दी और शराब पीकर मिल के अहाते में घूमना एक आम बात हो गई है. अधिकारियों व सरकार से किए गए प्रतिरोधों का कोई फल नहीं निकला. प्रबन्धकों की ऐसी बर्बर कार्यवाहियों की परवाह न करते हुए उनके दमन का शक्तिशाली प्रतिरोध करने के लिए मज़दूर एकजुट हो गए हैं. □

सीमेंट मजदूर ...

[पृष्ठ 28 से आगे]

बैठक राज्यव्यापी संयुक्त आंदोलन के सवाल पर विचार करने के लिए 19 अप्रैल को त्रिचि में संपन्न हुई.

सीटू अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ भी संपर्क स्थापित कर रही है ताकि कई गैर-इंटक यूनियनों द्वारा दिए गए मांग पत्र पर समझौता करने के लिए जोर देने के लिए सीमेंट मजदूरों के देशव्यापी आंदोलन के सवाल पर विचार करने के लिए एक अखिल भारतीय बैठक शीघ्र ही आयोजित की जा सके. □

जे.के. जूट मजदूरों की हड़ताल

[पृष्ठ 29 से आगे]

कानपुर जूट उद्योग आदि से रैली में भाग लेने के लिए जुलूस की शक्ल में आए. मुहम्मद अमीन के अलावा रैली को आल इंडिया जूट वर्कर्स फेडरेशन की अध्यक्ष लक्ष्मी सहगल, सीटू की उत्तर प्रदेश कमेटी के महासचिव दौलत राम, आई ई एल एंप्लाईज यूनियन के महासचिव अरविंद कुमार, कानपुर डिविजन इंश्योरेंस एंप्लाईज एशोसिएशन ने सचिव जी. पी. पांडे, यू पी बैंक वर्कर्स फेडरेशन के संयोजक कमल रमणी, सूती मिल मजदूर सभा के अध्यक्ष श्याम सुंदर, डी वाई एफ आई के चक्रपानि दीक्षित आदि ने संबोधित किया. रैली ने सरकार से मांग की कि वह प्रबंधकों को बातचीत द्वारा समझौता करने के लिए मजबूर करें.

कानपुर जूट मिल मजदूरों ने 16 अप्रैल को वेतन मांगो पर हड़ताल करने का फैसला किया. □

संपादक मंडल

बी.टी. रणदिवे (**अध्यक्ष**)

पी. राममूर्ति — मनोरंजन राय

नीरेन घोष — सुधीन कुमार

एम.के. पंधे (**संपादक**)

राजस्थान के कर्मचारियों की हड़ताल

[पृष्ठ 38 से आगे]

दमन की निंदा की तथा भारत सरकार से मांग की कि यह सभी राज्य सरकारों को कर्मचारियों की जरूरियात को पूरा करने के लिए, मंहगाई भत्ते देने के लिए और वेतन आयोगों द्वारा वेतन वृद्धि की सिफारिसों को मानने के लिए पर्याप्त धन दे. उन्होंने कर्मचारियों को बधाई दी और उनका एकजुट होकर संघर्ष को आगे बढ़ाने का आह्वान किया. बयान में सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से एकजुट होने तथा कर्मचारियों के जायज मांगों के लिए संघर्ष का समर्थन करने की अपील की.

दमन की परवाह न करते हुए कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखी और आखिर में सरकार को एक समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया. □

केरल का वामपंथी जनवादी मोर्चा

[पृष्ठ 30 से आगे]

जनता ने इन्दिरा गांधी द्वारा लादी गई एमर्जेंसी के खिलाफ भारी प्रतिरोध कार्यवाहियां आयोजित कीं तथा इसकी वापसी की मांग की. यहां की जनता अब भी अधिनायकवादी व प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ जनवादी ताकतों को और मजबूत करने के लिए संघर्षरत है. देश के मज़दूर-वर्ग, किसानों, मेहनतकश जनता और जनवादी ताकतों को पूरा विश्वास है कि केरल की जनता एक बार फिर उठ खड़ी होगी तथा यू.डी.एफ. के नेतृत्व वाली प्रतिक्रियावादी ताकतों को शिकस्त देगी और जनवादी अधिकारों को और मजबूत बनाने के लिए वामपंथी मोर्चा सरकार को फिर से स्थापित करेगी. □

उज्जैन में मजदूरों पर बर्बर लाठीचार्ज

पुलिस ने विनोदी मिल्ज, उज्जैन, के मज़दूरों पर 14 अप्रैल को तराना रोड रेलवे स्टेशन पर बर्बर लाठीचार्ज किया. उस समय मज़दूर मिल को खोलने की मांग पर जोर देने के लिए भोपाल प्रदर्शन करने लिए आ रहे थे.

विनोदी मिल पिछले छः महीनों से बंद है जिससे आठ हजार मजदूर बेरोजगार हो गए हैं. स्वयं श्रम मंत्री ने मजदूरों से यह वायदा दो बार किया था कि मिल 15 फरवरी को और फिर 15 अप्रैल को खोल दिया जाएगा. जब दोनों वायदे पूरे नहीं हुए तो मज़दूरों ने आन्दोलन तेज कर दिया. लाठीचार्ज व कई मजदूरों को लगी चोटों के बावजूद भी सरकार मजदूरों को अपनी मांग के समर्थन में विधान-सभा के सामने आवाज बुलन्द करने के लिए भारी प्रदर्शन करने से न रोक सकी.

सीटू की मध्य प्रदेश कमेटी के सचिव मंडल ने मज़दूरों पर बर्बर लाठीचार्ज की कड़ी निन्दा की और सरकार द्वारा मिल के अधिग्रहण तथा लाठीचार्ज की न्यायिक जांच कराने की मांग की. □

भेल की उत्पादन नीतियों की निंदा

उत्पादन व उत्पादकता पर हैदराबाद में 5 व 6 अप्रैल को संपन्न भेल की एक संयुक्त बैठक में ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भेल प्रबंधकों की उत्पादन नीतियों की कड़ी निंदा की और भेल यूनिटों में कार्यरत 70,000 मजदूरों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौता करने की मांग की.

संस्थान के विकास की समीक्षा करते हुए भेल के अध्यक्ष के. एल. पुरी ने मजदूरों से 1982-83 के लिए निर्धारित 110 प्रतिशत उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनुरोध किया. लेकिन ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने प्रबंधकों के ट्रेड यूनियनों से सलाह किए बिना उत्पादन लक्ष्य तय करने के एकतरफा फैसले की निंदा की. उन्होंने बी. पी. ई. के वेतन वृद्धि को उत्पादकता से जोड़ने के निर्देश की भी निन्दा की और इस विषय में सरकार के रवैये पर भी आपत्ति उठाई. उन्होंने प्रबंधकों के 10 प्रतिशत अधिक उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के प्रस्ताव को मानने से इंकार कर दिया.

भेल प्रबंधकों ने प्रधान मन्त्री के नये 20 सूत्री कार्यक्रम तथा 1982 वर्ष को उत्पादकता वर्ष मनाने के आह्वान का समर्थन किया है. क्योंकि ये केवल शासक पार्टी की जरूरतों को पूरा करने के लिए केवल प्रचार के धोखे हैं इस लिए गैर इंटक यूनियनों ने इस आह्वान का विरोध किया और कहा कि संयुक्त मंच इन नारों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है.

इंटक नेताओं ने इस पर जोर देने की कोशिश की कि ये राष्ट्रीय आह्वान हैं और सभी ट्रेड यूनियनों को इन्हें अमल में लाना चाहिए. लेकिन अन्य यूनियनें अपने मत पर अडिग रहीं. कुछ इंटक प्रतिनिधियों ने सीटू के बयानों में रूकावटें डालने की कोशिशें की लेकिन सीटू प्रतिनिधियों ने उनको अच्छी तरह पछाड़ दिया. इंटक के प्रतिनिधि उस समय गुस्से में आ गये जब सीटू प्रतिनिधि सरकार की नीतियों की निंदा कर रहे थे लेकिन सभी गैर-इंटक प्रतिनिधियों के एकजुट कदम द्वारा उन्हें अंततः शांत कर दिया गया. उन्होंने इंटक के महासचिव श्री रामानुजम की संयुक्त मंच में मजदूरों के दल के स्वघोषित प्रवक्ता की तरह काम करने की भूमिका पर भी आपत्ति की. सीटू प्रतिनिधियों ने सीमेंट के साथ विदेशी सहयोग समझौते की की भी आलोचना की और अपनी परियोजनाओं के निर्माण के मामले में आत्म निर्भरता पर बल दिया. उन्होंने प्रबंधकों की अनुसंधान व विकास विभाग को विकसित करने में नाकामयाबी की आलोचना की जिसके परिणामस्वरूप भारत विद्युत निर्माण परियोजनाओं में स्वदेशी तकनीकी विकसित करने में असफल रहा है.

मजदूरों ने जब भेल में पिछले कई सालों में अधिक उत्पादन किया तब प्रबंधकों ने उसका सही पारितोषिक नहीं दिया जिसके कारण भेल मजदूरों का वास्तविक वेतन पिछले चार सालों में कम हुआ है. सीटू प्रतिनिधियों ने मजदूरों के सी. सी. ए., परिवहन सुविधा, मकान किराया भत्ता, पदोन्नत्ति नीति व अन्य कई मुद्दों पर समाधान करने में काफी देरी की भी आलोचना की. उन्होंने बताया कि जनवरी 1980 में पिछले समझौते के बाद बकाया किसी एक भी मुद्दे पर समझौता नहीं किया गया हालांकि प्रबंधकों ने लंबे अर्से से चले आ रहे मुद्दों पर बातचीत द्वारा समझौता करना स्वीकार किया था. उन्होंने ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं के प्रति प्रबंधकों की उत्पीड़न नीतियों पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने प्रबंधकों पर इंटक व गैर-इंटक यूनियनों के साथ निबटने के लिए दोहरी नीति अपनाने की भी निन्दा की.

स्थायी प्रकृति के कार्य को ठेका मजदूरों को देने की नीति की भी कड़ी आलोचना की गई. सीटू प्रतिनिधि ने प्रबंधकों की सभी प्लांटों में गुप्त मतदान कराके संयुक्त मंच के पुनर्गठन को न करने के लिए भी आलोचना की थी. इसका केवल यही कारण है कि अकेली इंटक इसके खिलाफ है. प्रबंधक उत्पादन में मजदूरों के सहयोग की आशा नहीं कर सकते यदि वे मजदूर वर्ग के खिलाफ नीतियां अपनाते रहेंगे.

सीटू प्रतिनिधियों ने मांग की कि नया वेतन समझौता समयानुसार ही होना चाहिए और वार्ता तहेदिल से शुरु की जानी चाहिए. इससे पहले सभी बकाया मुद्दों पर बिना किसी देरी के समझौता होना चाहिए.

लगभग सभी मुद्दों पर गैर इंटक ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने इसी तरह के मत व्यक्त किए. कुछ ने बताया कि प्रबंधक कुछ मजदूरों को प्लांट के अन्दर कोई भी काम न करने के लिए छूट दे रहे हैं. कुछ वक्ताओं ने संस्थान में मौजूद भ्रष्टाचार पर भी प्रकाश डाला और भ्रष्ट अफसरान के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की.

मजदूरों के प्रतिनिधियों ने पिछले समझौते के प्रावधानों से कम वेतन नए मजदूरों को देने की भेल प्रबंधकों की नीति की कड़ी आलोचना की. उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्पादकता में वृद्धि की कुछ पूर्वशर्तें होती हैं और इनके बिना मजदूरों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता. लेकिन उन्हों ने स्पष्ट किया

(शेष पृष्ठ 46 पर)

राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा एल आई सी के विभाजन का विरोध

आल इण्डिया इंशोरेंस एम्प्लाईज एसोसिएशन, ऑल इण्डिया लाइफ इंशोरेंस एम्प्लाईज एसोसिएशन, ऑल इण्डिया एल.आई.सी. एम्प्लाईज फेडरेशन तथा नेशनल आर्गेनाइजेशन ऑफ इंशोरेंस वर्कर्स (बी.एम.एस.) ने संयुक्त रूप से 17 अप्रैल को एक राष्ट्रीय सम्मेलन सरकार के जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) को पांच स्वतंत्र निगमों में विभाजित करने के कदम के खिलाफ तथा एल.आई.सी. (संशोधन) कानून जो सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को नकारता है के खिलाफ आयोजित किया. कई संदस्यों, केन्द्रीय ट्रेड यूनियन नेताओं और विभिन्न राष्ट्रीय फेडरेशनों के नेताओं ने सम्मेलन में हिस्सा लिया.

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और सीटू के उपाध्यक्ष ज्योति बसु ने कहा कि सरकार के सभी हिस्से एकजुट ट्रेड यूनियन आन्दोलन के खिलाफ हैं. उन्होंने सरकार के मज़दूर-विरोधी व श्रम-विरोधी कदमों के कई उदाहरण दिये तथा इस पर मज़दूरों के एक हिस्से को दूसरे के साथ भिड़ाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार मज़दूरों के साथ टकराव के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और उनके संगठनों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं करने में टाल-मटोल कर रही है तथा इस प्रकार स्वयं जनवादी प्रक्रिया को नकार रही है. उन्होंने मज़दूरों का आह्वान किया कि वे एकजुट होकर सरकार द्वारा एल.आई.सी. को विभाजित करने के कदम का प्रतिरोध करें तथा सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को बहाल करने के लिए संघर्ष करें.

पी. राममूर्ति, महासचिव सीटू तथा संसद सदस्य (सी.पी.आई.-एम), ने कहा कि वास्तव में सरकार के पास विभाजन को जायज ठहराने के लिए कोई भी तर्क-संगत दलील नहीं है. विभाजन का उद्देश्य वास्तव में एल.आई.सी. मज़दूरों के एकजुट आन्दोलन को तोड़ना है. उन्होंने मज़दूरों का आह्वान किया कि वे संघर्षों द्वारा प्राप्त एकता को और मज़बूत करें, मज़दूरों के अन्य हिस्सों के साथ मिलकर जनता की मागों के लिए आम संघर्ष करें और सरकार की मज़दूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सख्त संघर्षों के लिए तैयारी करें.

इन्द्रजीत गुप्ता, संसद सदस्य (सी.पी.आई.) तथा एटक के महासचिव, ने केवल बुर्जुवा अदालतों या संसद पर निर्भर न करने बल्कि अपनी मांगों की प्राप्ति के लिए जुझारू संघर्ष करने के लिए मज़दूरों का आह्वान किया. अन्यों में जिन्होंने भाषण दिया मधु दण्डवते, संसद सदस्य(जनता)और जनवादी समाजवादी पार्टी के एच.एन. बहुगुणा शामिल थे.

सम्मेलन में एकमत होकर एक घोषणा अपनाई गई जिसमें एल.आई.सी. के विभाजन के कदम को रोकने, एल.आई.सी. (संशोधन) कानून की वापसी तथा सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की बहाली की मांग की गई है. □

सरकार की श्रम नीति की निंदा

मुहम्मद इस्माइल, संसद सदस्य, उपाध्यक्ष, सी. आई. टी. यू., ने श्रम मन्त्रालय की अनुदान की मांगों पर बोलते हुए कहा कि यह मन्त्रालय कार्य नहीं करता और कर्मचारियों की दुर्दशा पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है. यह मन्त्रालय उन सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता जो अनुचित श्रम व्यवहार कर रहे हैं. उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि ठेका मजदूर (नियमन व निवारण) कानून के तहत स्थायी प्रकृति के काम में ठेका मजदूर नहीं लगाए जाने चाहिएं. लेकिन इसका उल्लंघन किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा काम ठेका मज़दूरों को सौंपा जा रहा है और श्रम मंत्रालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करता. कोयला खदानों में ठेका मजदूरों का इस्तेमाल बढ़ रहा है. उन्होंने बंगलोर स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में संघर्ष की भी चर्चा की जिसमें मंत्रालय हस्तक्षेप नहीं कर सका.

उन्होंने कहा कि श्रम मंत्रालय के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समिति बैठकें करती है और कुछ सुझाव दिए जाते हैं. लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जाता.

सरकार इसका दावा करती है कि मजदूरों में अनुशासनहीनता के कारण उत्पादन में रूकावट आती है. असलियत में प्रबंधक वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेते हैं, राशि का कहीं और इस्तेमाल करते हैं तथा उद्योगों को बीमार घोषित कर देते हैं जिससे उत्पादन में रुकावट आती है.

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960-100) में 7 बिंदुओं द्वारा शुद्धि करने की रथ कमेटी की सर्वसम्मत सिफारिशों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि श्रम मंत्रालय पिछले दो सालों से चुप है जबकि मजदूर अपने हक की काफ़ी राशि की हानि का सामना कर रहे हैं, औसतन यह राशि दस रुपये प्रति मास है.

उन्होंने श्रम मंत्रालय पर पी.एफ व ई एस आई सी की अदायगी करने के लिए प्रबंधकों को मजबूर करने में जो उन्होंने अभी तक जमा नहीं कराई है, नाकामयाब होने का भी दोष लगाया.

(शेष पृष्ठ 46 पर)

इंजीनियरिंग मजदूरों का आंदोलन

पश्चिम बंगाल के इंजीनियरिंग मजदूरों के कलकत्ता के मुस्लिम इंस्टीच्यूट हाल में 8 अप्रैल को सम्पन्न एक सम्मेलन में मजदूरों के लिए 800 रुपये प्रतिमास न्यूनतम वेतन की मांग करते हुए एक आम मांगपत्र तैयार किया गया. इस सम्मेलन को जिन पांच संगठनों ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था वे हैं फेडरेशन आफ मैटल एन्ड इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन, यूनाइटिड मैटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स फेडरेशन, वैस्ट बंगाल फेडरेशन आफ मैटल एंड इंजीनियरिंग यूनियंज वैस्ट बंगाल इंजीनियरिंग एन्ड मैटल मजदूर फेडरेशन और आल बंगाल इंजीनियरिंग एन्ड मैटल वर्कर्स यूनियन. मांगपत्र मालिकान की सभी एसोसिएशनों तथा केन्द्र व राज्य सरकारों को 16 अप्रैल को दे दिया गया है और साथ ही फैक्टरी स्तर पर मालिकान या प्रबंधकों को यह 23 से 26 अप्रैल की बीच दिया गया है.

मांगपत्र का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मजदूरों ने एकजुट होकर जरूरत के आधार पर वेतन की मांग की है जिसके लिए भारत सरकार 1957 के 15 वें भारतीय श्रम सम्मेलन के माध्यम से कटिबद्ध है, लेकिन इसने इसे कभी लागू नहीं किया. सम्मेलन ने डा. अक्राएड द्वारा सुझाई गई खुराक को मध्येनजर रखा और साथ ही एक मजदूर के चार सदस्यीय परिवार की कपड़े, मकान आदि की न्यूनतम जरूरत को ध्यान में रखा. मौजूदा कीमतों पर इसका हिसाब लगाकर इंजीनियरिंग मजदूरों ने उन सभी इंजीनियरिंग फैक्टरियों, यूनिटों, संस्थानों व कार्यालयों में जहां 250 या इससे ज्यादा मजदूर काम करते हैं अकुशल मजदूरों के लिए 900 रूपये जरूरत के आधार पर न्यूनतम वेतन की मांग की है. अर्धकुशल, कुशल व अतिकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम मांग जाहिर है ज्यादा ही होगी; और यह 1,350 रुपये प्रतिमास तक है. उन फैक्टरियों के लिए जिनमें 10 से 49 मजदूर काम करते हैं, विभिन्न श्रेणियों के मजदूरों की वेतन मांग 576 रुपये से 864 रुपये के बीच है और यह उन फैक्टरियों में जहां 50 से 249 मजदूर काम करते है 720 रुपये से 1,080 रुपये के बीच है.

अन्य मांगों में बिना किसी शर्त या सीमा के सभी के लिए बोनस, प्रोत्साहन या उत्पादन बोनस, महंगाई की पूरी भरपाई, उपपुक्त रात्रि भत्ता, स्थायी आदेशों में सुधार, छः महीनों बाद स्थायीकरण, आकस्मिक, ठेका, अस्थायी मजदूरों को स्थायी करना तथा ठेका प्रणाली का खात्मा, आदि शामिल हैं. मांग पत्र में यह भी मांग की गई है कि निर्माण, रचना व मरम्मत कार्य में लगे मज़दूरों को भी इंजीनियरिंग मजदूर माना जाए तथा वेतन समझौतों में शामिल किया जाए. यह भी मांग की गई है कि कैंटीन के कर्मचारियों को स्थायी मजदूर माना जाए तथा इसमें ठेका प्रणाली को खत्म किया जाए. सभी आकस्मिक, अस्थायी व ठेका मजदूरों के लिए इसने दुर्घटना आदि के लिए मुआवजा भी मांगा.

ई.एस.आई. व चिकित्सा

मजदूरों ने मांग की है कि ई एस आई योजना मजदूरों के लिए चंदारहित होनी चाहिए और सभी तरह की दवाओं की उपयुक्त सप्लाई की जाए. हस्पताल में भर्ती होने सहित सभी तरह की चिकित्सा सुविधा बीमा किए गए के मजदूरों के परिवार के सदस्यों को भी दी जाए. योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां दी जाएं तथा केन्द्र सरकार खर्च के लिए अनुदान दे. कसूरवार मालिकान के खिलाफ केन्द्रीय सरकार आपराधिक कार्यवाही करे.

बंदी व तालाबंदी

मांग पत्र में कहा गया है कि बंदी या तालाबंदी से पहले की भांति मजदूरों को सभी सुविधाएं, अधिकार व आदर सहित सभी बंद या तालाबंद यूनिटों को तुरंत खोला जाए.

ले आफ सुविधा

मालिकान के 45 दिन के ले आफ के बाद छटनी करने के अधिकार को समाप्त किया जाए और बिना किसी बाधा के ले आफ के दौरान पूरे वेतन की अदायगी की गारंटी दी जाए.

मालिकान द्वारा भ्रष्टाचार

यह भी मांग की गई कि मालिकान के भ्रष्ट व्यवहार को तथा मज़दूरों के खिलाफ लेआफ, क्लोजर व अन्य कानूनी सुविधाओं को त्यागने के लिए, बिना वेतन छुट्टी पर जाने, समय से पहले रिटायर होने, जबरदस्ती इस्तीफा देने, अतिरिक्त कार्यभार लादने आदि के लिए अपनाए गए भ्रष्ट तरीकों को तुरन्त खत्म किया जाए.

आम मांगें

आम मांगों के संबंध में मांग-पत्र में रोज़गार, सेवा सुरक्षा, बेरोजगारी भत्ता, बंदी व तालाबंदी के दौरान का पूरा वेतन, यूनिटों की क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने आदि की मांगें शामिल हैं.

एन.एस.ए. व एस्मा की वापसी

मांग-पत्र में यह भी मांग की गई है कि एन.एस.ए., एस्मा व मज़दूरों के

जनवादी व ट्रेड यूनियन क्षधिकारों को कुचलने वाले सभी श्रम-विरोधी व दमनात्मक कानूनों को वापस लिया जाए. इसमें यह भी मांग की गई हैं कि ये मांगें एक जनवरी 1982 से मानी जाएं.

अखिल भारतीय आन्दोलन

पश्चिम बंगाल में मज़दूरों के बीच इन मांगों पर अभियान शुरु करते हुए फेडरेशन ऑफ मैटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन ने पहले ही अपनी रिपोर्ट व मांग-पत्र ऑल इण्डिया कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंजीनीयरिंग वर्कर्स यूनियंज को भेज दी है. कोआर्डिनेशन कमेटी ने अपनी सभी यूनिटों को लिखा है कि वे कार्य व सेवा शर्तों, मज़दूरों की मांगों तथा उद्योग से सम्बन्धित विषयों पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट तुरन्त भेजें ताकि सीटू के नेतृत्व में यह कमेटी अपनी आगामी बैठक में पेश करने के लिए यह एक अखिल भारतीय रिपोर्ट तैयार कर सके. सीटू ने इंजीनियरिंग मजदूरों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करने में पहलकदमी की है ताकि इंजीनियरिंग उद्योग में मजदूरों का देशव्यापी आन्दोलन शुरु करने के लिए आधार बनाया जा सके.

कानपुर में आन्दोलन

इसी दौरान सीटू के नेतृत्व में कानपुर के इंजीनियरिंग मजदूरों ने न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए पहले ही आन्दोलन शुरु कर दिए हैं. सीटू से सम्बद्ध यूनियनों के नेतृत्व में, जैसे इंजीनियरिंग उद्योग वर्कर्स यूनियन, ट्रक पार्ट्स ऑफ इण्डिया मजदूर यूनियन, सिटेक्स ट्यूब वर्कर्स कर्मचारी यूनियन, अवेरी मजदूर यूनियन तथा ब्लू स्टार वर्कर्स यूनियन, 30 मार्च को अतिरिक्त श्रमायुक्त के दफ्तर के सामने करीब एक हजार मजदूरों ने एक सभा आयोजित की और श्रमायुक्त को 17-सूत्री मांग-पत्र दिया. रैली को सम्बोधित करने वालों में अंजनी कुमार, शिव शंकर कुश्वा, जय प्रताप सिंह, दिल राज यादव, एम.पी. चतुर्वेदी, राजेन्द्र सिंह, जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा, आदि शामिल हैं. □

सरकार की श्रम नीति की निंदा

(पृष्ठ 44 से आगे)

कुछ मामलों में तो मजदूरों के वेतन से काटी गई राशि भी नहीं जमा करायी जाती. फिर भी, प्रबंधकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती.

उन्होंने सरकार की भारतीय श्रम सम्मेलन न बुलाने के लिए भी निंदा की.

बी.पी.ई की ओर इशारा करते हुए, उन्होंने कहा कि यह अब एक समानांतर मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है और वेतन समझौतावार्ताओं का मार्ग दर्शन करने के नाम पर असलियत में यह सभी वार्ताओं को रोक रहा है. यह नीति मजदूरों में असंतोष पैदा करेगी ही.

उन्होंने कहा कि सरकार की नए स्वचालित यंत्रों व मशीनों आदि को लगाने की नीति देश में बेरोजगारी बढ़ा रही है. उदाहरण के लिए उन्होंने गोदी व बंदरगाह में कनटेनर प्रणाली लागू करने का उल्लेख किया.

उन्होंने कहा कि 'उत्पादकता वर्ष' के नारे को धक्का लगेगा क्योंकि विद्युत व कच्चा माल उपलब्ध नहीं है.

बंबई में टैक्सटाइल मजदूरों की हड़ताल की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि दैनिक नुकसान 4 करोड़ रुपये से ज्यादा का है. लेकिन सरकार केवल अल्पसंख्यक इंटक यूनियन की रक्षा करने के लिए हड़ताल के समाधान के लिए कोई कदम नही उठा रही.

अंत में उन्होंने लाखों बीड़ी मजदूरों की दशा की ओर संकेत किया कि वे बहुत ही दयनीय हालत में रह रहे हैं. उनके लिए एक केन्द्रीय वेतन बोर्ड होना चाहिए. उन्होंने यह कहकर समापन किया कि समूचे देश के मजदूर वर्ग ने 19 जनवरी को सरकार की इन श्रम विरोधी नीतियों को बदलने के लिए हड़ताल की और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए तथा अपनी नीतियां बदलनी चाहिए. □

भेल उत्पादन नीति.....

(पृष्ठ 43 से आगे)

कि ट्रेड यूनियनें उत्पादन में दिलचस्पी रखती हैं और वे उत्पादन के सहमत मानकों को पूरा करने के लिए तैयार रहेंगी.

भेल के अध्यक्ष ने प्रबंधकों के दृष्टिकोण की व्याख्या की और संस्थान को चालू रखने के लिए उठाए गए कदमों को जायज ठहराया. ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रबंधकों के दृष्टिकोण पर वे अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं लेकिन समय की कमी के कारण ऐसा नहीं किया जा सका.

सीटू की ओर से बैठक में एम. के. पंधे, आर. उमानाथ, टी. के. रंगाराजन, पून्नामाला व रिठे ने भाग लिया.

रामचन्द्रपुरम में दो गेट मीटिंगें सीटू के मत को व्यक्त करने के लिए आयोजित की गईं जिनको एन. वी. भास्कर राव, टी. के. रंगाराजन व एम. के. पंधे ने संबोधित किया. □

हिसार में सीटू कार्यकर्त्ताओं पर हमलों में वृद्धि

हिसार टैक्सटाइल मिल्ज में सीटू से सम्बन्ध लाल झंडा कपड़ा मज़दूर एकता यूनियन के नेताओं व कार्यकर्त्ताओं पर पुलिस ने इंटक के गुंडों की मदद से तथा सीधे-साधे हरयाणा के कांग्रेस(आई) मुख्य मंत्री के साथ सांठ-गांठ करके हमले तेज कर दिए हैं.

याद रहे कि चार महीनों से भी ज्यादा समय की लम्बी हड़ताल के बाद मज़दूर काम पर लौटे थे और राज्य श्रममंत्री के हस्तक्षेप के बाद 4 दिसम्बर को एक समझौता हुआ था. लेकिन प्रबन्धकों ने इस समझौते को कभी लागू नहीं किया. इसके कारण मज़दूरों के संघर्ष और तेज हुए. श्रम विभाग ने प्रबन्धकों को समझौता लागू करने के लिए मजबूर करने की बजाय उल्टे उनकी समाजविरोधी तत्वों को इकठ्ठा करने और मज़दूरों पर आमतौर पर व सीटू नेताओं व कार्यकर्त्ताओं पर खासतौर से बार-बार हमले करने में सहायता की. पुलिस व इंटक के गुण्डों ने इन हमलों में खुलेआम हिस्सा लिया. कहा जाता है कि स्वयं मुख्य मंत्री ने अपने गांव मंडी आदमपुर (हिसार) में प्रबन्धकों के साथ सीटू की जिला कमेटी के सचिव टेकचन्द गुप्ता के मिल-क्षेत्र में घुसने पर रोक लगाने के लिए एक गुप्त बैठक की. लेकिन मज़दूरों के एकजुट प्रतिरोध के कारण यह योजना असफल हो गई. सीटू यूनियन को तोड़ने के लिए तथा यूनियनों में द्वेष पैदा करके समझौता लागू करने से बचने के लिए प्रबन्धकों ने 24 मार्च को वर्क्स कमेटी के चुनाव आयोजित करने की घोषणा की. अभियान के लिए बहुत कम समय देते हुए घोषणा 15 मार्च को की गई. इस दौरान प्रबन्धकों ने इंटक के गुंडों के नेतृत्व में समाज-विरोधी तत्वों को मजदूरों में जाति व सम्प्रदाय के आधार पर विभाजन करने के लिए नियुक्त कर दिया. लेकिन मज़दूर, जिन्हें लम्बे संघर्षों से अनुभव प्राप्त हुआ था, एकजुट रहे और प्रबन्धकों की काली करतूतों को शिकस्त दी तथा सात स्थानों में से पांच पर सीटू के उम्मीदवारों को चुना. सीटू के समर्थन से एक एटक का प्रत्याशी भी विजयी हुआ. सीटू यूनियन की जीत को रोकने की अपनी नापाक कोशिश में नाकामयाब होकर प्रबन्धकों के भाड़े के गुंडों ने मज़दूरों की विजय रैली पर लाठियों, साइकिल की जंजीरों व कुल्हाड़ियों से हमला किया जिसमें कई मज़दूर घायल हुए. प्रबन्धकों व समाज-विरोधी तत्त्वों को सरकार का समर्थन उस समय बिल्कुल नंगा हो गया जब पुलिस ने समाज-विरोधी तत्वों की बजाय सीटू यूनियन के समूचे नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया. गुण्डों को सीटू कार्यकर्त्ताओं पर हमले करते हुए बिलकुल मुक्त जाने दिया गया. यूनियन के महा-सचिव को शारीरिक तौर पर पीटा गया. वे एक विजयी सीटू कार्यकर्त्ता के घर में घुस गए, उसकी शारीरिक पिटाई की, घर की चीजों को लूट लिया तथा उसकी साइकिल लेकर भाग गए.

इस जगह सरकारी अधिकारियों की आंखों के सामने आतंक-राज तथा जंगल-कानून का राज है. लेकिन बर्बर हमलों के बावजूद लाल झंडा कपड़ा मज़दूर एकता यूनियन सीटू के झंडे को बुलन्द किए हुए है और इस्पात की तरह मजबूत मज़दूर इन जंगली हमलों के खिलाफ एकजुट संघर्ष कर रहे हैं. अविचलित मज़दूरों ने सरकार की श्रम-विरोधी तथा प्रबन्धक-परस्त नीतियों के खिलाफ जनमत जुटाने के लिए अपने संघर्ष को तेज कर दिया है. एक बैठक 17 अप्रैल को आयोजित की गई जिसे सी.पी.आई.(एम) के संसद सदस्यों, मुस्सदुल हुसैन तथा सुधीर गिरी ने सम्बोधित किया.

केन्द्रीय श्रम मंत्री के नाम एक पत्र में सीटू ने राज्य के श्रम विभाग के दृष्टिकोण की निन्दा की है तथा समझौते को लागू करने व असल गुण्डों की गिरफ्तारी की मांग की है. □

टेलिप्रिंटर कर्मचारी उत्पादकता से जुड़े वेतन के खिलाफ संघर्ष करेंगे

हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर मद्रास के कर्मचारियों ने प्रबंधकों द्वारा उन पर उत्पादकता से जुड़े वेतन की योजना थोपने के खिलाफ प्रतिरोध करने का फैसला किया है. इस बारे में हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर एंप्लाईज यूनियन (सीटू) ने 3 अप्रैल को इस कदम के खिलाफ संघर्ष करने तथा इसके खिलाफ संयुक्त संघर्ष शुरू करने के लिए मजदूरों के सभी हिस्सों को लामबद करने के लिए एक गेट मीटिंग आयोजित की. गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए सीटू सचिव एम. के. पंधे ने इस निर्देश के खतरनाक परिणामों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि 1982 को प्रधान मंत्री द्वारा 'उत्पादकता वर्ष' के रूप में घोषित करना एक पाखण्ड है जो केवल मजदूरों के कार्यभार बढ़ाने तथा इजारेदारों के मुनाफों में वृद्धि करने के लिए ही है. उन्होंने बताया कि समूचे देश में मजदूरों को अपने श्रम के फलों से और भी वंचित करने की इस घिनौनी कोशिश के खिलाफ आंदोलन विकसित हो रहे हैं. उन्होंने मज़दूरों का आह्वान किया कि वे कर्मचारियों के सभी हिस्सों को एकजुट करें तथा सरकार के इस श्रमविरोधी कदम के खिलाफ तब तक एक जुझारू आंदोलन करें जब तक इस कदम को वापस नहीं लिया जाता. अन्यों के अलावा इसे चंद्रशेखर तथा नंदगोपाल ने संबोधित किया. मजदूरों ने 233 रुपये इकट्ठे किए तथा परम्परा के अनुसार हार के रूप में इसे सीटू को भेंट दिया. □

बीमार औद्योगिक संस्थानों पर सीटू का ज्ञापन

रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने श्री टी. तिवाड़ी को अध्यक्षता में बीमार औद्योगिक संस्थानों पर एक कमेटी बनायी जिसने ट्रेड यूनियन संगठनों की विभिन्न वेतन निर्णयों को लागू करने से छूट, और न्यूनतम बोनस की अदायगी की शर्त, वेतन में कमी, वार्षिक वृद्धि आदि के एक सीमित काल व सेवा शर्तों में संशोधन, रेशनलाइजेशन, स्वचालन तथा सेवामुक्ति सुविधाओं की अदायगी के साथ कर्मचारियों को निकालने आदि पर राय जानने के लिए कुछ व्यापक मुद्दे तैयार किए तथा सीटू को 12 अप्रैल को विचार विमर्श के लिए बुलाया.

सीटू ने इस विषय पर एक विस्तृत ज्ञापन दायर किया जिसमें कहा गया है कि:

"रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा दिसम्बर 1979 के अंत तक के काम के लिए बड़ी औद्योगिक यूनिटों की औद्योगिक बीमारी के लिए कारण पता लगाने के लिए किया गया गम्भीर विश्लेषण यह बताता है कि ऐसी ज्यादातर यूनिटों में (लगभग 52 प्रतिशत) आंतरिक कारण जैसे प्रबंधन की कमजोरियां, पूँजी निवेश में हस्तांतरण, स्पष्ट मार्किटिंक नीति की कमी तथा विभिन्न स्वार्थों में झगड़े बीमारी के मुख्य कारण थे. जूट टैक्सटाइल में बाजारू मंदी को मुख्य कारण ठहराया गया. इंजीनियरिंग उद्योग व लौह तथा टैक्सटाइल उद्योग भी इसी प्रकार के कारणों से प्रभावित हैं हालाकि ये कुछ हद तक कम हैं." (इकानामिक सर्वे 1981-82, पैरा 4.28)

सर्वेक्षण यह भी कुछ हद तक स्वीकार करता है कि "लगातार औद्योगिक बीमारी विद्युत, कोयले तथा परिवहन सुविधाओं की अनुपयुक्त उपलब्धी के कारण थी." (पैरा 4.31)

सरकारी नीति बदलो

यह बताया गया कि "औद्योगिक बीमारी में लगातार वृद्धि के कारण सरकार की नीतियों में भारी परिवर्तन की जरूरत है. 1956 में अपनाए नए "औद्योगिक नीति प्रस्ताव" को बदल दिया गया है और अब खुलेआम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित करने की नीति अपना ली गयी है. एम आर टी पी घरानों को उन क्षेत्रों में भी उद्योग लगाने दिए गए जो लघु व मध्यम उद्योगों के लिए बिलकुल आरक्षित हैं. यदि औद्योगिक बीमारी को नियंत्रित करना है तो इन नीतियों को बदलना जरूरी है.

प्रभावशाली कदम उठाए जाने जरूरी हैं ताकि सरकार निजी क्षेत्र के संस्थानों के प्रबंधकों द्वारा राशि के निवेश परिवर्तन तथा घांधलियों, जो उद्योगों को बीमार बनाते हैं तथा सार्वजनिक कोष को रोक देते हैं, के मामलों में हस्तक्षेप कर सके. कसूरवार मालिकान को दंडित करने के लिए तथा उनकी सम्पत्ति जब्त करने के लिए उपयुक्त कानून बनाए जाने और सख्ती से लागू करने चाहिए.

बीमार उद्योगों के पुनर्स्थापन में सहायता के लिए एक सीमित समय के लिए एक्साइज व अन्य करों में छूट की नीति भी सरकार को अपनानी चाहिए.

आर्थिक सर्वेक्षण से यह देखा गया है कि सरकार ने पिछले साल चार की तुलना में इस साल इंडस्ट्रीयल (डवेलपमेंट एन्ड रेगुलेशन) एक्ट, 1951 के तहत 1981 में केवल दो बीमार उद्योगों का अधिग्रहण किया है. 1981 में किसी भी बीमार यूनिट का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया हालांकि 1980 में ऐसी 13 यूनिटों का राष्ट्रीयकरण किया गया था. शायद यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को पूरा करने के लिए सरकारी नीतियों में परिवर्तन दर्शाता है.

निम्नलिखि के साथ ज्ञापन ने समापन किया :

"अन्त में सीटू यह कहना चाहेगी कि बीमार उद्योगों के पुनर्स्थापन कार्यक्रम को समाज की अधिकतम सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए तैयार करना चाहिए. इसलिए ऐसा पुनर्स्थापन सेवा सुरक्षा तथा समाज के बड़े तबके, मजदूरों, के वेतन स्तर बनाए रखने की गारंटी दे. रोजगार में और मजदूरों के वेतन में कोई कटौती भविष्य में समाज कल्याण पर असर डालेगी और प्रति-उत्पादक साबित होगी. नोट में दिए गए सुझावों के अलावा व्यापक मुद्दों का विचार विमर्श के लिए निर्माण का असल अर्थ है प्रबंधकों की कमजोरियों, राशि का हस्तांतरण, प्रबंधकों के विभिन्न दलों में आंतरिक विवाद और भ्रष्टाचार का पुनर्स्थापन और असल में यह सरकार की गलत औद्योगिक व आर्थिक नीतियों तथा इसकी योजनाओं के संकट के लिए क्षमायाचना है."

बहस में नृसिंह चक्रवर्ती ने सीटू का प्रतिनिधित्व किया. प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सहित कई प्रश्न उठाए गए थे. यह बताया गया कि ऐसी भागीदारी केवल समानता के आधार पर ही हो सकती है.

ज्ञापन की एक प्रतिलिपि वित्त मंत्री के पास इस अनुरोध के साथ भेज दी गई है कि पूरी छानबीन की जाए तथा निवारक कदम उठाए जाएं. □

समाचारपत्र कर्मचारियों का संघर्ष

पालेकर अवार्ड को लागू कराने के लिए संघर्ष से अभी गुजरे ही थे कि समाचार पत्र व समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों ने मुद्रण उद्योग में स्वचालन के खिलाफ एक और जुझारू संघर्ष छेड़ दिया है. सरकार व निजी मालिकान ने समाचार पत्र उद्योग में उत्पादन की परंपरागत प्रणाली को पूरी तरह से बदल कर स्वचालन व कंप्यूटर तकनीकी लागू करने का अचानक फैसला ले लिया है.

सभी ट्रेड यूनियनों व संसद सदस्यों में वितरित किए गए एक नोट में नेशनल कनफेडरेशन आफ न्यूज-पेपर व न्यूज-एजेंसी एंप्लाईज आर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जब पालेकर अवार्ड की सिफारिशों के लिए बातचीत हो रही थी तब भी समाचार पत्र मालिकान गुप्त रूप से कंप्यूटराइजेशन की तैयारी तेज रफ्तार से कर रहे थे. वास्तव में, उन्होंने कुछ संस्थानों में अवार्ड को लागू करने के साथ स्वचालन की शर्त लगाकर कर्मचारियों को धोखा दिया है. यह कदम एक साल के भीतर नई तकनीकी के लिए उठाया गया है जिसके लिए सरकार ने पहले ही प्रैस मालिकान को 'ओपन जनरल लाइसेंस' के तहत न केवल पुरानी व रद्द द्वितीय व त्रितीय जनरेशन की मशीनरी के आयात की अनुमति दी है बल्कि अतिरिक्त पुर्जों व विदेशी तकनीकी के आयात की भी इजाजत दी है. विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, फोटो-टाइप सैटर, कंपोजिंग/एडिट मशीनें आदि लगाई जाएंगी और समाचार पत्रों के लिए कंपोजिंग व उनके छापने के गर्म धातु उत्पादन को खत्म कर दिया जाएगा. कंप्यूटर ग्रैफिक्स में टाइप सैट की जा सकती है और डिजिटल मैथड तथा फोटो प्रोसेसिंग के माध्यम से कंप्यूटराइज्ड कलर स्कैनर के साथ कंप्यूटर इमेज प्रोसेसिंग की जा सकती है. समाचार पत्र उपग्रह संचार प्रणाली या वायरलिंक अथवा सूक्ष्म तरंगों द्वारा प्रारूप संचारण प्रणाली की सहायता से दूर के स्थानों पर तैयार किए व छापे जा सकते हैं, सूचना प्रोसेसिंग बहुत ही कंप्यूटराइज्ड होगी और सूक्ष्म कंप्यूटर मुद्रण, जिल्द व वितरण को मोनिटर व नियंत्रित करेगा. डाटा प्रोसेसिंग बैंक व फोटो कंपोजिंग मशीनें पत्रकारों के रोजगार खत्म कर देगा और बिजिनेस एण्ड मैनेजमैंट कंट्रोल सिस्टम लिपिक, प्रशासनिक, वितरण, विज्ञापन तथा लेखा आदि का काम करेगा. इस प्रकार समूची प्रक्रिया उद्योग में कार्य के विभिन्न स्तरों पर जरूरी श्रम शक्ति को काफी हद तक कम कर देगा जिसका अनुमान पत्रकारों व गैर पत्रकारों को मिलाकर 75 से 80 प्रतिशत है. जहां विदेशी मुद्रा की कमी होती जा रही है वहां इन मशीनों का आयात सामाजिक जरूरतों व खर्च की परवाह किए बिना आयात किया जाएगा. यह बेतर्क बात नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की शर्तें बेरोक आयात नीति के लिए आदेश देती हैं, क्योंकि साम्राज्यवादी अपने घरेलू सीमित बाजार को मद्देनजर रखते हुए इन पुरानी मशीनों को हमारे देश में बेचना चाहते हैं. फोटो कंपोजिंग का मुद्दा और भी तर्कसंगत है क्योंकि आई एम एफ कर्ज की शर्तों ने भारतीय पूंजीपतियों को समूची उद्योग गतिविधियों में भारी पैमाने पर स्वचालन लागू करने के लिए अवसर प्रदान कर दिये हैं. यह सीमित बाजार का सवाल नही है, और न ही यह लगातार घाटे का या बढ़ते आर्थिक बोझ का है बल्कि स्वचालन के पीछे अधिक से अधिक मुनाफे के लिए पागल दौड़ है. एल. आई. सी. व बैंक से शुरू होकर सरकार की मदद से यह पूंजीवादी 'रेशनलाइजेशन', टैक्सटाइल, जूट, खदान, इंजीनियरिंग आदि जैसे विभिन्न उद्योगों में भी फैल गया है.

कनफेडरेशन ने स्वचालन के खिलाफ प्रतिरोध के निर्माण के लिए अपना पक्का इरादा व्यक्त किया है क्योंकि यह रोजगार अवसरों में भारी कमी करता है, मजदूरों को अपने काम से निकाल देता है, विदेशी निर्भरता बढ़ाता है, इजारेदारी व मजदूरों के और अधिक शोषण में मदद करता है. कनफेडरेशन ने स्वयं को सीधे संघर्ष के रास्ते पर लाकर स्वचालन की बुराइयों के बारे में अपने सदस्यों को शिक्षित करने का एक गम्भीर कार्यक्रम तैयार किया है. इसने प्रतिरोध की दीवार खड़ी करने व सरकार को समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय त्रिपक्षीय बैठक बुलाने के लिए तथा मुद्रण उद्योग के लिए एक त्रिपक्षीय मंच बनाने के लिए मजबूर करने का भी फैसला किया है जिसके होने तक मशीनों के आयात के लिए दिए गए सभी लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं. जैसा कि जनवरी अंक में प्रकाशित किया जा चुका है, इस सम्बन्ध में सीटू ने पहले ही सरकार को एक ज्ञापन दिया है. □

सीटू मजदूर

एक प्रति की कीमत 50 पैसे
वार्षिक चंदा 6 रुपये

कम से कम पांच प्रतियों की एजेंसी

सम्पर्क करें :

सीटू कार्यालय
6, तालकटोरा रोड़
नई दिल्ली-110001

रेल बजट की आलोचना

लोक सभा में बसुदेव आचार्य, सांसद, और राज्य सभा में अरबिंद घोष, सांसद, ने सरकार की व्यापारिक संस्थानों की वित्तीय प्रणाली लागू करने और सार्वजनिक खपत सेवा की अवधारणा को खत्म करने की निंदा की. उन्होंने रेलवे के लिए विश्व बैंक कर्ज की शर्तों की ओर जो माल भाड़े व किराए की दरों में सालाना बढ़ोत्तरी की मांग करती हैं केन्द्रित ध्यानाकर्षित किया. उनके आदेशों का पालन करते हुए, जब से श्रीमती गांधी सत्ता में आई हैं, पिछले दो सालों में 1,221 करोड़ रुपयों की माल-भाड़े व किराए में वृद्धि कर दी गई है. खाद्यान्न, दालों व दैनिक जरुरियात की अन्य वस्तुओं पर परम्परागत घटी दरें वापस ले ली गई हैं और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के किराए में भारी वृद्धि कर दी गई है जिससे आम आदमी की दशा बिगड़ी है.

उन्होंने माल यातायात पर जोर देने की भी आलोचना की जिससे यात्रि सेवा में देर हो रही है. सुरक्षा नियमों के उल्लंघन, पटरियों की मरम्मत व पुराने रोलिंग स्टाक को बदलने में लापरवाही, स्टाफ के कार्यभार में वृद्धि, खासतौर से 10 घंटे काम के समझौते का उल्लंघन करते हुए लोको रनिंग स्टाफ के कार्यभार में वृद्धि, ने दुर्घटनाओं में भारी संख्या में वृद्धि की है. सरकार के इस दावे का हवाला देते हुए कि इसने माल यातायात में एक नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है, उन्होंने ताना कसते हुए कहा कि रेलवे मंत्रालय ने दुर्घटनाओं, जीवनहानि, घायल होने और दुर्घटनाओं के द्वारा यातायात में रुकावट में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है. इसने चोरियों की घटनाओं में भी कीर्तिमान स्थापित कर लिया है.

उन्होंने रेलवे में कंप्यूटराइजेशन की नीति जिसके लिए विश्व बैंक जोर दे रहा है की भी आलोचना की. यह नीति रोजगार के क्षेत्र में तूफान ला देगी क्योंकि पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या पहले ही एक करोड़ 70 लाख हो गई है. उन्हें नए रेलवे निर्माण में ठेका मजदूरों के इस्तेमाल किए जाने की नीति की भी निंदा की.

उन्होंने औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति की जोरदार निन्दा की. इस विषय में उन्होंने रेलवे में पहले समझौतों को तोड़ने, विक्टिमाइजेशन की नीति की और संगठन की स्वतंत्रता व सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार न देने की जोरदार उदाहरणें दीं. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए एक सरकुलर का हवाला देते हुए उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों व एसोसिएशनों के कार्यों को लगभग असंभव बनाने के नजरिये से अपनी नीतियां बदल ली हैं. रेल मंत्रालय अदालत के फैसलों का भी सम्मान नहीं कर रहा हैं जिससे कर्मचारी लम्बी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं.

अजीत साहा, सांसद, ने अनुदानों के लिए मांगों पर बोलते हुए चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में लोकोमोटिवों की संख्या कम करने के फैसले की ओर ध्यान दिलाया. उन्होंने दुर्घटना मुआवजे में ज्यादा अनुदान मांग का विरोध किया तथा अदालती मामलों में अधिक खर्चों की निन्दा की. उन्होंने यह बताया कि हालांकि रेलवे कर्मचारियों ने 19 जनवरी की हड़ताल में भाग नहीं लिया है फिर भी भारी संख्या में कर्मचारियों को विक्टिमाइज किया गया है. रेलवे अधिकारी इतने प्रतिशोधी हो गए हैं कि उन्होंने कासगंज एन.ई. रेलवे पर सांकेतिक भूख हड़ताल में भाग लेने वाले मज़दूरों को चार्जशीटें दे दी हैं.

उन सभी ने यह मांग की कि रेलवे मंत्रालय द्वारा अपनाई गई नीतियां अवश्य ही बदली जाएं.

दमन जारी है

रेलवे अधिकारी रेलवेकर्मियों को ट्रेड यूनियन गतिविधियों में भाग लेने के कारण विक्टिमाइज कर रहे हैं. व्यासगंज में 15 मार्च को एक धरने में भाग लेने के कारण लोको रनिंग स्टाफ को चार्जशीटें दे दी गई हैं. दौंद में ए आई एल आर एस ए के अध्यक्ष द्वारा एक जन प्रदर्शन का नेतृत्व करने के कारण उसे चार्जशीट दे दी गई हैं. समर मुखर्जी. सांसद, ने प्रधान मंत्री का ध्यान संगठन की स्वतंत्रता के अधिकार को इस तरह कठोरता से इंकार किए जाने की ओर आकृष्ट किया है तथा उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है. ए आई एल आर एस ए के महासचिव एस.के. धर ने आई एल ओ की संगठन की स्वतंत्रता पर कमेटी को एक और पत्र भेजा है जिसमें 31 जनवरी को भेजी गई पहली शिकायत में जोड़ते हुए अतिरिक्त तथ्य व अन्य दस्तावेज दिए गए हैं.

प्रतिरोध सप्ताह मनाया गया

बारह सदस्यीय दल के फैसले के अनुसार लगभग सभी डिविजनों में 8 से 14 अप्रैल के बीच प्रतिरोध सप्ताह मनाया गया. □

भेल वर्कर्स यूनियन का सालाना सम्मेलन

भेल वर्कर्स यूनियन (सीटू), त्रिची, का सालाना जनरल बाडी सम्मेलन 4 अप्रल का आर. उमानाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ. तीन सौ प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया.

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सीटू सचिव एम.के. पंधे ने मजदूर वर्ग पर बढ़ते हमलों के बारे में बताया तथा मजदूरों से अनुरोध किया कि वे सीटू की एकजुटता की भूमिका के झंडे को बुलंद रखें तथा सरकार की एक के बाद दूसरी अधिनायकवादी व श्रम विरोधी कार्यवाहियों के खिलाफ सभी जनवादी ताकतों को लामबंद करके संयुक्त संघर्ष शुरू करें. उन्होंने ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति के झंडे के नीचे सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट आन्दोलनों के विकास की व्याख्या की.

यूनियन के महासचिव टी.के. रंगाराजन ने यूनियन की गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की जिस पर बहस में कई प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. महासचिव की रिपोर्ट और कोष के सालाना ब्यौरे सर्वसम्मत्ति से पारित हुए.

मजदूरों के विभिन्न मुद्दों पर बैठक ने कई प्रस्ताव अपनाए.

बहस का समापन करते हुए आर. उमानाथ ने मजदूरों का आह्वान किया कि वे एकता बनाए रखें तथा इसे और मजबूत करें तथा आगामी संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए संगठन को मजबूत करें. वे पुनः अध्यक्ष चुने गए व टी.के. रंगाराजन महासचिव चुने गए.

तंजोर जिला में 19 जनवरी को हुए गोलीकांड में शहीदों के लिए राहत कोष के लिए मज़दूरों ने सीटू की तमिलनाडु राज्य कमेटी को 300 रुपये अनुदान दिया. सीटू केन्द्र को भी 480 रुपये अनुदान दिए गए. □

एच एस सी एल प्रबंधकों द्वारा मंहगाई भत्ता जाम का ट्रेड यूनियनों द्वारा विरोध

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से दिए गए मांग पत्र पर बातचीत को लटकाते हुए, एच एस सी एल प्रबंधकों ने मनमाने ढंग से मजदूरों का मंहगाई भत्ता जाम कर दिया है. प्रबंधकों ने संयुक्त मंच की बैठक दो बार स्थगित कर दी थी. लेकिन प्रबंधकों को मजदूरों ने 7 व 8 अप्रैल को बैठक बुलाने के लिए मजबूर कर दिया.

सीटू सचिव एम.के. पंधे ने प्रबंधकों की मनमानी कार्यवाही का गहरा प्रतिरोध किया तथा मांगपत्र पर बातचीत को जान बूझकर लटकाए रखने की निंदा की. उन्होंने प्रबंधकों को मजदूरों के साथ टकराव की नीति अपनाने और उन्हें सीधे आन्दोलन के रास्ते पर ढकेलने की नीति के खिलाफ चेतावनी दी. मांगों पर शांतिपूर्ण समझौते के लिए उन्होंने न्यूनतम वेतन तय करने, मंहगाई भत्ते की दर निर्धारित करने और मांगपत्र पर समझौता करने के लिए समय निश्चित करने के लिए सुझाव दिए. सभी ट्रेड यूनियनों ने इसका समर्थन किया. प्रबंधकों ने इन सुझावों पर अपनी राय वर्किंग ग्रुप की 26 व 27 अप्रैल की आगामी बैठक में व्यक्त करने का वायदा किया. □

उत्पादकता से जुड़े वेतन के खिलाफ

इस्पात मजदूरों का संघर्ष

स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया ने अपने पदाधिकारियों की दुर्गापुर में 13 अप्रैल की संपन्न बैठक में बी.पी.ई. के निर्देशों के अनुसार इस्पात प्रबन्धकों द्वारा वेतन को उत्पादकता के साथ जोड़ने के कदम का विरोध करने का फैसला किया है. एन.जे.सी.एस. की पिछली दो बैठकों में प्रबन्धक मौजूदा समझौते के खत्म होने एक साल पहले बातचीत शुरु करने के अपने कानूनी वायदे से मुकर गए. मौजूदा समझौता 30 सितम्बर को खत्म होगा लेकिन प्रबन्धकों के उत्पादकता में बिना वृद्धि के कोई भी वेतन वृद्धि न करने के कदम ने इस्पात मज़दूरों को संघर्ष के रास्ते पर जाने को मजबूर कर दिया है. उत्पादकता से जुड़े वेतन के प्रस्ताव की निंदा करते हुए फेडरेशन ने बताया कि जहां 1979-81 के दो सालों में बिजली, कोयले व वेगनों की कमी के कारण उद्योग को अल्प-उत्पादन के लिए मजबूर किया गया था वहां 1981-82 में मध्यम सप्लाई से 40 लाख टन भंडार इकट्ठा हो गया. इसने यह भी बताया कि 1978 में हुए पिछले समझौते के बाद जहां मूल्य सूचकांक 46.8 प्रतिशत बढ़ा वहां मजदूरों के वेतन केवल 16.2 से 30.6 प्रतिशत तक ही बढ़े. इसके अलावा, श्रम-खर्च की कुल उत्पादन खर्च के साथ अनुपात भी 1970 में 19 प्रतिशत से कम होकर 1980-81 में 10 प्रतिशत रह गई.

ऐसे हालात में, एस.डब्लू.एफ.आई. ने प्रस्ताव को रद्द कर दिया और इस्पात मज़दूरों का सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य मजदूरों के साथ मिलकर इसके खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया है.

फेडरेशन ने यह नोट किया कि पहले ही प्रतिरोध आन्दोलन विकसित हो रहा है. मांग-पत्र पर बातचीत की मांग करते हुए इस कदम के खिलाफ भारी प्रदर्शन हुए हैं और 70 हजार से भी ज्यादा हस्ताक्षर कराए गए हैं.

फेडरेशन ने उत्पादकता से जुड़े वेतनों की योजना के खिलाफ जनमत तैयार करने व प्रचार करने के लिए एक जन-गोष्ठी आयोजित करने का फैसला लिया है. □

कानपुर के अन्नपूर्णा बिस्कुट मजदूरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल

कानपुर बिस्कुट कर्मचारी यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में अन्नपूर्णा बिस्कुट फैक्टरी के 500 मजदूर अपने 25-सूत्री मांगपत्र पर समझौता करने की मांग करते हुए 19 अप्रैल को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए.

पिछले दो महीनों से मजदूर प्रबंधकों द्वारा अभूतपूर्व दमन के खिलाफ जुझारू संघर्ष कर रहे थे. मजदूरों की मांगों का उचित समाधान करने की बजाय प्रबंधकों ने 3 मार्च को पुलिस को बुलाया और इसने मजदूरों पर बर्बर लाठी प्रहार किया जिसमें 20 मजदूर घायल हुए. साथ ही छः मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया, दस यूनियन पदाधिकारियों को झूठे मामलों में फंसा दिया गया, तीन भूख हड़तालियों को जेल भेज दिया और 75 कार्यकर्ताओं को मुअत्तिल कर दिया गया. लेकिन निडर मजदूरों ने पूरी व अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी जिससे उत्तर प्रदेश की इस सबसे बड़ी फैक्टरी में हर चौदह मिनट में 150 किलोग्राम बिस्कुट उत्पादन एकदम रुक गया. सीटू व विभिन्न अन्य संगठनों के नेताओं ने हड़ताली मजदूरों की एक रैली को संबोधित किया तथा संपूर्ण हड़ताल के लिए उन्हें बधाई दी. उन्होंने मजदूरों के सभी हिस्सों का हड़ताली मजदूरों के समर्थन में लामबन्द होने का आह्वान किया.

अनिश्चितकालीन हड़ताल के नवें दिन 27 अप्रैल को सुबह कारखाने के गेट पर पुलिस ने मजदूरों पर अचानक धावा बोल दिया तथा लाठी चार्ज करके पांच श्रमिकों को घायल कर दिया. यूनियन के तीन पदाधिकारियों सहित 12 कार्यकर्त्ताओं को गिरफतार करके जेल भेज दिया गया.

श्रमिकों का कहना है कि प्रबंधकों के लालच में आकर पुलिस द्वारा माल की लदाई करके कारखाने से बाहर ले जाने तथा ड्यूटी जाने के समय के बाद भी नए आदमियों को जबरन कारखाने के भीतर ले जाने के विरूद्ध नारेबाजी करने के कारण पुलिस ने श्रमिकों पर हमला कर दिया जोकि मालिकपरस्त व गैर कानूनी दखलअंदाजी है.

यूनियन अध्यक्ष दौलत राम ने शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिस दमन की निंदा करते हुए मजदूरों की मांगों पर समझौता करने तथा गिरफ्तार साथियों को तुरंत रिहा करने की मांग की है. □

पैरागुआए में टैक्सटाइल मजदूरों की हड़ताल का सीटू द्वारा समर्थन

पैरागुआए कम्युनिस्ट पार्टी के एक पत्रकार जूलियस रेवेरिया 8 अप्रैल को सीटू के केंद्रीय कार्यालय आए और यह बताया कि पैरागुआए के टैक्सटाइल मजदूर पंद्रह से भी ज्यादा दिनों से हड़ताल पर हैं और दमन का सामना कर रहे हैं. हड़ताली मजदूरों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने पैरागुआइए के राष्ट्रपति अल्फेद स्ट्रोसिज के नाम 10 अप्रैल को लिखे एक पत्र में कहा कि: "हमें यह जानकर बहुत चिंता हुई है कि आपकी सरकार आपके देश में टैक्सटाइल मजदूरों की 15 दिन से चली आ रही हड़ताल पर समझौता करने के लिए कदम नहीं उठा रही है.

"अपने संगठन के 17 लाख सदस्यों तथा समूचे भारतीय मजदूर वर्ग की ओर से हम आपके देश के टैक्सटाइल मजदूरों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं तथा मांग करते हैं कि सभी दमनकारी कदमों को वापस लिया जाय और हड़ताली मजदूरों के साथ बातचीत कर के हड़ताल का समाधान किया जाय." □

हंगरी के ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि मंडल का सीटू कार्यालय में आगमन

सेंट्रल काउंसिल आफ हंगेरियन ट्रेड यूनियन प्रतिनिधिमंडल 8 अप्रैल को सीटू के केन्द्रीय कार्यालय में आया. उनका स्वागत सीटू के उपाध्यक्ष मुहम्मद इस्माइल, सांसद तथा सचिव एम.के. पंधे व सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने किया.

जोसेफ टिम्मर ने सेंट्रल काउंसिल आफ हंगेरियन ट्रेड यूनियंज की ओर से शुभकामनाएं देते हुए भारत की स्थिति जानने और सीटू से बिरादराना सम्बंध स्थापित करने की गहरी इच्छा व्यक्त की. वह स्थिति जिसमें सीटू का गठन किया गया और एकजुट संघर्षों के लिए की गई कोशिशें उन्हें बताई गई. प्रतिनिधिमंडल को गहराते आर्थिक संकट ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों पर भारत में बढ़ते अधिनायकवादी हमलों और इसके खिलाफ विकसित एकजुट प्रतिरोध से भी अवगत कराया गया. दोनों पक्षों ने बिरादराना सम्बन्धों को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की. □

मंहगाई के आंकड़े

इस महीने अभी तक हमें मंहगाई के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं जिसकी वजह में हम इस अंक में इस स्थायी-स्तंभ को प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं. पाठकों को इससे होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है.

—सम्पादक

संक्षिप्त समाचार

शैफुद्दीन चौधुरी, सांसद (सी.पी.आई.-एम.) को जिला प्रशासन ने 20 मार्च को ग्वालियर में स्टील फाउंड्री मज़दूरों के एक धरने को सम्बोधित करने की इज़ाजत नहीं दी. विभिन्न मांगों पर समझौते की मांग करते हुए यह धरना इंजिनीयरिंग मजदूर यूनियन ((सीटू) ने आयोजित किया था. शैफुद्दीन चौधुरी को पहले कहा गया कि वह मज़दूरों को सम्बोधित करने के लिए इंटक की इज़ाजत लें. लेकिन उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया तथा मज़दूरों को सम्बोधित किया. उन्होंने अपने भाषण में मध्य प्रदेश की इन्दिरा कांग्रेस सरकार व पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार में अन्तर बताया. पश्चिम बंगाल में स्वयं राज्य श्रम-मंत्री मज़दूरों को सम्बोधित करते हैं. जनवादी महिला समिति सहित मज़दूरों के सभी हिस्सों ने स्टील फाउंड्री मज़दूरों का समर्थन किया है. □

* * *

सीटू के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के पब्लिक वर्क्स, सिंचाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल-विभाग, वन व कृषि विभागों के आकस्मिक व ठेका मज़दूरों ने धरने व प्रदर्शन आयोजित किए और सेवा नियमन की मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल की. संयुक्त संघर्ष के लिए एक राज्यव्यापी संघर्ष समिति बनाई गई. विधान सभा के सामने 12 अप्रैल को एक भारी प्रदर्शन किया गया. □

* * *

टैक्सटाइल मज़दूर यूनियन (सीटू), फुलवारी शरीफ, बिहार, का 12वां सालाना आम सम्मेलन एक अप्रैल को पटना में सम्पन्न हुआ. सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए सीटू की बिहार राज्य कमेटी के महासचिव चंडी प्रसाद ने सदस्यों को इन्दिरा कांग्रेस सरकार के अधिनायकवाद के बढ़ते खतरे के खिलाफ चेतावनी दी और उनका आह्वान किया कि वे अपने जनवादी तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों की सुरक्षा के लिए एकजुट संघर्षों का निर्माण करें. सम्मेलन ने एन.एस.ए. व एस्मा की वापसी तथा उचित दर की दुकानों से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की मांग करते हुए प्रस्ताव अपनाए. चंडी प्रसाद व रामआसरे सिंह फिर से क्रमशः अध्यक्ष व महासचिव चुने गए. □

* * *

राजस्थान के 23 मिलों के 36 हजार टैक्सटाइल मज़दूरों ने अपने मांग पत्र पर समझौते की मांग करते हुए 15 अप्रैल को एक दिन की हड़ताल करने का फैसला किया. एक संयुक्त बयान में 7 अप्रैल को सीटू, एटक, एच.एम.एस., बी.एम.एस. व इंटक के नेताओं ने कहा कि मालिकान व श्रम-विभाग जानबूझ कर मांगों पर बातचीत करने में देर कर रहे हैं. समाधान के लिए निर्धारित कई तारीखें मालिकान के कहने पर रद्द कर दी गईं थीजिस से मज़दूर हड़ताल पर जाने को मजबूर हुए. □

* * *

सीटू के नेतृत्व में 500 से अधिक मज़दूरों, किसानों, छात्रों व युवकों ने ब्लॉक डिवैलपमैंट ऑफिसर, पटराडू, बिहार के समक्ष 7 अप्रैल को कीमत वृद्धि व सरकार की मज़दूर-वर्ग विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया. राजेन्द्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय प्रतिनिधि-मण्डल ने बी.डी.ओ. को एक ज्ञापन दिया जिसने शिकायतों को दूर करने के लिए कदम उठाने का वायदा किया. □

* * *

ऑल इण्डिया भेल पावर एम्प्लाईज यूनियन ने 4 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है. भेल के चेयरमैन व मैनेजिंग डाइरेक्टर को नई दिल्ली में 2 अप्रैल को हड़ताल का नोटिस देते हुए ऑल इण्डिया भेल पावर एम्प्लाईज यूनियन के महासचिव ने कहा है कि यूनियन ने मांग-पत्र काफी पहले दे दिया था लेकिन प्रबन्धक बातचीत द्वारा कोई समझौता करने के खिलाफ अड़े रहे. उन्होंने कहा कि भेल प्रबंधक मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने तक के सवाल पर भेदभाव करते हैं: वर्कचार्ज कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते व अन्य भत्तों सहित 330 रुपये का न्यूनतम वेतन सभी केंद्रीय सार्वजनिक संस्थानों में न्यूनतम वेतन से कम है. आंदोलन के सभी दूसरे तरीके असफल होने के बाद यूनियन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का नोटिस देने के लिए मजबूर हुई हैं. □

* * *

कोलियरी मजदूर सभा आफ इन्डिया (सीटू) ने बिहार में भुरकुंडा कोलियरी में मजदूरों के लिए उचित चिकित्सा सुविधाओं की मांग की है. कोलियरी हस्पताल की हालत खराब होती जा रही है. बार-बार मांग किए जाने के बावजूद भी मरीजों की देखभाल, सफाई, जल सप्लाई, बिजली, दवा व खाने आदि की सप्लाई बिलकुल असंतोषजनक हैं. सीटू के नेता राजेन्द्र सिंह चन्देल सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड रांची के

मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिले और हस्पताल में एक जनरेटर लगाने की मांग की. उन्होंने कहा कि यदि सुधार करने में अधिकारी कामयाब नहीं होते हैं तो भविष्य में सीधी आन्दोलनात्मक कार्यवाही की जाएगी. □

* * *

कई हरिजन मजदूर 11 अप्रैल को उस समय घायल हो गए जब यू.पी. स्टेट मिनरल डवैलपमैंट कारपोरेशन के प्रबंधकों के भाड़े के गुंडों ने ओब्रा मिराजपुर में कार्पोरेशन के दफतर के नजदीक उन पर हमला किया. अनुसूचित जातियों व जनजातियों को भर्ती करने की बजाए प्रबंधकों ने भाई भतीजावाद द्वारा केवल अपने रिश्तेदारों की ही भर्ती की. जब माइन वर्कर्स यूनियन (सीटू) के नेता इस मामले में प्रबंधकों से मिलने गए तो समाजविरोधी तत्वों ने उन पर हमला किया. यूनियन द्वारा शिकायत किए जाने के बावजूद भी पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है. मजदूरों ने अपनी मांगों के समर्थन में संघर्ष छेड़ दिया है. □

* * *

सीटू का फरीदाबाद जिला सम्मेलन 5 अप्रैल को संपन्न हुआ. सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी के अध्यक्ष शादी राम ने उद्घाटन किया. 285 प्रतिनिधियों ने जिसमें 20 महिला कामगार थीं सम्मेलन में भाग लिया. खुले अधिवेशन को सीटू के उपाध्यक्ष मुहम्मद इस्माइल, एम.पी. तथा सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी के महासचिव सुशील भट्टाचार्य, एम.पी. ने संबोधित किया, इसमें 5 हजार से भी ज्यादा मजदूर शामिल हुए. □

* * *

राउरकेला स्टील प्लांट में 12 अप्रैल को प्रबंधकों की लापरवाही तथा गैर जिम्मेदारी के कारण तीन मजदूर गैस चैंबर में मर गए. स्टील एंप्लाईज ट्रेड यूनियन (सीटू) ने आरोप लगाया है कि उर्जा व आर्थिक विभाग से स्पष्टीकरण लिए बिना तथा बचाव के मास्क दिए बिना प्रबंधको ने धूल एकत्रित करने वाले चैंबर में सफाई करने के लिए मजदूरों को अंदर जाने को मजबूर किया था. तीन मृतकों के अलावा एक मजदूर मृत्यु-शय्या पर है और कई का जहरीली गैस के प्रभावों का इलाज किया जा रहा है. यूनियन ने दुर्घटना की कानूनी जांच की मांग की है. □

* * *

सी पी आई (एम) व किसान सभा के आह्वान पर 22 मार्च को हजारों किसानों, खेतिहर मजदूरों, छात्रों, युवकों व महिलाओं ने समूचे राजस्थान में जनविरोधी बजट के खिलाफ प्रदर्शन किए. उन्होंने बिजली, सिंचाई, करों, बस किराया आदि की दरों में वृद्धि का विरोध किया. उन्होंने किसानों के उत्पादन के लाभकारी दामों तथा एन एस ए व एस्मा की वापसी की भी मांग की. □

* * *

सूती मिल मजदूर सभा (सीटू) के नेतृत्व में एक हजार से भी ज्यादा टैक्सटाइल मजदूरों ने 23 अप्रैल को कानपुर में फरवरी में प्रबंधकों द्वारा ट्रक मजदूरों की हड़ताल व रूई की कमी के दौरान किए गए लेआफ के दौरान के वेतन की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त के समक्ष प्रदर्शन किया. श्रमआयुक्त को दिए गए एक ज्ञापन में आकस्मिक व ठेका मजदूरों को नियमित करने की मांग की गई, ये मजदूर लेआफ के कारण असहाय हो गये हैं. सीटू व अन्य यूनियनों के नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया तथा जब तक मालिकान द्वारा वेतन नहीं दिए जाते संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया. □

* * *

सीटू की हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने हिमाचल रीजनल ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की बसों द्वारा बढ़ती दुर्घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त की है. एक साल के अन्दर 400 बस दुर्घटनाओं में 250 यात्री मारे गए. अधिकारी दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी मजदूरों व चालकों पर डालते रहे लेकिन ज्यादातर दुर्घटनाएं बस ढांचे के खस्ता हालात, निम्न स्तर के बस ढ़ांचे, निम्न स्तरीय मरम्मत आदि, और बसों में ज्यादा सवारियों के कारण होती हैं. राज्य कमेटी व कर्मचारियों ने भीड़ को कम करने के लिए ज्यादा बसों, उचित मरम्मत आदि, ड्राइवरों व कंडक्टरों के अतिरिक्त कार्यभार में कमी, साप्ताहिक छुट्टी, आरामगृहों का प्रबन्ध, बस ढांचे के निर्माण में भ्रष्टाचार के खात्मे आदि की मांग की है. □

छपते-छपते

जे के जूट की हड़ताल को गैरकानूनी घोषित किए जाने का चौतरफा विरोध

उत्तर प्रदेश सरकार ने जे के जूट मजदूरों की हड़ताल को 73वें दिन 26 अप्रैल को गैरकानूनी घोषित कर दिया. इस घोषणा की सभी ने निंदा की है व इसका विरोध किया जा रहा है क्योंकि जो हड़ताल 72 दिन तक कानूनी रही व 73वें दिन गैरकानूनी कैसे करार दी सकती है.

राज्य सरकार ने इसके साथ ही तालाबन्दी को भी गैरकानूनी घोषित कर दिया. कानूनी हड़ताल के खिलाफ की जाने वाली तालाबंदी हमेशा गैरकानूनी होती है. लेकिन सरकार ने प्रबंधकों के खिलाफ कोई कदम उठाने की बजाए दोनों को गैरकानूनी करार देकर प्रबंधकों का पक्ष ही लिया है.

सरकार की घोषणा के बाद प्रबंधकों ने ताला खोल दिया और मजदूरों ने मिल में जाकर 'अंदर रहो' हड़ताल की. लेकिन दूसरे दिन उन मजदूरों को मिल में नहीं जाने दिया गया. भारी दमन जारी है, कई गिरफ्तारियां की गई हैं. 27 अप्रैल को मिल गेट पर मजदूरों की एक भारी रैली आयोजित की गई. (पृष्ठ 29 भी देखें)

दार्जीलिंग

कई तरह से आप दार्जीलिंग में अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं. तराई के दृश्यों के लिए हिमालयन पनोरमा है--जिसका भारत में कहीं भी मुकाबला नहीं है. कंचनचंगा (8,444 मीटर ऊंचा), सिनलोल्चु (6,780), जानु (7,590 मीटर) व काबू (7,205 मीटर) विदेशी स्पीशीज के लिए लाएड बोटेनिकल उद्यान. संग्रहालय व कला दीर्घाएं. आब्जर्वेटरी हिल. धीरधाम मंदिर. हिमालयन माउंटेनियरिंग इंटस्टीच्यूट. चटखीला शीतल सूर्योदय. टाइगर हिल. और रंगीन स्वागत के लिए अपनी संस्कृति, हथकर्घे व मेलों के साथ पहाड़ी जनसाधारण. छोटी आनंददायी यात्राओं के लिए.....संदकफू, घूम (छः किलोमीटर) बुद्ध विहार के लिए प्रसिद्ध, कालिमपोंग (51 कि.मी.) की तराई के ईगल क्रैग दृश्य वाली कुरसियांग (32 कि.मी.), सफेद पौधों की भूमि ताकदा (26 कि.मी.), नवीनतम पहाड़ी विश्रामालय, मिरिक के लिए ट्रेक. और जाल्दापाड़ा वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी 224 कि.मी.).

दार्जीलिंग कलकत्ता से 700 किलोमीटर है. आप 45 मिनट में बाग्डोगरा तक हवाई जहाज से जा सकते हैं. और उसके बाद चाए बागान व जंगलों के बीच से 80 किलो-मीटर की सड़क यात्रा.

विभिन्न प्रकार का रिहायशी प्रबंध. दार्जीलिंग, कालिमपोंग, मदारीहाट, मालबाजार और सिलीगुड़ी में टूरिस्ट लाज. और दार्जीलिंग में मैपल, शैलाबास, लेविस जुबली सैनेटोरियम व यूथ होस्टल तथा कालिमपोंग में शंगरीला भी. किराया रु. 6 से रु. 35, रु. 40 से रु. 125, और रु. 50 से रु. 150.

आगे सूचना के लिए संपर्क करें :

दार्जीलिंग : फोन : 2050, ग्राम : दारटूर आफ 3/2, बिनय बादल दिनेश बाग (पूर्व); कलकत्ता-700 001, फोन : 23 8271, ग्राम : ट्रेवल टिप्स.

—पश्चिम बंगाल सरकार

आई सी ए/1891/82

विष्णुपुर में टेराकोटा में भगवानों का रथ

विष्णुपुर एक उत्साहवर्द्धक स्थान है. यहां कई ऐतिहासिक, धार्मिक व सांस्कृतिक स्मारक हैं. सर्वोत्तम टेराकोटा आर्कीटेक्चर जोरबांगला, रास मंच, मालेश्वर शिव मंदिर, राधागोविंद व राधा-माधव मंदिर. विशाल लौहतोप 'दलमदाल'. सुसंग्रहीत संग्रहालय. स्थानीय हथकर्घा व चिरसम्मत परम्परा में हैंडलूम. बांकुरा घोड़े व अन्य खिलौने. रेशम, टशर, टैक्सटाइल. कोंच-शेल व बैल्ल धातु की वस्तुएं. और विष्णुपुर की समयहीन सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन विष्णुपुर घराना या प्राचीन संगीत का विद्यालय. विष्णुपुर से आप आसानी से आस-पास के स्थानों जैसे बहुलारा(25 कि.मी.) में सिद्धेश्वर शिव मंदिर, जैयरामबति कमारीकुट (43 कि.मी.) में 'सेंटली कप्पल' रामकृष्ण व शारदा देवी, सुसुइना हिल्स, विशाल कुंड सहित मुकुटमनीपुर (बांकुरा नगर से 52 कि.मी.) और संभवतः पांचुमुरा (21 कि.मी.) — जहां टेराकोटा बांकुरा घोड़ा बनता है. कलकत्ता से रेल द्वारा विष्णुपुर 201 कि.मी. है और सड़क द्वारा 151 कि.मी. नियमित बस सेवा है, टूरिस्ट लाज में आरामदेय जगह है. दिन के यात्रियों के लिए भी सुविधाएं हैं. किराया समूह-रिहायश-स्थलों में 10 रुपये से वातानुकूलित कमरों में 72 रुपये तक है.

आगे सूचना के लिए संपर्क करें :
टूरिस्ट ब्यूरो
3/2, बिनय-मंडल दिनेश बाग (पूर्व)
कलकत्ता 700 001
फोन : 23 8271
ग्राम : ट्रेवलटिप्स

—पश्चिम बंगाल सरकार

आई सी ए/1892/82

एम.के. पंधे द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ... तालकटोरा रोड़, नई दिल्ली-110001 (फोन : ...
से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर... इस, ओखला फेज-I, नई दिल्ली-...